

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2004 की संख्या-4

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1912

1912

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I - सामान्य		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.2	4
भाग क - पुनरीक्षण		
अध्याय II - मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2.1	7
अध्याय III - शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निजी अस्पतालों और औषधालयों को भूमि का आबंटन	3.1	29
दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण का सूचना प्रौद्योगिकी पुनरीक्षण	3.2	41
भाग ख - लेन-देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ		
अध्याय IV - वाणिज्य मंत्रालय		
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण		
प्राधिकरण की वित्तीय सहायता योजना के अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को साधन के रूप में प्रयोग करने में विफलता	4	73
अध्याय V - वित्त मंत्रालय		
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण		
सरकारी लेखाओं से बाहर रखी हुई निधियां	5	78

अध्याय VI - मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग		
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद		
शिक्षावृत्ति अनुदानों की वसूली में विफलता	6.1	80
भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलौर		
कर प्रावधानों का उल्लंघन	6.2	81
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर		
सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान	6.3	83
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
बट्टे का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य व्यय	6.4	84
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ		
विद्युत उपभोग पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	6.5	85
विश्व भारती		
अग्रह्य अग्रिम वेतनवृद्धि की वसूली न होना	6.6	86
अध्याय VII - सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
प्रसार भारती		
अवसूलीयोग्य अग्रिम	7.1	88
राजस्व की हानि	7.2	89
राजस्व की हानि	7.3	91
भारतीय प्रैस परिषद		
शुल्क की वसूली न करना	7.4	92
अध्याय VIII - जहाजरानी मंत्रालय - पत्तन स्कंध		
चेन्नई पत्तन न्यास		
एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण सहायता का लाभ उठाने का अविवेकपूर्ण निर्णय-परिहार्य अतिरिक्त व्यय	8.1	95
समुद्र में उपयोज्य कोयले का निपटान करने के कारण राजस्व में हानि	8.2	97
वी.आई.पी. लॉच की अविवेकपूर्ण खरीद	8.3	99
निधियों का अवरोधन	8.4	101
विलंबित प्रतिदान बॉड के कारण ब्याज की हानि	8.5	104

कोचीन पत्तन न्यास		
निकर्षण में कमी के लिए शास्ति का न लगाया जाना	8.6	106
विद्युत टैरिफ के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	8.7	108
कोलकाता पत्तन न्यास		
निष्फल व्यय	8.8	109
कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड		
गोदी श्रमिकों के पंजीकृत नियोक्ता को अदेय लाभ के परिणामस्वरूप बोर्ड को हानि	8.9	110
मोरमुगाव पत्तन न्यास		
इंडियन आयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन के ऊपर पुलिया के निर्माण पर परिहार्य व्यय	8.10	112
मुम्बई पत्तन न्यास		
मार्ग अनुज्ञा शुल्क की कम उगाही	8.11	113
नया मंगलौर पत्तन न्यास		
परिहार्य भुगतान	8.12	115
पारादीप पत्तन न्यास		
निष्फल व्यय	8.13	116
राजस्व की हानि	8.14	118
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास		
अनभिप्रेत वित्तीय लाभ	8.15	119
विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड		
गोदी श्रमिकों को दिए गए बकाया वेतनों की वसूली न होने के कारण हानि	8.16	120
अध्याय IX - लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय		
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग		
नियमों का उल्लंघन होने के परिणामस्वरूप संस्थानों को अनधिकृत लाभ	9	122
अध्याय X - शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
दिल्ली विकास प्राधिकरण		
जुर्माने की वसूली न होना	10.1	124
ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित सामान्य छूट का लाभ न उठाया जाना	10.2	125

अध्याय XI			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति		11	127
परिशिष्ट			
I	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2002-2003 के दौरान प्राप्त अनुदान/ऋण		129
II	नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2002-2003 के लेखे/सूचना 29 फरवरी 2004 तक प्राप्त नहीं हुए		137
III	नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2002-2003 के दौरान प्राप्त अनुदान		139
IV	नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2002-2003 के लेखे/सूचना 29 फरवरी 2004 तक प्राप्त नहीं हुए		143
V	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब		147
VI	स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे 29 फरवरी 2004 तक प्रस्तुत न करना		149
VII	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र		150
VIII	29 फरवरी 2004 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां		160

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (2004 के प्रतिवेदन सं. 5 में शामिल वैज्ञानिक विभागों के अतिरिक्त) के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 34 पैरे तथा निम्न तीन पुनरीक्षण शामिल हैं :

क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन

ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निजी अस्पतालों और औषधालयों को भूमि का आवंटन

ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण का सूचना प्रौद्योगिकी पुनरीक्षण

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में मुख्य पत्तन न्यास, गोदी श्रमिक बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अन्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2002-2003 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।

The first part of the report is devoted to a general description of the country and its resources. It is followed by a detailed account of the various industries and occupations of the people. The author then discusses the state of agriculture and the progress of commerce. The report concludes with a summary of the principal facts and a list of the names of the various places mentioned.

CHAPTER I

The first part of the report is devoted to a general description of the country and its resources. It is followed by a detailed account of the various industries and occupations of the people. The author then discusses the state of agriculture and the progress of commerce. The report concludes with a summary of the principal facts and a list of the names of the various places mentioned.

The second part of the report is devoted to a detailed description of the various industries and occupations of the people. It is followed by a detailed account of the state of agriculture and the progress of commerce. The author then discusses the state of the various branches of industry and the progress of the different occupations. The report concludes with a summary of the principal facts and a list of the names of the various places mentioned.

The third part of the report is devoted to a detailed description of the state of agriculture and the progress of commerce. It is followed by a detailed account of the state of the various branches of industry and the progress of the different occupations. The report concludes with a summary of the principal facts and a list of the names of the various places mentioned.

विहंगावलोकन

सामान्य

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

2002-2003 में 228 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किये जाने थे। भारत सरकार ने 2002-2003 के दौरान 5458.84 करोड़ रु. के अनुदान और 258.37 करोड़ रु. के ऋण 196 निकायों को जारी किये। शेष 32 निकायों की सूचना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए उनके द्वारा प्राप्त सरकारी अनुदानों की राशि उपलब्ध नहीं थी।

2106.18 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 38.58 प्रतिशत) की राशि के अनुदान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 75 शैक्षिक संस्थाओं की 629.52 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 11.53 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 स्वास्थ्य एवं अनुसन्धान संस्थाओं को तथा 339.54 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 6.22 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 12 स्वायत्त निकायों को जारी किये गये थे।

161 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में से 77 के वार्षिक लेखे (वैज्ञानिक विभाग को छोड़ कर) जिनके लेखे सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किये जाने थे परन्तु नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत उनकी लेन-देन लेखापरीक्षा अपेक्षित थी, को भी सम्बन्धित निकायों द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। शेष 84 निकायों ने संघ सरकार से 1968.78 करोड़ रु. के अनुदान प्राप्त किये थे।

226 केन्द्रीय निकायों के 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2002 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इनमें से 82 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये थे। 29.02.2004 तक 11 निकायों के लेखे सम्बन्धित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 1.1)

उपयोग प्रमाण पत्र

सांविधिक निकायों को 1976-77 से मार्च 2001 के दौरान जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 5169.35 करोड़ रु. की संस्वीकृत राशियों के 42320 उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2003

के अन्त में बकाया थे। इसने यह दर्शाया कि प्रणाली जिसके द्वारा सरकार स्वयं को सन्तुष्ट करती है कि अनुदानों का उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था जिनके लिए वे दिये गये हैं, प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

(पैराग्राफ 1.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के लिए 1962 में स्थापित हुआ था। प्रस्तुत पुनरीक्षण, केन्द्रीय विद्यालय के स्कूल, क्षेत्र और मुख्यालय स्तरों के प्रबन्धन में अनियमितताओं को प्रकट करता है। आदर्श विद्यालय योजना, शासक मण्डल द्वारा प्रावधानों और कार्यक्रमों का अनुमोदन किए बगैर 54.28 करोड़ रु. व्यय करके, कार्यान्वित की गई थी। विद्यालय विकास निधि का उपयोग करने में विद्यालयों की असमर्थता के बावजूद, के.वि.सं. ने विद्यार्थियों से अंशदान की मासिक दरें बढ़ा दी थी। विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे भवन, खेल का मैदान, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर, पीने योग्य जल और सीवरेज इत्यादि के अनेक विद्यालयों में अभाव था। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने के लिए कोई सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रयास नहीं किए गए थे, पेरेन्ट टीचर एसोसिएशन्स और क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन, अनेक विद्यालयों/क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बोर्ड सलाहकार समितियां अनेक विद्यालयों/क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान थी। शासक मण्डल और इसकी स्थायी समितियों की भी नियमित रूप से बैठक नहीं हुई थीं। यह के.वि.सं. के कार्य करने पर संगठन के अनुश्रवण और नियंत्रण की कमी को दर्शाती है।

(पैराग्राफ 2.1)

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

शहरी विकास विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण, 53 अस्पतालों और 12 औषधालयों के लिए रियायती दरों पर सांस्थानिक भूमि के आवंटन की शर्तों को लागू करने में असफल रहा। इन आवंटनों के

प्रथमिक उद्देश्य, गरीबों को 25 प्रतिशत आंतरिक और 40 प्रतिशत बाह्य निःशुल्क उपचार सुविधायें उपलब्ध कराना था। यह प्राप्त नहीं किया गया था। भूमि का आवंटन तीन अपात्र संस्थानों को किया गया था जिससे दि.वि.प्रा.38.54 करोड़ रु. के राजस्व से वंचित रहा। आवंटन के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में अस्पतालों और औषधालयों के कार्य करने के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। 27 अस्पतालों में तेइस ने भूमि के आवंटन की तिथि से 4 से 30 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी जुलाई 2003 तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया था। बकाया देयों की अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाई के कारण 2.46 करोड़ रु. के ब्याज के साथ, 3.54 करोड़ रु. के बकायों का संचयन हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ बने रहने तथा आवंटितियों को बेहतर सेवाओं की सुविधाओं का प्रावधान सरल करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1981 में इसकी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण पर 2.44 करोड़ रु. का व्यय किया था। औपचारिक सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) नीति तथा सहायक नीतियों तथा क्रियाविधियों के अभाव के कारण प्राधिकरण ने बेहतर स्थापित प्रणाली विकास जीवन-चक्र का अनुसरण नहीं किया। परिणामतः आवास विभाग में उपयोग संचालन में अनिवार्य आन्तरिक नियन्त्रण की कमी थी। फ्लैटों के आवंटन तथा आवंटितियों से प्राप्तियों की वसूली से संबंधित कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस अधूरा, गलत तथा अविश्वसनीय था। दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अपात्र अव्यस्कों को फ्लैटों के आवंटन तथा उसी व्यक्ति को फ्लैटों के दोबारा आवंटन की जाँच सुनिश्चित करने के लिए किसी आन्तरिक नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं की गई थी। डाटाबेस ने दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटितियों से वसूली योग्य प्राप्यों का अविश्वसनीय और गलत चित्रण दर्शाया। अविश्वसनीय तथा गलत डाटाबेस के आधार पर माँग करने के कारण आवंटितियों को अनावश्यक परेशानी हुई। सही तथा कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली का वांछित उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त किये बिना रह गया।

(पैराग्राफ 3.2)

वाणिज्य मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1996-97 से विवेचनात्मक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया। फिर भी, सबसे विवेचनात्मक उपयोग अर्थात् वित्तीय

सहायता योजनाओं (वि.स.यो.) में न केवल विभिन्न मुख्य नियंत्रण विशेषताओं का अभाव था अपितु अन्य सम्बन्धित उपयोगों से भी अलग किया गया था। इन कमियों के कारण निर्यातों के न मानने से 55.66 करोड़ रु. का अनियमित व्यय हुआ। अतः 31 मार्च 2003 तक साफ्टवेयर और हार्डवेयर के खरीदने और उन्नतिशील बनाने के लिए 3.11 करोड़ रु. के खर्च के बावजूद प्राधिकरण द्वारा वि.स.यो. उपयोग जैसा कि 1996-97 की सूचना कार्यनीति योजना में विचार किया गया था का कार्यान्वयन नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 4)

वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

मंत्रालय के इन सुस्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी कि बी.नि.वि.प्रा. की प्राप्तियाँ भारतीय लोक लेखा में क्रेडिट करना था, बी.नि.वि.प्रा. ने प्राप्तियाँ अपने पास रखना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप 57.93 करोड़ रु. सरकारी लेखाओं के बाहर बैंकों में पड़े रहे।

(पैराग्राफ 5)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

दूरदर्शन ने, चूक करने की दशा में वसूली सुनिश्चित किए बिना ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति हेतु मार्च 2000 में एक राज्य सरकार कम्पनी को 8.38 करोड़ रु. अग्रिम के रूप में दिए। कम्पनी आदेशित उपकरण के एक भाग को आपूर्ति करने में विफल रही तथा जनवरी 2001 में अपना व्यापार बंद कर दिया। अप्रैल 2004 को, 4.41 करोड़ रु. की राशि के अग्रिम तथा उस पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अभी तक बकाया थे। वसूली की सम्भावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि कम्पनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया है।

(पैराग्राफ 7.1)

दूरदर्शन ने, एक फर्म को मनमाने ढंग से पूर्ण निर्माण/कमीशन लागत की अनुमति दी तथा उसने 6,329 सैकेंडों के वाणिज्यिक समय हेतु बिल नहीं बनाये जिससे 1.50 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.2)

दूरदर्शन ने, 'तक धिना धिन' शीर्षक के एक प्रायोजित कार्यक्रम के संबंध में ग्राह्य सीमा से अधिक निःशुल्क वाणिज्यिक समय दिया। इसके परिणामस्वरूप 74.10 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.3)

जहाजरानी मंत्रालय

चेन्नई पत्तन न्यास

आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त पर्याप्त अधिशेष निधियों की उपलब्धता के बावजूद चेन्नई पत्तन न्यास ने वित्तीय वचनबद्धता सहित 1997 के दौरान एशियन विकास बैंक से ऋण लेने का निश्चय किया। इस अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2002 में व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने तक 1.87 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.1)

निकर्षण हेतु प्राइवेट ठेकेदार को कार्य पर लगाकर, जवाहर गोदी बेसिन, चेन्नई पत्तन न्यास ने 2001 में चार महीनों के दौरान बचाए गए छितराए कोयले पर 14.85 लाख रु. का निवल राजस्व वसूल किया। पत्तन न्यास की, इस प्रक्रिया को जारी रखने अथवा अन्य पत्तनों द्वारा कोयला बचाने के लिए अपनायी गई प्रौद्योगिकी की खोज करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.63 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई, इसके अतिरिक्त उसके अपने निकर्षक द्वारा निकर्षण-क्षेत्र के प्रति 2.57 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.2)

चेन्नई पत्तन न्यास, आपूर्ति आदेश देने से पहले वी.आई.पी. लांच के उपयोग हेतु हासिल उपयोगिता पर ध्यान में विफल रहा। 1.67 करोड़ रु. की लागत पर अधिप्राप्त लांच दिसम्बर 1999 में उसकी अधिप्राप्ति के समय से ही अप्रयुक्त रहा।

(पैराग्राफ 8.3)

कोलकाता पत्तन न्यास

पत्तन न्यास के कार्यकाल समाप्त जलयान की मरम्मत कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण स्थिर जलयान के अनुरक्षण पर 4.63 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.8)

मुम्बई पत्तन न्यास

पाइपलाइन की वास्तविक लम्बाई का पता लगाने में असफलता तथा गारंटीकृत थ्रुपुट प्राप्त न होने के लिए दण्ड की वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप 8.98 करोड़ रु. की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 8.11)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, मंगलौर ने अनुरक्षण, निकर्षण का कार्य दो वर्षों के लिए भारतीय निकर्षण निगम को अनुबंध के अधीन सौंपा। अनुबंध में अनुचित धारा के परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ रु. के वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 8.12)

पारादीप पत्तन न्यास

पारादीप पत्तन पर जलावतरण तट के परिष्करण का निर्माणकार्य, जो जनवरी 1996 तक पूर्ण किया जाना था, मुख्य कार्य जैसे जलावतरण-मंच के मोहाने की सफाई, कॉफर बांध का निर्माण, अंतः जल के रास्ते का परिवर्तन तथा प्रणाली का परीक्षण एवं जांच करना आदि पूरे न किए जाने के कारण सात वर्ष व्यतीत होने के बाद तक जून 2003 तक अधूरा रहा तथा पा.प.न्या. द्वारा इस पर सितम्बर 1998 तक किया गया 2.12 करोड़ रु. का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 8.13)

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.)

वि.प.न्या. ने एक कम्पनी को ब्याज के प्रति 70.83 लाख रु. के ब्याज का अनभिप्रेत लाभ पहुँचाया।

(पैराग्राफ 8.15)

विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड

विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड ने जहाजी कुलियों से गोदी श्रमिकों को दी गई मज़दूरी के बकाया की वसूली न करने के कारण 11.66 करोड़ रु. की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 8.16)

लघु उद्योग और ग्रामीण कृषि उद्योग मंत्रालय

खादी और ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.)

खा.ग्रा.उ.आ. की तीन प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों की कारीगर कल्याण निधि में कारीगरों से प्राप्त अंशदानों तथा संस्थानों के अंशदान का निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप संस्थाओं को गैर कानूनी लाभ हुआ। नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद खा.ग्रा.उ.आ. ने संस्थानों को छूट दावे जारी करना तथा वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

(पैराग्राफ 9)

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा अनधिकृत भूमि अथवा भवन के लिए लगाए गए जुर्माने को जारी करने से संबंधित विवाद का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समाधान करने के लिए निश्चयात्मक सामयिक कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.19 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 10.1)

अध्याय I : सामान्य

1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की धारा 19(2) के अन्तर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा जनहित में धारा 20(1) के अन्तर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन तथा मुद्रा लेखापरीक्षा के महत्व की है।

31 मार्च 2003 को 228 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अधीन निकायों को छोड़कर) थे, जिनके वार्षिक लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

2002-03 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 196 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 5458.84 करोड़ रु. तथा 258.37 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण जारी किए गए थे (परिशिष्ट-I)। इनमें से, 2106.18 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 38.58 प्रतिशत) राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 75 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए थे, 629.52 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 11.53 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थानों को संवितरित किये गये थे और 339.54 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 6.22 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 12 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए थे।

32 निकायों के सम्बन्ध में 2002-03 की सूचना को सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था और, इस प्रकार उनके द्वारा जारी किए गए सरकारी अनुदानों की राशि के विवरण फरवरी 2004 तक उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-II)।

- (i) 31 मार्च 2003 को, 161 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिन्हें कि मुख्यतः संघ सरकार द्वारा अनुदानों/कर्जों से वित्त पोषित किया जाता था तथा अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा

लेखापरीक्षित किए जाने थे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति मुद्रा लेखापरीक्षा के महत्व की है। इन निकायों के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते थे।

फरवरी 2004, तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 84 निकायों के 2002-03 के दौरान, संघ सरकार से 1968.78 करोड़ रु. की राशि के अनुदान प्राप्त किए (परिशिष्ट-III)। 77 निकायों के सम्बन्ध में वार्षिक लेखे/सूचना सम्बन्धित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे (परिशिष्ट-IV)।

- (ii) स्वायत्त निकायों की संख्या, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम की धारा 19(2) और 20(1) तथा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत की जानी थी, की स्थिति तथा 2000-01 से 2002-03 के दौरान इन निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है :

2000-02 से 2002-03 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों का सार

वर्ष	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की कुल संख्या	नि.म.ले.प.(क. श.से.) अधिनियम 1971 की धारा जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा की गई	अनुदान	ऋण	अभ्युक्तियां
			(लाख रूपयों में)		
2000-01	226	19 (2) और 20 (1)	668661.94	30057.36	राशि केवल 203 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 23 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
	139	14 (1) और 14 (2)	19315.53	शून्य	राशि केवल 40 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 99 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
2001-02	226	19 (2) और 20 (1)	574518.76	24841.00	राशि केवल 198 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 28 ¹ निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
	153	14 (1) और 14 (2)	22601.02	शून्य	राशि केवल 45 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 108 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
2002-03	228	19 (2) और 20 (1)	545884.16	25837	राशि केवल 196 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 45 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
	161	14 (1) और 14 (2)	134393.87	62483.95	राशि केवल 84 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 77 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(iii) स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब


सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजपत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पांचवीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद

¹ मार्च 2002 में समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में दर्शाये गये आंकड़ों से भिन्न हैं क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत की जाती है।

प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर देने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2001-02 के लिए, 226 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2002 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, केवल 82 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। शेष 144 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है :-

एक माह तक का विलम्ब	43
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	45
तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब	32
छः माह से अधिक विलम्ब	13
फरवरी 2004 तक लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुई	11
कुल	<u>144</u>



परिशिष्ट-V में स्वायत्त निकाय, जिनके लेखे तीन माह से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है।

इस प्रकार, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को, यह सुनिश्चित किए बिना कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, मंत्रालयों/विभागों ने नए अनुदान जारी किए। आगे की किशतों को जारी करने की आवश्यक शर्तों में से एक शर्त का उल्लंघन किया।

मानव संसाधन विकास, जल संसाधन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों/विभागों ने पूर्व वर्षों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना, 2002-03 के दौरान जारी किए गए नए अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की।

भाग क - पुनरीक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अध्याय-II मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2.1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन

रक्षा कर्मचारीगण को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) को 1962 में स्थापित किया गया था। 31 मार्च 2003 तक केन्द्रीय विद्यालयों में 7.26 लाख विद्यार्थी थे। के.वि.को आदर्श शैक्षिक संस्थानों में विकसित करने के लिए, के.वि.सं. द्वारा आदर्श विद्यालय योजना 1996-97 में आरम्भ की गई थी। तथापि, उन्होंने अपने शासक-मण्डल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। योजना के अन्तर्गत, 448 के.वि. को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना, निधियां जारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निधियों के कम-उपयोग और विपथन के मामले हुए। के.वि.सं. यह भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि आदर्श विद्यालय योजना के मूल प्रावधानों जैसे वरिष्ठ प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और अभिप्रेरित शिक्षण कर्मचारी की तैनाती, को पूरा किया गया था। के.वि.सं. ने 1996-97 से 2001-02 के दौरान 54.28 करोड़ रु. खर्च करने के बाद भी, योजना का पुनरीक्षण नहीं किया था जबकि योजना का दो वर्षों बाद पुनरीक्षण करना अपेक्षित था। के.वि.सं. की मूल समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गयी थी। शासक मण्डल, जो कि के.वि.सं. की मुख्य कार्यकारी निकाय हैं, की पिछले दो वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं थी (नवम्बर 2003)।

विशिष्टताएं

- के.वि.सं. ने 1997-98 से 2002-03 की अवधि के दौरान अपनी आवश्यकताओं से तत्त्वतः अधिक अव्ययित अनुदानों को रोके रखा।
- के.वि.सं. ने प्रायोजित प्राधिकरणों के आधार पर किए गए अधिक व्यय को पूरा करने के लिए 26.52 करोड़ रु. को विपथित किया गया था।
- 28 बंद परियोजना विद्यालयों की परिसम्पत्तियां भी, प्रायोजित प्राधिकरणों को उनके प्रति बकाया 11.84 करोड़ रुपये वसूल किए बिना अन्तरित कर दी गई थी।
- के.वि.सं. ने अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मचारी समूह बीमा योजना से प्राप्त 3.18 करोड़ रु. की प्रीमियम की राशि अनधिकृत रूप से रोके रखी थी।
- आदर्श विद्यालय योजना, संगठन के शासक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग को भेज दी गई थी। योजना, कार्यान्वयन करने के दो वर्षों के बाद भी पुनरीक्षित नहीं की गई थी, जैसाकि अपेक्षित था।

- 1997-98 से 2001-02 के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण में 40 से 47 प्रतिशत के बीच की कमियां थीं।
- संगठन की मूल समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई थीं।
- नमूना जांच किए गए 17 क्षेत्रों में से, केवल एक में सलाहकार समिति कार्य कर रही थी। इसी प्रकार, 42 के.वि.में अभिभावक अध्यापक संघ का भी गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन निकायों के गठन को उचित महत्व नहीं दिया गया था, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्व रखते थे।

2.1.1 प्रस्तावना

बार-बार होने वाले स्थानान्तरण के भागी रक्षा कर्मचारी-गण सहित केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों के लाभ से सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण के माध्यम के साथ, माध्यमिक विद्यालयों की योजना को भारत सरकार द्वारा पहले नवम्बर 1962 में अनुमोदित किया गया था। फलस्वरूप, सेन्ट्रल स्कूल्स ओर्गेनाइजेशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन मंत्रालय की इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था। प्रारम्भ में, रक्षा कर्मचारी-गण के बृहत केन्द्रीकरण वाले स्थानों पर उस समय कार्य कर रहे 20 रेजिमेन्टल स्कूलों को 1963-64 के शैक्षिक वर्ष के दौरान सेन्ट्रल स्कूल्स के रूप में अधिकार में ले लिया था। उसके पश्चात 1965 में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) नाम का एक स्वायत्त निकाय, संस्था पंजीकृत अधिनियम, XXI 1860 के अन्तर्गत एक संस्था के रूप में पंजीकृत हुआ था, जिसने सेन्ट्रल स्कूल को प्रारम्भ करने और प्रबन्धन करने का कार्य अधिकार में लिया था बाद में जिसे केन्द्रीय विद्यालय (के.वि.) के नाम से जाना जाने लगा। संगठन, पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

2.1.2 उद्देश्य

के.वि.सं. ने घोषित किया कि केन्द्रीय विद्यालय के लिए शिक्षा संहिता की अपनी प्रस्तावना में इन विद्यालयों के चौगुने लक्ष्य हैं-

- शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम मुहैया कराने के जरिये स्थानान्तरणीय रक्षा और पैरामिलिटरी कर्मचारी-गण सहित केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रबन्धन करना,
- विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को आगे बढ़ाना और प्रगति को निश्चित करना,

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शि.बो.) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) जैसे अन्य निकायों के सहयोग से प्रयोग और नवीनता प्रारम्भ और प्रोत्साहन करने के लिए और
- बच्चों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और 'भारतीयता' का बोध उत्पन्न करना।

2.1.3 संगठनात्मक ढांचा

के.वि.सं. और इसके शासक मण्डल की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में की जाती है। शिक्षाशास्त्री, शैक्षिक प्रशासक और संसद सदस्य बोर्ड के अन्य सदस्य होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अपर सचिव, संगठन का उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार मेम्बर फाइनान्स होता है जबकि कार्मिक, रक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, के.मा.शि.बो., रा.शै.अ.प्र.प. और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और तीन संसद सदस्य इसके अन्य सदस्य होते हैं। चार अन्य श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री, जिसमें से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति, प्रत्येक के बीच में से एक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। शासक मण्डल की तीन उप समितियां, अर्थात् शैक्षिक सलाहकार समिति, वित्त समिति और कार्य समिति, सहायता करती है। दैनंदिन कार्य मुख्य संयुक्त आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारी के रूप में आयुक्त, उप आयुक्तों और सहायक आयुक्तों और नई दिल्ली में के.वि.सं. के मुख्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों की सहायता से बने, एक प्रशासनिक संगठन के जरिये किया जाता है। 30 सितम्बर 2003 तक, 901 विद्यालयों के प्रशासन के लिए, संगठन ने 18 क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित किए हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1997-98 से 2002-2003 की अवधि को आवृत करते हुए, संगठन की कार्य प्रणाली पर यह पुनरीक्षण के.वि.सं. (मुख्यालय) 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 163 केन्द्रीय विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच जैसा कि अनुबन्ध-I में विवरण दिया गया है, पर आधारित है।

लेखे और वित्तीय प्रबन्धन

2.1.5 वित्त और लेखे

संगठन को 1994-95 तक मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग), भारत सरकार से योजनेत्तर सहायक अनुदान के जरिये, वित्त पोषित किया गया था। 1995-96 में, 10.5 करोड़ रु. का योजनागत अनुदान पहली बार प्राप्त हुआ था। के.वि.सं., सा.क्षे.उ. के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को जुटाने के लिए, परियोजना विद्यालय के नाम से, विद्यालय खोलने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च ज्ञान के संस्थानों से भी निधियां प्राप्त करता है। परियोजना विद्यालयों को चलाने और अनुसंधान के लिए समग्र आवर्ती और अनावर्ती व्यय, प्रायोजित निकायों द्वारा किया जाना होता है। मार्च 2003 को समाप्त पूर्ववर्ती छः वर्षों के दौरान संगठन की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		अथ शेष	प्राप्त अनुदान	आन्तरिक प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	व्यय	अव्ययित शेष
1997-98	योजनागत	26.57	39.20	-	65.77	60.83	4.94
	योजनेत्तर	47.95	356.00	15.53	419.48	355.49	63.99
1998-99	योजनागत	4.94	87.98	-	92.92	70.20	22.72
	योजनेत्तर	63.99	435.00	25.42	524.41	444.66	79.75
1999-00	योजनागत	22.72	87.90	-	110.62	69.83	40.79
	योजनेत्तर	79.75	454.81	30.56	565.12	466.73	98.39
2000-01	योजनागत	40.79	95.00	-	135.79	124.52	11.27
	योजनेत्तर	98.39	477.20	30.18	605.77	485.91	119.86
2001-02	योजनागत	11.27	81.10	0.56	92.93	87.40	5.53
	योजनेत्तर	119.86	481.14	31.57	632.57	521.67	110.90
2002-03	योजनागत	5.53	85.00	-	90.53	87.98	2.55
	योजनेत्तर	110.90	544.77	32.74	688.41	560.41	128.00

योजनेत्तर के अन्तर्गत अव्ययित निधियां, 1997-98 से 2002-2003 की अवधि के दौरान 63.99 करोड़ रु. से 128.00 करोड़ रु. के बीच थी। के.वि.सं. ने बताया (फरवरी 2003) कि मंत्रालय ने, आगामी वित्तीय वर्ष के दो महीने अर्थात् मार्च और अप्रैल के वेतन के वितरण हेतु अव्ययित अनुदान को रोके रखने की अनुमति दे दी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि वर्ष 1997-98 से 2002-03 के लिए दो महीने का वेतन 51.50 करोड़ रु. से 77.86 करोड़ रु. था, फिर भी के.वि.सं. ने निधियों को जो कि उनकी आवश्यकताओं से बहुत अधिक थी, रोके रखा था।

2.1.6 निधियों का विपथन

परियोजना विद्यालय, जो कि विभिन्न सा.क्षे.उ. और उच्च ज्ञान के संस्थानों की ओर से, के.वि.सं. द्वारा चलाए जाते हैं, का व्यय, इन प्रायोजित निकायों से पूरा किया जाता है। छः महीने की आवश्यकता के लिए निधियां, प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में, के.वि.सं. के पास अग्रिम में जमा कर दी जानी होती है।

परियोजना विद्यालयों का व्यय करने के लिए 26.52 करोड़ रु. का विपथन था

लेखापरीक्षा ने देखा कि के.वि.सं. ने प्रायोजित निकायों से प्राप्त निधियों से अधिक व्यय किया। इस पर किया गया अधिक व्यय, मार्च 2003 तक 26.52 करोड़ रुपये की राशि का था जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, से प्राप्त अनुदानों में से विपथित निधियों द्वारा किया गया था। के.वि.सं. परियोजना प्राधिकरणों से राशि को वसूल करने में असफल रहा।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि मामले का उपयुक्त स्तरों पर अनुसरण किया जा रहा था।

2.1.7 बकाया देयताओं की वसूली किए बिना परिसम्पत्तियों का अन्तरण

परियोजना विद्यालयों को खोलने के लिए अनुबन्ध की निबन्धन और शर्तों के अनुसार, प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा निबन्धन और शर्तों के उल्लंघन की घटना में, के.वि.सं. को, के.वि. को बन्द करने का अधिकार है और वह भारत सरकार के परामर्श से परिसम्पत्तियों और देयताओं के वितरण की जांच करता है।

के.वि.सं. द्वारा 28 बन्द परियोजना विद्यालयों की परिसम्पत्तियां, प्रायोजित निकायों को, 11.84 करोड़ रु. की राशि की उनकी देयताओं की वसूली के बिना, अंतरित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1997-98 से 2002-2003 के दौरान, 28 परियोजना विद्यालय बन्द कर दिए गए थे, जिन्हें, उन पर किए गए व्यय के कम जमा के कारण 31-3-2003 तक 11.84 करोड़ रु., के.वि.सं. को अदा किए जाने अपेक्षित थे। के.वि.सं. ने इन प्रायोजित प्राधिकारियों को बकाया देयताओं की वसूलियों को पूरा किए बिना परिसम्पत्तियां सौंप दी थी। के.वि.सं. ने बताया (फरवरी 2003) कि परिसम्पत्तियों के स्वामित्व/दावे के अभाव में ऐसी परिसम्पत्तियों का निपटान नहीं कर सका और प्रायोजित प्राधिकरणों से देयताएं वसूल नहीं कर सका था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुबन्ध में प्रावधान है कि निबन्धन और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, के.वि.सं. को, भारत सरकार के परामर्श से परिसम्पत्तियों के वितरण का अधिकार है। संगठन को बकाया देयताओं की वसूली तक, परिसम्पत्तियों का अन्तरण नहीं करना चाहिए।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि ऐसे प्रायोजित सा.क्षे.उ. से देयताओं की वसूली करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे थे।

2.1.8 कर्मचारी समूह बीमा

संगठन ने 1 जनवरी 1983 से 'के.वि.सं.- कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1983' प्रारम्भ की। यह योजना 1 जनवरी 1987 से परिवर्तित/संशोधित की गई थी। तथापि, जैसा कि यह योजना भारत सरकार में चालू योजना के बराबर नहीं थी, के.वि.सं. ने जी.बी.नि. के परामर्श से 1 जनवरी 1993 से संशोधित योजना लागू की थी। इसे 31 दिसम्बर 1992 तक इसके सभी कर्मचारियों और उन सभी को जो सेवा में उस तिथि के बाद आए थे, पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया था।

संशोधित योजना के अन्तर्गत, कर्मचारियों से एकत्रित किये गये बचत अंश को मिलाकर जोखिम अंश के साथ-साथ समग्र किश्तें, प्रत्येक माह जी.बी.नि. को जमा की जानी थी। तदानुसार, 31 दिसम्बर 1992 को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या अर्थात् 32,055 (ग्रुप 'ए': 597, ग्रुप 'बी': 3953, ग्रुप 'सी': 21782, और ग्रुप 'डी': 5723) के आधार पर, 10.48 लाख रु. का कुल मासिक प्रीमियम, जी.बी.नि. को प्रेषण हेतु कर्मचारियों से वसूल किए जाने का निश्चय किया था। इन सभी कर्मचारियों की सूची, 1 जनवरी 1993 तक जी.बी.नि. को प्रस्तुत की गई थी। जी.बी.नि. पॉलिसी में शामिल पात्रता शर्तों के अनुसार, सभी भावी कर्मचारी भी, संगठन में उनके प्रवेश की तिथि से सदस्य बन जाने चाहिए। योजना, नए सदस्यों की श्रेणी में किसी परिवर्तन और अंशदान को शामिल करने के लिए, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कर्मचारियों की संख्या में, 1 जनवरी 93 में 32055 से 31 मार्च 2002 तक 40010 वृद्धि हो गई थी। तथापि, के.वि.सं. ने कभी भी, उन कर्मचारियों के नामों जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है और नये सदस्यों को शामिल करके, कर्मचारियों की सूची को अद्यतन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, के.वि.सं. के कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 93 को और बाद में सेवा में प्रवेश किया, जी.बी.नि. के समूह बीमा कवरेज में नहीं आते थे, यद्यपि स.बी.यो. के प्रति प्रीमियम के लिए कटौतियाँ, इन कर्मचारियों से की गयी थी और के.वि.सं. द्वारा रोके रखी। आगे, 1 जनवरी 93 तक जी.बी.नि. को प्रस्तुत कर्मचारियों की सूची भी, पदोन्नति इत्यादि के कारण कर्मचारियों की श्रेणी में परिवर्तनों को शामिल करके, परिवर्तित नहीं की गई थी। के.वि.सं. ने जनवरी 1993 से मार्च 2002 तक 10.48 लाख रुपये का वहीं मासिक प्रीमियम दिया, यद्यपि इसने, बाद में अपने बढ़े हुए कर्मचारियों की संख्या से अधिक प्रीमियम वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त अवधि के दौरान, प्रीमियम के रूप में मार्च 2002 तक संग्रहित 3.18 करोड़ रुपये की संचयी राशि का अनधिकृत रूप से अवरोधन हुआ।

के.वि.सं. ने कर्मचारियों से एकत्रित किया गया 3.18 करोड़ रु. की राशि का प्रीमियम अनधिकृत रूप से रोके रखा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1993-2002 के दौरान निपटाए गए कुल 2813 मामलों में से केवल 1866 मामले जी.बी.नि. ने निपटाए थे। शेष 947 मामले जी.बी.नि. के अन्तर्गत आवृत नहीं होते थे तथा उनका निपटान के.वि.सं. द्वारा रोकी गई निधियों में से किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया था कि जी.बी.नि. ने 15 अप्रैल 2002 से पॉलिसी वापस ले ली क्योंकि के.वि.सं. कर्मचारियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने में विफल रहा। पालिसी का प्रतिदान मूल्य 11.05 करोड़ रु. पर नियत किया गया था जो दिसम्बर 2002 से अक्टूबर 2003 तक किशतों में प्राप्त किया गया था। संगठन ने, अप्रैल 2002 से एक नई कर्मचारी कल्याण योजना आरंभ की।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2003) कि प्रीमियम इस आशय से रोका गया था कि कर्मचारियों की मुख्य सूची को अद्यतन करके राशि जी.बी.नि. को प्रेषित की जाएगी। तथापि, के.वि.सं. द्वारा सूची को कभी भी अद्यतन नहीं किया गया था तथा उन्होंने जनवरी 1993 से मार्च 2002 तक प्रीमियम के प्रति राशि को रोकना जारी रखा।

2.1.9 विद्यालय विकास निधि

प्रत्येक के.वि. में छात्र निधि, अनुरक्षण तथा विकास निधि तथा विज्ञान निधि को मिलाकर अप्रैल 2000 में विद्यालय विकास निधि (वि.वि.नि.) सृजित की गई थी। यह निधि कक्षा XI तथा XII के विज्ञान विद्यार्थियों, जिनसे 125 रु. प्रतिमाह की दर से अंशदान लिया, के अतिरिक्त विद्यार्थियों से 100 रु. प्रतिमाह की दर से प्राप्त अंशदानों में से अनुरक्षित की गई थी। वि.वि.नि., विद्यालय के केवल अनुरक्षण तथा विकास उद्देश्य हेतु देखरेख करने के लिए अभिप्रेत थी। ये दरें 1 अप्रैल 2002 से क्रमशः 120 रु. तथा 150 रु. तक संशोधित की गई थी। वेतन, कार्यालयी खर्च तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण/मरम्मत कार्यों के अतिरिक्त विद्यालयों के समस्त व्यय इस निधि में से किए जाने थे। इस निधि को एक पृथक बैंक खाते में रखना अपेक्षित होता है तथा जहाँ तक संभव हो, एक वर्ष में संग्रहीत राशि का सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर वर्ष के भीतर ही उपयोग किया जाना होता है।

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान 8 राज्यों के, 47 विद्यालयों में वि.वि.नि. के उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वि.वि.नि. के ब्यौरे (2000-2001)				वि.वि.नि. के ब्यौरे (2001-2002)			
		के.वि. की सं.	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	अंत शेष/उपयोग में कमी (%)	के.वि. की सं.	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	अंत शेष/उपयोग में कमी (%)
1.	दिल्ली	8	395.17	231.14	164.03 (42%)	8	459.54	301.50	158.04 (34%)
2	जम्मू व कश्मीर	6	136.24	44.37	91.87 (67%)	6	174.06	66.59	107.47 (62%)
3	महाराष्ट्र	11	209.76	102.58	107.18 (51%)	11	268.99	153.82	115.17 (43%)
4	मणिपुर	1	22.43	12.37	10.06 (45%)	1	25.90	17.77	8.13 (31%)
5	राजस्थान	5	127.46	43.90	83.56 (66%)	5	188.38	80.47	107.91 (57%)
6	सिक्किम	1	18.48	12.91	5.57 (30%)	1	19.15	13.32	5.83 (30%)
7	उत्तर प्रदेश	6	130.93	55.43	75.50 (58%)	6	169.10	83.54	85.56 (51%)
8	पश्चिम बंगाल	9	164.25	96.34	67.91 (41%)	9	207.26	137.90	69.36 (33%)
	जोड़	47	1204.72	599.04	605.68 (50%)	47	1512.38	854.91	657.47 (43%)

वि.वि.नि. निधियां 2000-01 के दौरान 30 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तथा 2001-02 के दौरान 30 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक अप्रयुक्त रहीं।

विद्यालय वि.वि.नि. के अंतर्गत उनके पास उपलब्ध निधियां उपयोग करने में समर्थ नहीं थे। वर्ष 2000-01 के दौरान 30 प्रतिशत (सिक्किम) से 67 प्रतिशत (जम्मू व कश्मीर) तक तथा 2001-02 में 30 प्रतिशत (सिक्किम) से 62 प्रतिशत (ज.व.क.) तक बचत थी।

वि.वि.नि. का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के बावजूद विद्यार्थियों से प्राप्त मासिक अंशदान बढ़ा दिया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह मुद्दा उठाने के पश्चात (नवम्बर 2002) के.वि.सं. ने जनवरी 2003 में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए कि के.वि. के पास 31 मार्च 2002 को पड़ी वि.वि.नि. उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित की जाएं जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत उन के.वि. जिन्होंने इस निधि में अंशदान दिया था, का ध्यान किए बिना नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भूमि खरीदने, अतिरिक्त अनुभागों का निर्माण करने तथा फर्नीचर की खरीद करने हेतु निधियों का उपयोग करेंगे। विभिन्न के.वि. के पास 31 मार्च 2002 को कुल अधिशेष निधियां 63.91 करोड़ रु. की थी जिसमें से 50.34 करोड़ रु. अगस्त 2003 तक क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित किए गए थे। के.वि.सं. की यह कार्यवाही वि.वि.नि. नियमावली, जिसके अनुसार विद्यार्थियों से संग्रहीत निधियां केवल उनके विद्यालयों के अनुसूक्षण तथा विकास के उद्देश्य हेतु खर्च की जानी थी, का उल्लंघन करना थी। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों का वि.वि.नि. का उपयोग करने में असमर्थ रहने के बावजूद के.वि.सं. ने अंशदान की मासिक दरें सभी विद्यार्थियों से 100 रु. से 120 रु. तक तथा कक्षा XI तथा XII के विज्ञान विद्यार्थियों से 125 रु. से 150 रु. तक बढ़ा दी। केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित की गई निधियों में से उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय के.वि.सं. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

शैक्षिक क्रियाकलाप

2.1.10 आदर्श विद्यालय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अक्टूबर 1995 में हुई उसके शासक मण्डल (शा.मं.) की बैठक में 50 केन्द्रीय विद्यालयों की आदर्श शैक्षिक संस्थानों के रूप में पहचान करने तथा विकास करने के प्रस्ताव पर विचार किया। बोर्ड ने, निदेशक रा.शै.अ.प्र.प. के परामर्श से केन्द्रीय विद्यालयों का आदर्श केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में विकास हेतु चयन के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाने तथा इन विद्यालयों के लिए कार्यक्रमों का अभिज्ञान कराने की इच्छा व्यक्त की।

आदर्श के.वि. के लिए प्रावधानों एवं कार्यक्रमों को शा.म. के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.वि. के अभिज्ञान हेतु निर्धारित प्रतिमानों की रिपोर्ट तथा आदर्श के.वि. के लिए अतिरिक्त प्रावधान तथा कार्यक्रम 1995 में तैयार किया गया था लेकिन इसको शासक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि, आदर्श के.वि. की योजना मार्च 1996 में, 50 के.वि. को आदर्श के.वि. के रूप में परिवर्तित करने के लिए योजनागत निधियों के आबंटन हेतु मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। व्य.वि.स. ने योजना का अनुमोदन करके यह परामर्श दिया कि इस योजना के कार्यान्वयन के दो वर्षों बाद पुनरीक्षा की जानी चाहिए। योजना में यह विचार किया गया है कि उन विद्यालयों जिनके पास के.वि.सं. के निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार भूमि तथा भवन के साथ-साथ अन्य आधारभूत सुविधा थी, पर आदर्श केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में परिवर्तन करने का विचार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अवसंरचना जैसे कम्प्यूटर, ओवरहैड प्रोजेक्टर, रंगीन टी.वी., वी.सी.आर., फोटोकॉपीयर मशीन के सृजन तथा कनिष्ठ प्रयोगशाला आदि की स्थापना हेतु निधियां उपलब्ध कराई जानी थी। यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि विद्यालयों के पास कक्षा VI से आगे के लिए सुसज्जित पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, तथा कार्यशालाएं, खेल-मैदान, अनिवार्य कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम थे। इन विद्यालयों की वरिष्ठ प्रधानाचार्यों तथा प्रेरित करने वाले शिक्षकों, जो विशेष रूप से प्रमाणित योग्यता के आधार पर चयनित हो, द्वारा अध्यक्षता की जानी थी। आदर्श विद्यालयों को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अभिनव कार्यक्रम को विकसित करने की आवश्यकता थी तथा उनकी प्रगति का के.वि.सं. मुख्यालयों में वार्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाना था।

आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित विद्यालयों पर किया गया वर्षवार व्यय नीचे सारणीकृत किया गया है:

(लाख रु. में)

वर्ष	आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित विद्यालयों की सं.	जारी की गई राशि
1996-1997	50	143
1997-1998		435
1998-1999	42	815
1999-2000	118	1816
2000-2001	238	2218
2001-2002	शून्य	1
2002-2003	शून्य	शून्य
जोड़	448	5428

(i) अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि

के.वि. को उनकी आवश्यकता का निर्धारण किए बिना निधियां जारी की गई थी।

आदर्श के.वि. में अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन/खरीद हेतु निधियां क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर जारी की गई थी न कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर। विद्यालयों में अपेक्षित अतिरिक्त अवसंरचना के ब्यौरे न तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और न ही के.वि.सं. (मु.) द्वारा आग्रह करने पर भेजे गए थे। परिणामतः सी.सु.ब. जोधपुर, सांबरा तथा एलॉग स्थित तीन के.वि. ने 33.85 लाख रु की समस्त राशि वापस कर दी क्योंकि उनके विद्यालय स्थायी भवनों में न चलने के कारण वे निधियों का उपयोग नहीं कर सके। उसी तरह के.वि. मुगलसराय ने भी 15.09 लाख रु. राशि की निधियों का उपयोग करने में अपनी असमर्थता दर्शाई क्योंकि विद्यालय बैरक में चल रहा था। तदनन्तर के.वि.सं.(मु.) द्वारा ये निधियां अन्य विद्यालयों को आदर्श के.वि. के रूप में परिवर्तित करने हेतु विपथित की गई थी।

90.14 लाख रु. की अधिक राशि जारी की गई थी।

- नौ मामलों में, उसी विद्यालय को दो बार आदर्श विद्यालयों के रूप में घोषित किया गया तथा विद्यालयों को 90.14 लाख रु. राशि की अधिक निधियां जारी की गई थी।

15 लाख रु. उन उद्देश्यों, जो योजना के अंतर्गत आवृत नहीं होते थे, के लिए विपथित किए गए थे।

- आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत के.वि. काठमांडु को 1999-00 के दौरान उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इंटरनेट कनेक्शन, फोटोकॉपीयर मशीन आदि की खरीद हेतु 15 लाख रु. जारी किए गए थे। लेकिन विद्यालयों के पास उपकरणों के प्रतिष्ठापन हेतु कोई स्थान नहीं था, उसे उन उद्देश्यों जो इस योजना के अंतर्गत आवृत नहीं होते थे, के लिए निधियां विपथित करने की अनुमति दी गई थी।

8.39 करोड़ रु. अव्ययित थे।

आठ के.वि. जिन्हें आदर्श विद्यालय घोषित किया गया था, को वर्ष 1999-00 तथा 2000-01 के दौरान जारी किये गये 80.66 लाख रु. का सितम्बर 2001 तक उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 8.39 करोड़ रु. बाकी 439 के.वि. के पास अव्ययित पड़े हुए थे, जिन्होंने योजना के अन्तर्गत निधियों को आंशिक रूप से उपयोग किया था। के.वि.सं. को अगस्त 2003 तक भी इन विद्यालयों के पास अप्रयुक्त निधियों की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी।

(ii) आदर्श विद्यालय योजना के कार्यान्वयन के अनुस्क्षण हेतु के.वि.सं. ने आवधिक रिटर्न निर्धारित नहीं की थी। के.वि.सं. के पास, 420 विद्यालयों से सम्बन्धित आदर्श विद्यालयों के अन्तर्गत, अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन सम्बन्धी आंकड़े केवल अगस्त 2001 तक उपलब्ध थे। उक्त आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि:-

28 आदर्श के.वि. में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी।

- 420 आदर्श विद्यालयों में से 28 (7 प्रतिशत) विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा बिल्कुल ही नहीं दी जा रही थी। 23 विद्यालयों में जहाँ कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही थी वहाँ कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षक भर्ती नहीं किया गया था। दूसरे विषयों के अध्यापकों जिन्हें कम्प्यूटर का कुछ ज्ञान था, शिक्षा दी जा रही थी। 29 (7 प्रतिशत) विद्यालयों में, विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी यद्यपि, कम्प्यूटरों की खरीद हेतु निधियां जारी की गई थी।

- 90 (21 प्रतिशत) आदर्श विद्यालयों में कनिष्ठ प्रयोगशालायें स्थापित नहीं की गई थी।

- 163 (39 प्रतिशत), 164 (39 प्रतिशत), 121 (34 प्रतिशत), 133 (32 प्रतिशत) तथा 119 (28 प्रतिशत) विद्यालयों में क्रमशः रंगीन टी.वी., वी.सी.आर. ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओडियो सिस्टम तथा फोटोकॉपीयर मशीनों का भी प्रावधान नहीं किया गया था।

- जैसा कि योजना के अन्तर्गत अपेक्षित था, क्रीडास्थल एवं बहुउद्देशीय हाल, क्रमशः 185 (40 प्रतिशत) तथा 357 (85 प्रतिशत) विद्यालयों में विकसित नहीं किये गये थे।

आदर्श विद्यालयों के अन्तर्गत अतिरिक्त अवसंरचना की उपलब्धता की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी (अगस्त 2003)।

(iii) योजना के प्रावधानों के अनुसार, आदर्श विद्यालयों की अध्यक्षता एक ऐसे प्रधानाचार्य द्वारा की जानी चाहिये जो एक प्रमाणित योग्यता वाला व्यक्ति हो तथा इस कार्यभार के लिए विशेषरूप से चयनित, प्रेरित अध्यापकों की एक प्रतिबद्ध टीम द्वारा समर्थित होना चाहिए। यद्यपि अभिलेखों से ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया जिससे यह ज्ञात हो कि केन्द्रीय विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय घोषित करते समय उस तथ्य पर विचार किया गया था। के.वि.सं. ने बताया (सितम्बर 2003) कि विभिन्न विवशताओं के कारण योजना के उपर्युक्त प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। के.वि.सं. द्वारा अनुभव की गयीं वास्तविक विवशताएं लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं की गई थी।

योजना में प्रावधान के बावजूद, आदर्श विद्यालय परियोजना का इसके कार्यान्वयन के दो वर्ष पश्चात भी पुनरीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार आदर्श केन्द्रीय विद्यालय योजना को केवल कुछ विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में घोषित करके तथा अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु निधियों का प्रावधान करके ही कार्यान्वित किया गया था। उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए उचित रिकार्ड/सूचना प्राप्त नहीं की गई थी। उनकी प्रगति पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय ने वांछित श्रेष्ठता का स्तर प्राप्त कर लिया है कोई आवधिक रिपोर्टें भी प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, इन विद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए कोई परिमेय मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारित नहीं थे।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (फरवरी 2003) कि कोई औपचारिक पुनरीक्षण नहीं किया गया था तथा ऐसे पुनरीक्षण के लिए मापदण्ड तैयार किये जा रहे थे।

2.1.11 अध्यापकों' का प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में 40 से 47 प्रतिशत की कमियां थी।

(i) अध्यापकों को नवीनतम अध्यापन तरीकों के प्रति अभिदर्शित करने एवं उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से के.वि.सं. परिचयात्मक, सेवा के दौरान तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि छः वर्षों के एक चक्र में सभी अध्यापकों को सम्मिलित किया जा सके। यद्यपि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण देने में 40-47 प्रतिशत तक की कमी थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	अध्यापकों की कुल सं.	प्रशिक्षित किये जाने वाले अध्यापकों की कुल सं. (कुल संख्या का 1/6वां भाग)	वास्तविक अध्यापक जो प्रशिक्षित किये गये	कमी/प्रतिशतता
1997-98	30625	5104	2705	2399/47
1998-99	30000	5000	3005	1995/40
1999-2000	29794	4966	2665	2301/46
2000-2001	29106	4851	2933	1918/40
2001-2002	32770	5461	3290	2171/40
2002-2003	के.वि.सं. द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी			

(ii) 1993 में, के.वि.सं. ने अध्यापकों व अन्य स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। ये मदुराई (दक्षिण क्षेत्र), करद (पश्चिम क्षेत्र) बोलनगीर (पूर्वी क्षेत्र), ग्वालियर (केन्द्रीय क्षेत्र) तथा सिरसा (उत्तर क्षेत्र) में स्थापित किये जाने थे। सेवा के दौरान पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, इन संस्थानों द्वारा अध्यापन, सीखने, अभिनव परिवर्तनों, प्रयोग एवं विस्तार गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री के विकास के लिए परियोजना भी शुरू करनी थी।

स्थापित किये जाने वाले पाँच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से केवल एक ही स्थापित किया गया था।

यद्यपि, पाँच क्षेत्रीय संस्थानों में से के.वि.सं. ने केवल ग्वालियर में एक भवन के निर्माण के लिए 1995 में कार्य प्रारम्भ किया था। भवन का निर्माण 1.03 करोड़ रु. की लागत से दिसम्बर 2000 में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के जरिये से किया गया था और इसे मई 2001 में के.वि.सं. को सौंपा गया था। परन्तु इसने 1 अगस्त 2002 से कार्य करना आरम्भ किया। आयोजित किये गये पाठ्यक्रमों व संस्थान में प्रशिक्षित किये गये अध्यापकों की संख्या से सम्बन्धित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी (जुलाई 2003)।

लेखापरीक्षा से यह भी सुनिश्चित हुआ कि बाकी चार क्षेत्रीय संस्थानों में स्थापित ही नहीं हो सके थे क्योंकि शैक्षिक सलाहकार समिति ने इसकी जनवरी 2003 को हुई बैठक में टिप्पणी की थी कि उन स्टेशनों पर न तो कोई विश्वविद्यालयों तथा न ही कोई प्रशिक्षण संस्थान स्थित होने के कारण, इन संस्थानों के लिए अपेक्षित भ्रमणकारी प्राध्यापक वर्ग उपलब्ध नहीं होगा। समिति ने सिफारिश की थी कि इन क्षेत्रीय संस्थानों को मैसूर, मुम्बई, कोलकाता, तथा चंडीगढ़ को हस्तान्तरित कर दिया जाये। इससे यह संकेत मिलता है कि के.वि.सं. ने पहले स्थलों को बिना उचित विश्लेषण के चयन किया था जिसके परिणामस्वरूप, चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना न की जा सकी।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि मुम्बई में क्षे.प्र.सं. 2003-04 से आरम्भ हो चुका था तथा मैसूर पर क्षे.प्र.सं. निर्माणाधीन था।

2.1.12 व्यावसायिक पाठ्यक्रम

के.वि.सं. पर भारत सरकार की पुनरीक्षण समिति ने 1995 में सिफारिश की थी कि संस्थान को आगामी तीन वर्षों में VIII तथा IX कक्षाओं में सभी के.वि. में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक श्रेणी का अनिवार्य अतिरिक्त विषयों के रूप में प्रावधान करना चाहिये। के.वि.सं. ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

के.वि.सं. ने के.वि. में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिए सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया।

लेखापरीक्षा से सुनिश्चित हुआ कि के.वि.सं. ने सभी के.वि.सं. में अनिवार्य अतिरिक्त विषयों के रूप में कार्यान्वयन हेतु, विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पहचान करने के बजाय 1999-2000 में 20 के.वि. में केवल XI तथा XII कक्षाओं के लिए ऐच्छिक विषय के रूप में, सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (सा.व्या.पा.) को आरम्भ कर दिया था। वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना का अध्ययन करने तथा व्यावसायिक अध्ययनों के नये पाठ्यक्रमों के सुझाव देने के लिए के.वि.सं. द्वारा नवम्बर 2000 में गठित एक दूसरी समिति ने टिप्पणी की (अप्रैल 2001) कि 1999-2000 में आरम्भ किये गये सामान्य पाठ्यक्रम कमजोर अवसंरचना एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता की कमी के कारण अप्रचलित थे। इस समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये पाठ्यक्रम अभी के.वि.सं. में आरम्भ किये जाने बाकी थे (जुलाई 2003)। इस प्रकार, के.वि. में अनिवार्य व्यावसायिक विषयों को आरम्भ करने के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं योजना बद्ध प्रयास नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर के.वि.सं. ने बताया (जनवरी 2004) कि वे ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की गम्भीरता से छानबीन कर रहा है जिन्हें सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सके।

अवसंरचना सुविधायें

2.1.13 विद्यालय भवन

सिविल/रक्षा क्षेत्र में 770 के.वि. में से 259 अस्थायी आवासों में कार्यरत थे।

के.वि.सं. को सिविल/रक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत चलाये जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी स्कूल भवन/स्टाफ क्वार्टरों का प्रावधान करना होता है तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत के.वि. के लिए इन सुविधाओं का प्रावधान करना होता है। यद्यपि 770 के.वि. में से 259 के.वि. ने अस्थायी आवासों में

कार्य किया, बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक उचित स्कूल पर्यावरण एवं सुविधाओं से विद्यार्थियों को वंचित रखा गया।

परियोजना प्राधिकरणों ने 1 से 35 वर्षों तक की अवधियों के बीच भूमि के.वि.सं. को हस्तान्तरित नहीं की थी।

परियोजना सैक्टर के अन्तर्गत प्रायोजक प्राधिकरण को 15 एकड़ भूमि के.वि. के खोलने की तिथि के छः महीनों के अंदर निःशुल्क देनी होती है। इस अवधि के दौरान के.वि. को प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अस्थायी आवास में चलाना होता है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया कि जून 2003 को 63 मामलों में प्रायोजनकर्ता प्राधिकरण द्वारा भूमि के.वि.सं. को हस्तान्तरित नहीं की गई थी। भूमि के.वि.सं. को हस्तान्तरण में विलम्ब की अवधि 1 से 35 वर्षों तक थी। के.वि. विद्यार्थियों को अत्यावश्यक सुविधाओं से वंचित रखते हुए अस्थायी आवासों में ही चलते रहे थे।

2.1.14 अन्य अवसंरचनाएं

लेखापरीक्षा ने निश्चित किया कि 34 के.वि. में क्रीडास्थलों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कम्प्यूटरों के लिए पृथक प्रयोगशालाएँ मल व्यवस्था, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, चार दीवारी तथा शौचालयों जैसी आवश्यक अवसंरचना सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध नहीं थी।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि सभी विद्यालयों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.15 पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण

के.वि.सं. देश भर में 901 के.वि. का प्रबन्धन करता था। के.वि.सं. के शैक्षिक खंड का अध्यक्ष संयुक्त आयुक्त होता है जिसकी सहायता के लिए दो उप आयुक्तों तथा दो सहायक आयुक्तों द्वारा की जाती है जो शैक्षिक एवं प्रशिक्षण खंडों के प्रभारी होते हैं। के.वि.सं. का प्रशासन, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) के प्रभार में होता है जिसकी सहायतार्थ दो उपायुक्त एवं दो सहायक आयुक्त होते हैं। इसके साथ प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रधान एक सहायक आयुक्त होता है। क्षेत्रीय कार्यालय के.वि.सं. के विभिन्न कार्यक्रमों/नीतियों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.1.16 शैक्षिक पर्यवेक्षण

के.वि.सं. ने स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण का निर्धारण किया है।

2.1.17 स्कूल स्तर पर पर्यवेक्षण

प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शिक्षक की डायरी इस प्रकार बनाई जाये कि (i) इससे शिक्षक को उसके दैनिक कार्य में सहायता मिले तथा (ii) इससे दूसरों को उसके कार्य को समझने तथा उसकी प्रशंसा करने में मदद मिले। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों की डायरी में से छः पाठों के अति उत्तम नोट सम्बन्धित सहायक आयुक्त को भेजे जाते हैं।

129 के.वि. सम्बद्ध सहायक आयुक्त को छः अति उत्तम पाठों के नोट नहीं भेजे रहे थे।

लेखापरीक्षा से निश्चित हुआ कि (राजस्थान, मणिपुर, असम, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू तथा कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, यू.पी., आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित) 129 के.वि. में प्रधानाचार्यों द्वारा सम्बद्ध सहायक आयुक्तों को, शिक्षक डायरी से, छः अति उत्तम पाठों के नोट नहीं भेजे जा रहे थे।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि सभी सहायक आयुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में सभी प्रधानाचार्यों द्वारा विश्लेषण एवं आगे सुधार हेतु, कम से कम छः अति उत्तम नोट प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

2.1.18 क्षेत्रीय स्तर पर पर्यवेक्षण

वार्षिक खण्ड निरीक्षण करने में भारी कमी थी।

के.वि. के अचानक दौरों के अतिरिक्त, शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वार्षिक खण्ड निरीक्षण करना भी अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि भुवनेश्वर क्षेत्र में 1997-98 तथा 2002-2003 के बीच किये जाने वाले अपेक्षित 282 वार्षिक निरीक्षणों के प्रति केवल 207 के.वि. का ही निरीक्षण किया गया था। कवरेज में कमी, क्षेत्र में शिक्षा अधिकारी के पद के रिक्त रहने के कारण थी।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया कि (जनवरी 2004) कि सभी सहायक आयुक्तों को वार्षिक खण्ड निरीक्षण तथा उनके क्षेत्र अधिकार के अन्तर्गत सभी के.वि. का अचानक निरीक्षण किये जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया है जैसा कि समय समय पर अनुदेश जारी किये गये थे।

सलाहकार एवं नियामक निकाय की बैठकें

2.1.19 मूल समितियां

के.वि.सं., इसकी सामान्य निकाय जिसे संगठन कहते हैं के माध्यम से कार्य करता है, इसकी कार्यकारिणी समिति को बोर्ड कहते हैं जिसका प्रधान मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। बोर्ड की सहायतार्थ, इसके द्वारा गठित तीन स्थायी समितियां, अर्थात् वित्तीय समिति, शैक्षिक सलाहकार समिति तथा निर्माण समिति होती है। साधारण सभा की वर्ष में कम से कम एक, शासक मंडल की एक वर्ष में तीन बार बैठक होनी अपेक्षित है तथा इसकी बैठकों से पूर्व तीनों स्थायी समितियों की बैठकें होनी चाहिये। 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2003 के बीच हुई इन समितियों की बैठकें निर्धारित संख्या से बहुत कम थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

क्रम सं.	समिति का नाम	होने वाली बैठकों की बारम्बारता	बैठकें जो वास्तव में हुई (प्रतिशत कमी)					
			1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	सामान्य सभा	1	शून्य (100%)	1 (शून्य)	1 (शून्य)	शून्य (100%)	शून्य (100%)	शून्य (100%)
2	शासक मंडल	3	शून्य (100%)	3 (शून्य)	2 (33%)	2 (33%)	1 (67%)	शून्य (100%)
3	वित्त समिति	3	1 (67%)	2 (33%)	1 (67%)	2 (33%)	2 (33%)	1 (67%)
4	शैक्षिक सलाहकार	3	1 (67%)	2 (33%)	1 (67%)	2 (33%)	1 (67%)	2 (33%)
5	निर्माण	3	1 (67%)	2 (33%)	1 (67%)	1 (67%)	1 (67%)	1 (67%)

मूल समितियों की बैठक नियमित रूप से नहीं की गई।

इस प्रकार, सामान्य निकाय की बैठक केवल 1998-99 और 1999-2000 के दौरान की गई और उसके बाद कोई बैठक नहीं की गई। इसी प्रकार, शा.मं. की बैठकें भी नहीं की गई थी जैसा करना अपेक्षित था और स्थायी समितियों की बैठकें, बोर्ड की बैठकों की संख्या से भी कम थी। तीन स्थायी समितियों की बैठकें शा.मं. की बैठकों से पूर्व नहीं की जा रही थी। ऐसा भी देखा गया कि कार्य समिति की 27 दिसम्बर 2002 को, वित्त समिति की 12 दिसम्बर 2001 और 30 दिसम्बर 2002 को और शैक्षिक सलाहकार समिति की 22 नवम्बर 2001, 15 जनवरी 2002, 7 अक्टूबर 2002 और 13 जनवरी 2003 को हुई बैठकों के कार्यवृत्त शा.मं. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे क्योंकि सितम्बर 2001 के बाद इसकी बैठक नहीं की गई थी। मूल समितियों की बैठकों में भारी कमी, के.वि.सं. के कार्यों पर संगठन के अनुश्रवण और नियंत्रण के अभाव को दर्शाती थी।

2.1.20 क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ

अप्रैल 1987 में, शा.मं. ने यह निर्णय लिया कि के.वि. के सामान्य कार्य और उनके शैक्षिक निष्पादन का आवधिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की जाएंगी। क्षेत्रीय सलाहकार समिति में 12 सदस्य होते हैं और उसकी अध्यक्षता सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा सचिव द्वारा की जाती है।

नमूना जांच किए गए 17 क्षेत्रों में से केवल एक में ही क्षेत्रीय सलाहकार समिति कार्यरत थी।

17 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चला कि आठ क्षेत्रीय कार्यालयों (मुम्बई, लखनऊ, सिल्वर, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलौर और जम्मू) में कोई क्षेत्रीय सलाहकार समिति गठित नहीं की गई थी और छः अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों (भुवनेश्वर, गांधीनगर, भोपाल, जबलपुर, पटना और जयपुर) में क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गईं लेकिन कोई बैठक नहीं की गई थी। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने इस विषय पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। केवल चण्डीगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय सलाहकार समिति कार्यरत थी। हैदराबाद में यद्यपि क्षेत्रीय सलाहकार समिति अक्टूबर 2000 में बनाई गई थी, लेकिन 2001-02 के बाद कोई बैठक नहीं की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किए जाने पर, के.वि.सं. ने बताया (जनवरी 2004) कि जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ गठित नहीं की गईं थी, उन्हें तुरन्त गठित करने के लिए कहा गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों जहाँ क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की बैठकें आवधिक नहीं बुलाई गईं थी उन्हें नियमित रूप से बैठकें करने के निर्देश दिए गए थे।

2.1.21 विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ

संगठन प्रत्येक के.वि. हेतु उसके सामान्य पर्यवेक्षण और दैनंदिन प्रबन्धन के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति (वि.प्र.स.) गठित करता है। वि.प्र.स. को एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करनी चाहिये।

वि.प्र.स. की बैठकों की कमी 4 से 83 प्रतिशत तक की थी।

28 राज्यों के अन्तर्गत 163 के.वि. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच करने से पता चला कि 27 राज्यों के 139 के.वि. में 1997-98 से 2002-03 अवधि के दौरान, वि.प्र.स. की बैठकों की कमी चार प्रतिशत (छत्तीसगढ़) से 83 प्रतिशत (झारखंड) के बीच थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, के.वि.सं. ने बताया (जनवरी 2004) कि सभी के.वि. को शिक्षा संहिता के उपबद्धों का पालन करने और वि.प्र.सं. की समुचित रूप से अनिवार्य बैठकों को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी।

2.1.22 अभिभावक अध्यापक संघ

के.वि.सं. ने प्रत्येक के.वि. में शिक्षा सुविधाओं को सुधारने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों के सहयोग को प्रोत्साहन देने और विद्यार्थियों की भलाई के लिए अभिभावकों और अध्यापकों के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करने हेतु 'अभिभावक अध्यापक संघ' (अ.अ.सं.) को संगठित करने का अनुमोदन प्रदान किया। अ.अ.सं. का प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति में निहित है जो सात सदस्यों जिनमें चार अभिभावक सदस्य हैं, से बनी है। कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता प्रधानाचार्य करेगा जो संघ का पदेन चैयरमैन है।

42 के.वि. में अ.अ. सं. विद्यमान नहीं था।

लेखापरीक्षा से सुनिश्चित हुआ कि (अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और दिल्ली में स्थित) 42 के.वि. में अ.अ.सं. गठित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस समिति के गठन करने को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया था।

के.वि.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2004) कि इस संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

2.1.23 निष्कर्ष

- यद्यपि के.वि.सं. की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता बढ़ाने और प्रगति करने के लिए की गई थी, इसने शैक्षिक और संगठनात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन के ऊपर उचित नियंत्रण और अनुश्रवण का कार्य नहीं किया था।
- कुछ के.वि. को आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करने की योजना शासक मंडल के अनुमोदन के बिना कार्यान्वित की गई थी। जबकि 448 के.वि. पर 54.28 करोड़ रु. खर्च किए गए थे, यह देखने के लिए कि क्या उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया था।
- विकासात्मक गतिविधियों के लिए निश्चित की गई विद्यालय विकास निधि किसी निश्चित कार्ययोजना की कमी के कारण अधिकतर अप्रयुक्त रहीं।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

अध्याय III : शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

शहरी विकास विभाग

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राईवेट अस्पतालों तथा औषधालयों को भूमि का आबंटन

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) अस्पतालों तथा औषधालयों को रियायती दरों पर सांस्थानिक भूमि की शर्तों को लागू करने में विफल रहा। इन आबंटनों में प्राथमिक उद्देश्य, मानदण्डों के अनुसार, गरीबों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करना था। यह प्राप्त नहीं हुआ था। भूमि का आबंटन तीन अपात्र संस्थाओं को किया गया था जिससे दि.वि.प्रा. 38.54 करोड़ रु. के राजस्व से वंचित रह गई। बकाया प्राप्यों के अप्रभावी अनुसरण के कारण 3.54 करोड़ रु. के बकाया का संचयन हुआ।

विशिष्टताएं

- दिशानिर्देशों के उल्लंघन में रियायती दरों पर तीन अपात्र संस्थाओं को भूमि के आबंटन से दि.वि.प्रा. 38.54 करोड़ रु. के राजस्व से वंचित रह गया।
- गरीब रोगियों को 25 प्रतिशत अन्तरंग निःशुल्क तथा 40 प्रतिशत बाह्य उपचार के प्रावधान का अनुबन्धन करते हुये आबंटन की शर्तों को मॉनीटर करने में विफल रहने पर रियायती दरों पर भूमि के ऐसे आबंटन का प्राथमिक उद्देश्य विफल हो गया तथा गरीब रोगी निःशुल्क उपचार के लाभ से वंचित रह गये।
- आबंटन के निबन्धन एवं शर्तों के उल्लंघन में अस्पतालों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों को निपटाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- दि.वि.प्रा. सरकार के प्रतिनिधि को अस्पताल की प्रशासनिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए शर्त शामिल करने में विफल जिससे यह सुनिश्चित हो सकता था कि गरीब रोगियों के लिए चिकित्सा देखभाल की बचनबद्धता का पालन किया गया था।
- रियायती दरों पर भूमि के आबंटित 27 में से तेइस अस्पतालों ने 4 से 30 वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद जुलाई 2003 तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया था।

- प्रीमिया, भूमि किराया तथा उस पर ब्याज पर बकाया प्राप्यों के अपर्याप्त तथा अप्रभावी अनुसरण के परिणामस्वरूप आबंटितियों के विरुद्ध 3.54 करोड़ रु. के बकाया का संचायन हुआ।

3.1.1 प्रस्तावना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) दि.वि.प्रा. (विकसित नजुल भूमि का निपटान)। नियमावली, 1981 के प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा रिहायशी प्लाटों का निपटान करता है। नियम 5 अनुबंधित करता है कि दि.वि.प्रा. सामाजिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं को अस्पतालों तथा औषधालयों के निर्माण के लिए नजुल भूमि आबंटित कर सकता है। प्रीमियम तथा भूमि किराया भारत सरकार द्वारा नियत किया जायेगा। सार्वजनिक संस्थाओं को नजुल भूमि का आबंटन नियम 20 में निर्धारित कुछ शर्तों के पूरा होने के अधीन है।

मई 2003 तक, दि.वि.प्रा. ने 65 धर्मार्थ संस्थाओं को भूमि आबंटित की थी जिसमें से 53 अस्पतालों¹ तथा 12 औषधालयों² (तीन अस्पतालों जहां पर भूमि का कब्जा अभी दिया जाना है को शामिल करके) के निर्माण के लिये थी। इन संस्थाओं को भूमि का आबंटन 1995-96 तक संघ शहरी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर नियत की गई तथा इसके पश्चात मंत्रालय के साथ परामर्श से दि.वि.प्रा. द्वारा नियत की गई भिन्न रियायती दर पर किया गया था। 42 अस्पतालों तथा औषधालयों को आबंटित भूमि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से भूमि के आबंटन तथा आबंटन की शर्तों को लागू करने एवं दोनों में विभिन्न अनियमितताओं तथा कमियों का पता चला, जिससे ऐसी संगठनों को रियायती दरों पर आबंटन के मुख्य उद्देश्य को क्षति पहुंचाई।

3.1.2 संगठन

दिल्ली में धर्मार्थ तथा अन्य संगठनों को अस्पतालों तथा औषधालयों के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन का कार्य दि.वि.प्रा. के भूमि निपटान विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग आयुक्त (भूमि निपटान) की अध्यक्षता में है जो निदेशक (भूमि), उप-निदेशक (सांस्थानिक भूमि) तथा अन्य अधीनस्थ स्टाफ द्वारा सहायता प्राप्त होता है।

भूमि किराये की वसूली सहित प्राप्तियों के लेखांकन की निगरानी निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) द्वारा की जाती है जो उप-मुख्य लेखा अधिकारी (भूमि लागत निर्धारण) तथा अन्य अधीनस्थ स्टाफ द्वारा सहायता प्राप्त होता है।

¹ अस्पताल: रोगियों को अन्तरंग तथा बाह्य उपचार सुविधायें दोनों उपलब्ध कराता है।

² औषधालय: रोगियों को केवल बाह्य उपचार सुविधायें उपलब्ध कराता है।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अप्रैल 2003 से जुलाई 2003 तक किये गये पुनरीक्षण में 1981-82 से 2000-2001 की अवधि के दौरान अस्पतालों तथा औषधालयों को भूमि के आबंटन से सम्बंधित दि.वि.प्रा. की सांस्थानिक भूमि शाखा के अभिलेखों तथा प्राप्यों की वसूली से सम्बंधित भूमि बिक्री लेखा (नजुल लेखा) शाखा के अभिलेखों की जांच निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:-

- प्राइवेट अस्पतालों तथा औषधालयों को भूमि का आबंटन समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों के अनुसार किया गया था।
- भूमि तथा भूमि किराये का प्रीमियम भारत सरकार/दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रभारित किया गया था।
- आबंटन के निबन्धन तथा शर्तों के पालन को मॉनीटर करने के लिए कोई उपयुक्त यन्त्रावली विद्यमान है तथा
- संस्थाओं से प्राप्य तथा प्राप्त दातव्यों का उपयुक्त लेखा अनुरक्षित किया गया था।

न्यासों अथवा प्राइवेट कम्पनियों को भूमि का अनियमित आबंटन

तीन अपात्र संस्थाओं को भूमि के आबंटन से दि.वि.प्रा. 38.54 करोड़ रु. के राजस्व से वंचित रह गया

उपर्युक्त नियमावली का नियम 20 अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था करता है कि सांस्थानिक भूमि का आबंटन चाहने वाला संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए अथवा ऐसी संस्थान किसी सरकार अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा हो अथवा उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित होना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्तमान दिशा निर्देशों के उल्लंघन में तीन अपात्र संस्थाओं को आबंटन वाणिज्यिक दरों के बजाए रियायती दरों पर किया गया था जिससे दि.वि.प्रा. 38.54 करोड़ रु. के राजस्व से वंचित रह गया जैसी कि नीचे चर्चा की गई है:-

3.1.4 आर्य वैद्यशाला कोटटाकाल, 1902 से सार्वजनिक प्रकृति के न्यास ने एक आयुर्वेदिक सेन्टर की स्थापना के लिए दिसम्बर 1976 में भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया। तत्कालीन मुख्य कानूनी सलाहकार की सलाह पर कि उस समय लागू कानून के अन्तर्गत विधिवत गठित तथा पंजीकृत धर्मार्थ न्यास को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के बराबर माना जाए, न्यास को अप्रैल 1985 में कोण्डली परिसर में 0.8 हैक्टेयर का प्लॉट आबंटित किया गया था। मूलस्थल के विकसित न होने के कारण, तत्पश्चात् फरवरी 1987 में न्यास को दल्लूपुरा समिति परिसर में 1.10 हैक्टेयर के वैकल्पिक स्थल की पेशकश दी गई थी। अतिक्रमण के कारण यह स्थल भी सुपुर्द नहीं किया जा सका। इसी दौरान सितम्बर 1994 में तत्कालीन दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष के कहने पर लिये गये

कानूनी विकल्प के आधार पर यह निष्कर्ष लिया गया कि सार्वजनिक अथवा प्राइवेट न्यास को न तो समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति नहीं माना जा सकता और न ही नियमावली के नियम 20 अर्थ से किसी नियम के अन्तर्गत गठित अथवा स्थापित माना जा सकता है तथा इसलिए यह आबंटन हेतु हकदार नहीं था। तथापि, कड़कड़डूमा परिसर में दिल्ली सरकार द्वारा अक्टूबर 1994 में आबंटित 0.95 हैक्टेयर भूमि के प्लॉट का आबंटन कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि इस स्थिति में उलटाव आवेदक के लिए सही नहीं होगा अनुमोदन इस विशेष शर्त पर किया गया था कि न्यास अपने आप को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करवायेगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि अक्टूबर 1994 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विशेष निदेशों के बावजूद, जून 1995 में संशोधित आबंटन तैयार करते समय भी आबंटन आदेशों में स्वयं को समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का अनुबन्ध सम्मिलित नहीं किया गया था।

इस प्रकार नियमों की गलत व्याख्या से स्वरूप परिणाम एक अन्यथा अपात्र संस्था को भूमि का आबंटन हुआ। भूमि के अनियमित आबंटन से दि.वि.प्रा. 1.40 करोड़ रु. से वंचित रह गया क्योंकि आबंटन वाणिज्यिक दरों के बजाए रियायती सांस्थानिक दरों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे आबंटन के लिए इसकी पात्रता के सन्दर्भ में न्यास की प्रास्थिति में कमी के उपाय के उद्देश्य से सरकार के विशिष्ट निदेशों को आबंटन आदेशों में समाविष्ट नहीं किया गया था। गलती के लिए कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गई है।

3.1.5 धर्मशिला कैंसर प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्र, एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास ने भूमि के आबंटन के लिए जनवरी 1989 में आवेदन किया था। इसे मार्च 1990 में 14.25 लाख रु. प्रति एकड़ की दर पर दो एकड़ भूमि आबंटित की गई थी, जबकि यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत समिति के रूप में पंजीकृत नहीं था जैसा कि रियायती दरों पर भूमि के आबंटन के लिए नियमों के अन्तर्गत आवश्यक था। तत्पश्चात अप्रैल 1990 में न्यास समिति के रूप में पंजीकृत हुआ था। दिसम्बर 1992 में इसको लागू दरों के संशोधन के सम्बन्ध में न्यास के सन्दर्भ में निपटाने के सम्बन्ध में दि.वि.प्रा. के संयुक्त निदेशक (सांस्थानिक) ने पाया कि वास्तव में न्यास आबंटन हेतु विचार किये जाने का पात्र नहीं था क्योंकि न्यास इसके आवेदन/आबंटन के समय समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति नहीं था। कानूनी सलाहकार इस विचार से सहमत था तथा जनवरी 1993 में पाया कि (i) न्यास का भूमि का आबंटन प्रारम्भ से ही अमान्य था तथा (ii) क्योंकि आबंटन अमान्य था इसलिए न्यास तत्पश्चात समिति को सम्पत्ति नहीं दे सका तथा तत्पश्चात गठित समिति आबंटित भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन न्यास की परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएं नहीं ले सका। इसके कानूनी सलाहकार की असंदिग्ध सलाह के बावजूद दि.वि.प्रा. ने जून 1993 के संकल्प

द्वारा अनार्जित वृद्धि प्रभारित किये बिना न्यास को आबंटित की गई भूमि को समिति को अनुमत/पारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

चूंकि भूमि एक अपात्र संस्थान को आबंटित की गई थी, तथा आबंटन आरम्भ से ही अमान्य था, आबंटन या तो रद्द किया जाना चाहिए था अथवा वैकल्पिक रूप से रियायती सांस्थानिक दरों की बजाए समिति से वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जानी चाहिए थी। रियायती दरों पर समिति को भूमि पारित करने की अनुमति देने के प्राधिकरण का निर्णय नियमों में अनुबंधित ऐसी भूमि के आबंटन के लिए शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था इसलिए 3.11 करोड़ रु. की हानि हुई।

3.1.6 अनन्य अस्पतालों तथा अनुसन्धान संस्थान ने भूमि के आबंटन के लिए फरवरी 1997 में आवेदन किया। संस्थान को दिसम्बर 1997 में 8,097 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन किया गया था। अप्रैल 1998 में यह पता चला कि संस्थान वास्तव में जनवरी 1996 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित हुआ था तथा प्रकट रूप से सांस्थानिक रियायती दरों पर भूमि का आबंटन लेने के लिए फरवरी 1997 में ही समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था। चूंकि संस्थान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी था, यह सांस्थानिक दरों पर भूमि के आबंटन हेतु नियमों के अन्तर्गत कवर नहीं होता था। तथापि संस्थान द्वारा यह आश्वासन देने कि समिति द्वारा प्रतिष्ठापित किये गये अस्पताल के प्रबंधन में मूल कम्पनी का कोई अविष्टन नहीं होगा तथा निःशुल्क रोगी जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गये परामर्शीय क्रिया विधि के माध्यम से भेजे जायेंगे को 25 प्रतिशत बाह्य रोगी निदान तथा विस्तर सुविधायें उपलब्ध करवायेगा, दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त 1998 में आबंटन नियमित कर दिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि निदेशक स्वास्थ्य सेवायें प्रबन्धन के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने तथा सत्यापन के लिये जिम्मेवार होगा तथा दि.वि.प्रा. इसके पैनल के लेखापरीक्षकों के माध्यम से इसकी जाँच के लिए स्वतन्त्र होगा।

यद्यपि प्रारंभिक आबंटन समिति को प्रत्यक्ष रूप से किया गया था फिर भी तथ्य यह है कि रियायती दर पर भूमि के आबंटन हेतु केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल कम्पनी ने समिति के रूप में पंजीकरण किया और उसे बनाए रखा। इस प्रकार संगठन को वाणिज्यिक दरों पर भूमि का आबंटन करने में विफलता “कम्पनी” के सार तक तथा सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों में रही जिसके परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. की 34.03 करोड़ रु. की हानि हुई।

3.1.7 गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार के प्रावधान की मॉनीटरिंग के लिए शर्तों को शामिल न करना।

गरीब रोगियों को निःशुल्क अंतरंग एवं बाह्य उपचार करने की शर्त 24 मामलों में शामिल नहीं की गई थी

प्राइवेट अस्पतालों तथा औषधालयों को भूमि का आबंटन रियायती दरों पर इस शर्त पर किया जाता है कि संस्थान कुल अन्तरंग आरक्षित बिस्तरों के कम से कम 25 प्रतिशत को गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार के साथ सामान्य सार्वजनिक अस्पताल के रूप में कार्य करेगा तथा यह बाह्य विभाग में 40 प्रतिशत रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करेगा। प्राइवेट अस्पतालों तथा औषधालयों को 42 आबंटनों **अनुबन्ध-I** की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से पता चला कि 24 मामलों में दि.वि.प्रा. आबंटन पत्रों में यह शर्त समाविष्ट करने में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त पांच अस्पतालों/औषधालयों को विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि आबंटित की गई थी। तथापि, दि.वि.प्रा. इन मामलों में भी यह पता लगाने में विफल रहा कि क्या आबंटन की शर्तों में अनुबद्ध रोगियों को वास्तव में अंतरंग एवं बाह्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही की या नहीं, यद्यपि इन में से दो मामलों में, गरीब रोगियों का निःशुल्क उपचार करने की शर्त विशेष रूप से आबंटन पत्र में शामिल की गई थी।

नवम्बर 1999 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार ने अस्पतालों, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई थी, द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क उपचार सुविधाओं के पुनरीक्षण हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में चयनमैन, केन्द्रीय औषध क्रय समिति के अधीन एक समिति का गठन किया। अप्रैल 2000 में प्रस्तुत किए गए समिति के निष्कर्षों ने लोक आशंकाओं की पुष्टि की, कि लाभभोगी अस्पताल, गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे थे। तत्पश्चात् धर्मार्थ और अन्य निजी अस्पतालों द्वारा निःशुल्क उपचार सुविधाओं की प्रणाली की पुनरीक्षा हेतु जून 2000 में न्यायाधीश ए.एस. कुरैशी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की, कि आबंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए उन संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि का आबंटन रद्द किया जाना था। तत्पश्चात् जुलाई-सितम्बर 2001 में दि.वि.प्रा. ने गरीब रोगियों के निःशुल्क उपचार के प्रावधान से संबंधित उनके दायित्वों के निर्वाह हेतु 14 संस्थाओं से रिपोर्ट माँगी। केवल पांच संस्थाओं ने दि.वि.प्रा. के नोटिस का उत्तर दिया। तथापि, दोषियों के प्रति न तो कोई कारवाई प्रारम्भ की गई थी और न ही पांच संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की शुद्धता की जाँच हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।

दि.वि.प्रा. ने मई 2003 में बताया कि चूंकि अस्पतालों और औषधालयों को भूमि का आबंटन केन्द्र सरकार अथवा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग की सिफारिश पर किया गया था, अतः सम्बन्धित विभाग ने ही यह मॉनीटर करना था कि सभी शर्तों का पालन किया जा रहा था। दि.वि.प्रा. ने बाद में यह भी कहा (जून 2003) दिल्ली

सरकार के परामर्श से आबंटन की शर्तों के साथ अनुपालन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रवर्तन तन्त्र संशोधित किया जा रहा था।

निदेशक स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली सरकार, ने दि.वि.प्रा. से असहमति व्यक्त करते हुए बताया (जुलाई 2003) कि इन पहलुओं की मॉनीटरिंग के लिए निदेशालय ने कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए थे और भूमि आबंटन समिति के अनुमोदन के पश्चात ही भूमि के आबंटन हेतु दि.वि.प्रा. को मामलों की सिफारिश की थी। निदेशालय को यह पता नहीं था कि दि.वि.प्रा. द्वारा किस संस्थान को और किन शर्तों पर भूमि आबंटित की गई थी। निदेशालय, केवल दिल्ली नर्सिंग हॉम पंजीकरण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत एलौपैथिक अस्पतालों का पंजीकरण अथवा पंजीकरण का नवीकरण करते समय ही अस्पतालों का निरीक्षण करता है और इन मामलों में, जहां आबंटन की शर्तें आबंटितियों द्वारा प्रकट की जाती हैं, एक अतिरिक्त कार्यकलाप के रूप में निःशुल्क बिस्तर प्रदान करने के पहलू की जाँच करता है क्योंकि पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु यह कोई पूर्व शर्त नहीं थी।

गरीब रोगियों के निःशुल्क उपचार के प्रावधानों की मॉनीटरिंग न करने से रियायती दरों पर भूमि के आबंटन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था

प्रत्यक्षतः, दि.वि.प्रा. और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने आबंटन की शर्तों के प्रवर्तन को गम्भीरता से नहीं लिया। परिणामतः गरीब रोगियों के निःशुल्क उपचार के प्रावधान की प्रभावी मॉनीटरिंग नहीं की गई थी और रियायती दरों पर भूमि के आबंटन का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। परिणामतः आबंटितियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। आबंटन की शर्तों और उनके प्रभावी प्रवर्तन की अर्थपूर्ण मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायित्व के स्पष्ट नियतन की आवश्यकता थी।

3.1.8 आबंटन की शर्तों का पालन न करने के सूचित मामलों में कार्रवाई न करना

आबंटन की शर्तों के उल्लंघन में काम करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को डील करने के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की गई है

लेखापरीक्षा ने महसूस किया कि भूमि के आबंटन की शर्तों के उल्लंघन में अस्पतालों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को डील करने के लिए दि.वि.प्रा. अथवा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की गई है। दो मामलों में, गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध न कराने के लिए कुछ अनुदेशों के प्रति अप्रैल-नवम्बर 2002 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थी और अक्टूबर-दिसम्बर 2002 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। एक मामले में (दीपक गुप्ता मेमोरियल अस्पताल) का उत्तर जनवरी 2003 में प्राप्त हुआ था, तथापि, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि जाँचकर्ता सहायक अभियंता की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (जुलाई 2003)। छः महीने से अधिक बीतने के बावजूद, अन्य मामले (माई कामली वाली जन कल्याण धर्मार्थ न्यास) में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

एक अन्य मामले (सोधी धर्मार्थ अस्पताल), में मार्च 2001 में दिल्ली विधान सभा में उठाए गए के तारांकित प्रश्न के उत्तर में कि अस्पताल एक निजी नर्सिंग होम के रूप में कार्य कर रहा था और अत्याधिक शुल्क प्रभारित कर रहा था, सचिव स्वास्थ्य दिल्ली

सरकार ने आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अस्पताल के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए दि.वि.प्रा. को निर्देश दिया। तथापि, संस्थान के विरुद्ध रद्दीकरण कार्यवाही शुरू करने के लिए निदेशक (भूमि) के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2003)। कार्रवाई न करने के लिए कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था।

3.1.9 सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति न करना

संस्थान के सदस्य के रूप में सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति की शर्त, 39 मामलों में शामिल नहीं की गई थी

संस्थागत भूमि के निपटान के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि को परियोजना के प्रशासन हेतु उत्तरदायी पंजीकृत समिति का सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब रोगियों के लिए चिकित्सा देखभाल के वचन को पूरा किया जा सके। तथापि, दि.वि.प्रा. लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 42 में से 39 मामलों में आबंटन पत्र में इस शर्त को शामिल करने में विफल रहा।

वेनु धर्मार्थ समिति के मामले में, जहां आबंटन पत्र में शर्त शामिल की गई थी, संबंधित प्रायोजित विभाग अर्थात् दिल्ली सरकार से एक प्रतिनिधि और एक अन्य दि.वि.प्रा. से, समिति के बोर्ड में नियुक्त किया जाना था। परन्तु यह आश्वस्त करने के लिए कि क्या किसी ऐसे प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई थी, अभिलेख में कुछ नहीं था। टैगोर अकादमी के मामले में अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह पता चल सके कि क्या समिति के प्रबंधन बोर्ड पर निदेशक के रूप में दिल्ली सरकार का कोई नामिती नियुक्त किया गया था। लाला मुन्ना लाल माँगे राम धर्मार्थ न्यास के एक अन्य मामले में, सितम्बर 1997 में जारी दिल्ली के उप राज्यपाल के स्पष्ट निदेशों के बावजूद, न तो सदस्य के रूप में दि.वि.प्रा. से कोई नामिती नियुक्त किया गया था और न ही आबंटन पत्र में कोई शर्त शामिल की गई थी।

आबंटन की इस शर्त के पालन को मॉनीटर करने में दि.वि.प्रा. की विफलता ने रियायती दरों पर भूमि आबंटनों के उद्देश्य को क्षति पहुंचाई थी।

3.1.10 अस्पताल और औषधालय भवनों का समय पर निर्माण

अस्पतालों/औषधालयों के लिए भवनों के समय पर निर्माण की निगरानी के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे

आबंटन की शर्तों के अनुसार भवन के नक्शों, दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किए जाने चाहिए और उनका निर्माण, भूमि का कब्जा लेने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए। निर्माण की अवधि का विस्तार, समय समय पर दि.वि.प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनावट प्रभारों के उद्ग्रहण के साथ अथवा उसके बिना, यदि मामले की परिस्थितियां ऐसी अनुमति देती हैं, 15 वर्ष की अवधि तक (500 वर्ग मी० तक भूखण्डों के मामलों में 10 वर्ष) प्रदान किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उसके द्वारा आबंटित भूमि पर अस्पतालों/औषधालयों के लिए भवनों के समय पर निर्माण की निगरानी के लिए दि.वि.प्रा. ने कोई समेकित अभिलेख नहीं रखे थे। यह देखा गया था कि 10 मामलों में से जहां भवनों के निर्माण हेतु विस्तार प्रदान किए गए थे, विस्तार अवधि सात मामलों में समाप्त हो चुकी थी। उप-निदेशक सस्थागत भूमि ने जून 2003 में बताया कि भवन विभाग, नक्शों के अनुमोदन और संबंधित संस्था द्वारा भवनों के समापन की निगरानी के लिए उत्तरदायी था। तथापि, नक्शों के अनुमोदन के विवरण, समापन की निर्धारित तिथि, समापन की वास्तविक तिथि और विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों द्वारा भवनों के अधिभोग की तिथि भवन विभाग से प्रतीक्षित थी (जुलाई 2003)।

इस प्रकार इन मामलों में जहां विस्तार सहित निर्माण की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, आबंटितियों द्वारा भवनों के निर्माण की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि 27 में से 23 अस्पतालों, जिन्हें जनवरी 1971 से मार्च 2000 के दौरान भूमि आबंटित की गई थी, ने जुलाई 2003 तक कार्य शुरू नहीं किया था जबकि तीन अस्पतालों ने निर्माण हेतु विस्तार की मांग की थी, यद्यपि भूमि जून 1996 से जुलाई 1998 के दौरान आबंटित कर दी गई थी। शेष एक मामले में, निर्माण हेतु अनुज्ञेय 2 वर्ष की निर्धारित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी।

भूमि आबंटित किए गए 27 अस्पतालों में से, 23 ने, 4 से 30 वर्ष से भी अधिक अवधियों के बीत जाने के बावजूद कार्य शुरू नहीं किया था

3.1.11 भारी बकाया राशियां

अस्पतालों और औषधालयों को आबंटित भूमि की किश्त और भूमि के किराए के प्रति वसूलियों के अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) उत्तरदायी है। मांग के 60 दिन (सितम्बर 1995 तक 30 दिन) के अन्दर आबंटितों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, जिसे न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज उदग्राह्य है। वार्षिक ग्राउण्ड रेंट अग्रिम में देय है, जिसके न देने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। प्रीमियम के बकाया और भूमि किराया, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अन्तर्गत वसूल किए जाते हैं।

3 मामलों में 12 लाख रु. का प्रीमिया बकाया था जबकि प्रीमिया पर न दिया गया अथवा देर से दिया गया 1.43 करोड़ रु. का ब्याज अक्टूबर 2003 तक सात मामलों में बकाया था। इसके अतिरिक्त, 39 आबंटितियों से 3.42 करोड़ रु. का भूमि किराया बकाया था जबकि 36 आबंटितियों से 1.03 करोड़ रु. का ब्याज बकाया था। बकाया प्रीमिया और उस पर ब्याज 1996-97 से बाद की अवधि से संबंधित था जबकि बकाया भूमि किराया 1985-90 से बाद की अवधि से संबंधित था। वसूलियों की कोई ब्रॉडशीट अनुरक्षित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बही खातों में किए गए क्रेडिटों की शुद्धता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

बकाया राशियों की प्रभावी मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप 3.54 करोड़ रु. के बकाया का संचय हुआ

अनुरक्षित बही खाते, आबंटितियों के प्रति बकाया शर्तों की सही स्थिति को नहीं दर्शाते

निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) द्वारा अनुरक्षित बही खातों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से पता चला कि बही खातों के अनुसार बकाया राशियाँ, प्रमाणित और समय समय पर प्रबन्धन को सूचित राशियों से भिन्न थी। लेखापरीक्षा में इंगित विसंगतियों पर, यह बताया गया था (जुलाई-अगस्त 2003) कि बही खाते बकाया राशियों की सही स्थिति को निरूपित नहीं करते क्योंकि प्राप्त चालान, माँग और संग्रहण खातों में नहीं खतियाए जाने थे। यह भी बताया गया था कि माँग और संग्रहण खाते अब अद्यतन कर लिए गए थे और माँग पत्र उन दोषी व्यक्तियों को जारी किए गए थे जिनकी सूची भूमि किराया राशियों के संग्रहण हेतु वसूली अधिकारियों को भी भेजी जा रही थी।

स्पष्टतः लम्बे समय से लम्बित राशियों, जो निरन्तर चूक के मामलों में भूमि राजस्व के बकाया के रूप में भी संग्रहीत किए जा सकते थे, के प्रभावी अनुनय हेतु पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी। राशियों का प्रभावी अनुसरण, अभिलेखों के अधूरे अनुरक्षण और अविश्वसनीय बही खातों द्वारा भी व्यर्थ किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम, भूमि किराया और उस पर ब्याज का संचय हुआ। चूककर्ता संस्थाओं से राशियों का संग्रहण न करने के कारण भी उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

3.1.12 निष्कर्ष और सिफारिशें

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रियायती संस्थागत दरों पर 53 अस्पतालों और 12 औषधालयों का भूमि आबंटित की थी जिनका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार हेतु आरक्षण की सुविधा सहित सामान्य सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना था। इस प्रावधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने में दि.वि.प्रा. की विफलता में आबंटन का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- अपात्र संस्थाओं के आबंटनों को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए अथवा नियमित वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जानी चाहिए। जिन परिस्थितियों के कारण ये अनियमित आबंटन हुए, उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु उनकी भी जाँच की जानी चाहिए।
- आबंटन की शर्तों के पालन को मॉनीटरिंग हेतु एक प्रभावी तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए। आबंटन की शर्तों का पालन न करने के लिए निवारक शास्ति लगाई जानी चाहिए।
- आबंटन की शर्तों की अर्थपूर्ण मॉनीटरिंग और उनके प्रभावी प्रवर्तन के लिए दि.वि.प्रा. और दिल्ली सरकार की एजेसियों के बीच उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया जाना चाहिए।

- शिकायतों के सुधार की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए एक निस्पन्द अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए और भ्रान्त अस्पतालों और औषधालयों के प्रति समुचित कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए।

मामला सितम्बर 2003 में मंत्रालय का भेजा गया था। उसका उत्तर फरवरी 2004 तक अपेक्षित था।

पुस्तक संख्या: १२३४५
प्रकाशक: श्री. वि. वि. प्रकाशक
मुद्रण: श्री. वि. वि. मुद्रण

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण का सूचना प्रौद्योगिकी पुनरीक्षण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने अपने आवास विभाग के कम्प्यूटरीकरण पर अक्टूबर 2002 तक 2.44 करोड़ रु. का व्यय किया था। औपचारिक सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) नीति तथा सहायक नीतियों एवं क्रियाविधियों के अभाव के कारण, प्राधिकरण ने बेहतर स्थापित प्रणाली विकास चक्र का अनुसरण नहीं किया। परिणामतः आवास विभाग में चल रहे प्रार्थना पत्रों में अनिवार्य आन्तरिक नियन्त्रण की कमी थी। फ्लैटों के आबंटन तथा आबंटितियों से प्राप्यों की वसूली से सम्बन्धित डाटाबेस अधूरा, गलत तथा अविश्वसनीय था। सही तथा कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली का वांछित उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त किये बिना रह गया।

विशिष्टताएं

- हार्डवेयर, प्रणाली साफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग की लागत सहित इसके विकास पर 1.95 करोड़ रु. का व्यय करने के बावजूद 'आवास' उपयोग पूर्णतया प्रचालनात्मक नहीं था।
- फ्लैटों के आबंटन तथा आबंटितियों से प्राप्यों की वसूली से सम्बन्धित दि.वि.प्रा. का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस, अधूरा, गलत तथा अविश्वसनीय था।
- अविश्वसनीय डाटाबेस के आधार पर माँग करने के कारण आबंटितियों को अनावश्यक परेशानी हुई।
- दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अपात्र अव्यस्कों को फ्लैटों के आबंटन तथा उन्हीं व्यक्तियों को दोबारा फ्लैटों के आबंटन की जाँच सुनिश्चित करने के लिए किसी इनपुट नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं थी।
- कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस के अनुसार रद्द फ्लैटों की मॉनीटरिंग की कमी के कारण उनके पुनः आबंटन में 6 वर्ष तक का विलम्ब हुआ।
- डाटाबेस अविश्वसनीय था तथा दि.वि.प्रा. द्वारा वसूली योग्य प्राप्यों का गलत चित्रण प्रस्तुत करता था। यह मुख्यतः आबंटितियों के डाटाबेस में रद्द किये गये फ्लैटों को अद्यतन न करने के कारण था जिससे माँगों का द्विगुणीकरण हुआ। कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस के अनुसार मार्च 2000 तक आबंटनों के 19826 मामलों में 310.47 करोड़ रु. की माँग के प्रति आबंटितियों द्वारा एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया था। अन्य 46,893 मामलों में, जहाँ पर फ्लैट नगद

आधार पर आबंटित किये गये थे, 697.94 करोड़ रु. की माँग के प्रति आबंटितियों द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था।

- ठेके के अविवेकी रह करने के परिणामस्वरूप 19.88 लाख रु. के अतिरिक्त परिहार्य व्यय के अतिरिक्त एक आनलाईन आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली के लागू करने में दो वर्ष से अधिक का परिहार्य विलम्ब हुआ।
- सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 1999 में तैयार तथा दि.वि.प्रा. द्वारा नवम्बर 1999 में स्वीकार की गई, 'आवास' नाम की आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली के संचालन को लेने में विफलता के परिणामस्वरूप उपयोग साफ्टवेयर विकास के लिए 43.25 लाख रु. की लागत के प्रति आउट-सोर्सिंग द्वारा इसके प्रचालन पर अक्टूबर 2002 तक 32.88 लाख रु. का व्यय हुआ।

3.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) का गठन भारत सरकार द्वारा 30 दिसम्बर 1957 को किया गया था। इसकी मुख्य गतिविधियों (क) रिहायशी भवनों का निर्माण (ख) वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास (ग) रिहायशी, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि का विकास, (घ) खेल परिसरों सहित विशेष परियोजनाएं तथा (ङ) हरित क्षेत्रों जैसे मास्टर प्लान हरित क्षेत्रों, जिला पार्को, पड़ोसी पार्को, मनोरंजन केन्द्रों, खेल के मैदानों तथा बच्चों के पार्को का विकास तथा अनुरक्षण शामिल है।

2000-01¹ के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा किये गये आवासीय कार्य इसकी कुल प्राप्तियों तथा भुगतानों क्रमशः 25.33 प्रतिशत (249 करोड़ रु.) तथा 29.03 प्रतिशत (238 करोड़ रु.) लेखाबद्ध किये गये थे। अक्टूबर 2002 तक दि.वि.प्रा. दिल्ली में विभिन्न वर्गों को 3.15 लाख मकान आबंटित कर चुकी है।

नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ चलने तथा बेहतर सुविधाओं की सरल व्यवस्था करने के उद्देश्य से दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया 1981 में आरम्भ की गई थी। भूमि, आवास, कानूनी मामलों इत्यादि से सम्बन्धित दि.वि.प्रा. के कुछ कार्य कम्प्यूटरीकृत किये जा चुके हैं। आवास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) के तीन मुख्य उपयोग नई पद्धति पंजीकरण योजना (एन.पी.आर.एस.) आवास प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (एच.आर.ए.एस) तथा आवास के नाम से आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई. एस.) हैं।

¹ - वर्ष 2001-02 के लेखाओं को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है

3.2.2 संगठन

दि.वि.प्रा. प्रशासनिक रूप से उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में है तथा आवास विकास सहित इसके सोलाह विभाग हैं। आवास विभाग फ्लैटों का आबंटन तथा आबंटन पश्च गतिविधियाँ देखता है। आवास लेखा खण्ड प्राप्तियों, बकाया प्राप्यों की वसूली तथा कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये उत्तरदायी है। प्रणाली विभाग हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के अधिप्रापण तथा प्रतिष्ठापन उपयोग के विकास तथा उनके कार्यान्वयन माँग पत्रों तथा अन्य रिपोर्टों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है।

3.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा वर्गीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- चुने-हुये प्रचालनात्मक उपयोग अर्थात् एन.पी.आर.एस., एफ.आर.ए.एस. तथा आवास में नियन्त्रण की जाँच करना
- आबंटित किये गये फ्लैटों की मानीटरिंग के प्रबन्धन के उपयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा
- आबंटितियों से प्राप्यों की वसूली करना।

विश्वसनीयता तथा डाटा समिजस्य का निर्धारण करने के लिए दो सू.प्रौ. उपयोगों, एन.पी.आर.एस. तथा आवास द्वारा अनुरक्षित किये गये मार्च 1982 से अक्टूबर 2002 के दौरान किये गये आबंटनों के सम्पूर्ण डाटा का लेखापरीक्षा में विश्लेषण आइडिया² 2001 के नाम से कम्प्यूटर आसिस्टिड आडिटिंग टूल का उपयोग करके जून 2002 से नवम्बर 2002 के दौरान किया गया था। उसी प्रकार एच.आर.ए.एस. उपयोग का सितम्बर 1995 से अक्टूबर 2002 की अवधि के लिए लेखांकन डाटा का भी विश्लेषण किया गया था। उपर्युक्त उपयोगों तथा डाटा की जाँच करने के अतिरिक्त संगठन में सामान्य सू.प्रौ. नियन्त्रणों का विद्यमानता तथा पर्याप्तता का भी लेखापरीक्षा में निर्धारण किया गया था।

² - इंटरएक्टिव डाटा एक्स्ट्रेक्शन एंड एनालाइसिस पैकेज 2001

सू.प्रौ. उपयोगों की मुख्य विशेषताएं

सू.प्रौ. उपयोग जो अक्टूबर 2002 को आवास विभाग में प्रचालित किये गये थे की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार थी:-

3.2.4 नई पद्धति पंजीकरण योजना (एन.पी.आर.एस.)

एम.आई.जी., एल.आई.जी. तथा जनता वर्ग के मकानों के पंजीकरण तथा आबंटन के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा एक आवास योजना नामतः नई पद्धति पंजीकरण योजना 1979 आरम्भ की गई थी 1 योजना अखिल भारतीय आधार पर थी तथा इस योजना के अन्तर्गत 1,71,272 व्यक्ति पंजीकृत किये गये थे। इस आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आबंटन के लिए प्रयुक्त अनुपयोग को एन.पी.आर.एस. उपयोग नाम दिया गया था। तत्पश्चात अम्बेडकर आवास योजना 1989 जनता आवास पंजीकरण योजना 1996 तथा स्वीवत्त पंजीकरण योजना के अन्तर्गत भी यह आवासों के आबंटन के लिए इस उपयोग का उपयोग किया गया था। उपयोग में केवल निम्नलिखित क्षेत्र कवर होने थे:-

- i. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृतों के ब्यौरे,
- ii. पंजीकृतों को आबंटित किये गए फ्लैटों के ब्यौरे तथा
- iii. आबंटितियों पर की गई माँगों के ब्यौरे।

एन.पी.आर.एस. उपयोग मूल रूप से 1982 में कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (सी.एम.सी.लिमि.) द्वारा कोबोल में विकसित किया गया था तथा इसका मार्च 2000 तक उपयोग किया गया था। एन.पी.आर.एस. उपयोग अप्रैल 2000 में 'आवास' के नाम से एक नई सू.प्रा. उपयोग आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली द्वारा बदला गया था। एन.पी.आर.एस. उपयोग ने मार्च 2000 तक ऊपर उल्लिखित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आवेदनों को किये गए आबंटनों के सम्बन्ध में डाटा अनुरक्षित किया। इसके पश्चात डाटा नये उपयोग आवास द्वारा संचालित किया गया था। अप्रैल 2000 से पहले की अवधि से सम्बंधित डाटा एन.पी.आर.एस. उपयोग में बना रहा तथा नए उपयोग को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

इस उपयोग का लेखाओं की विवरणी तैयार करने तथा सितम्बर 1995 से एच.आर.ए.एस. उपयोग से डाटा लेकर आबंटितियों के माँग तथा एकत्रण का विवरण तैयार करने के लिए भी उपयोग किया गया था।

3.2.5 आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आवास) उपयोग

आवास उपयोग का विकास सी.एम.सी.लिमिटेड द्वारा आरेकल 8.0 आर.डी.बी.एम.एस., डिवेल्यर्स 2000, फ्रंट रेंड टूल आन विंडो एन टी 4.0 आप्रेंटिंग सिस्टम का प्रयोग करके किया गया था। उपयोग का उद्देश्य प्राप्तियों का लेखांकन तथा आबंटन पश्च-गतिविक्रियां जैसे कब्जा, परिवर्तन, हस्तांतरण प्रलेखों का निष्पादन इत्यादि के अतिरिक्त प्रबंधन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के पारस्परिक उपयोग के लिए आवास विभाग को ऑनलाईन सूचना प्रणाली प्रदान करना, जनता की शिकायतों का उत्तर देना पटल पर प्रत्यक्ष रूप से अभिलेखे अद्यतन करना तथा आवधिक एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार करना था उपयोग अप्रैल 2000 में प्रचालनात्मक हो गया था तथा इसने अप्रैल 2000 के पश्चात् किये गये सभी आबंटनों को डाटा अनुरक्षित किया था।

यद्यपि अप्रैल 2000 में आरम्भ किये गए नए उपयोग आवास ने अन्य पुराने पैकेजो नामतः एन.पी.आर.एस. तथा एफ.आर.ए.एस. को बदलना था, यह अक्टूबर 2002 तक पूर्णतया: चालू नहीं हुआ था। गतिविधियां जैसे आबंटितियों से प्राप्तियों का लेखांकन, लेखाओं की विवरणी तथा पूर्ण तथा पश्च 2000 आबंटितियों का माँग एवं एकगण कार्ड का अनुरक्षण अभी किया जाना था। नए उपयोग आवास का उपयोग मुख्यत फ्लैटों के आबंटन के लिए किया जा रहा था।

3.2.6 आवास प्राप्तियां लेखांकन प्रणाली (एच.आर.ए.एस.) उपयोग

इस सू.प्रौ. उपयोग का विकास प्राप्तियों के लेखांकन के सुधार तथा चालानों के सत्यापन के उद्देश्य से किया गया था तथा सितम्बर 1995 के प्रचालनात्मक किया गया था। उपयोग ने ओरेकल, आर.डी.बी.एम.एस., फार्म 2.5 तथा रिपोर्ट 2.0 का उपयोग करते हुये यूनिक्स प्लेटफाम पर कार्य किया। इसने पश्च सितम्बर 1995 से सम्बन्धित डाटा तथा 1981-1995 की अवधि से सम्बन्धित प्राप्ति डाटा का सार अनुरक्षित किया। एच.आर.ए.एस. द्वारा अनुरक्षित डाटा भी नए उपयोग आवास में स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

प्रणाली कार्यान्वयन

3.2.7 सू.प्रौ. योजना तथा नीतियों का अभाव

दि.वि.प्रा. के अभिलेखों के पुनरीक्षण के पता चला कि यद्यपि दि.वि.प्रा. ने पिछले 20 वर्षों के दौरान 2.44 करोड़ रु. से अधिक व्यय किये थे इसे संगठन के भीतर सू.प्रौ. प्रणाली से दीर्घावधि तथा लघु अवधि दोनों की स्थापना के प्रलेखित सू.प्रौ. योजना अपनानी थी। विकास/कार्यान्वयन/परीक्षण/प्रणालियों की मानीटरिंग के लिए किसी नीति

कोई प्रलेखित सू.प्रौ.
पद्धति तथा नीति नहीं
थी

अथवा क्रियाविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया था (जून 2002 तथा अप्रैल 2003) किसी औपचारिक सूचना प्रौद्योगिकी की अभी योजना नहीं बनाई गई थी परन्तु भविष्य के लिए सू०प्रौ० रोड मैप के आकलन के लिए कार्यवाहियों की जा रही थी। आगे यह भी बताया गया था कि सुरक्षा मानव संसाधनों तथा संगणना के लिए कोई औपचारिक सू०प्रौ० नहीं थी। सू०प्रौ० प्रणालियों की अभी तक कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

3.2.8 परियोजनाओं का कोई व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ नहीं किया गया

प्रणालियों के विकास के लिए दि.वि.प्रा. ने कोई मानक वर्गीकरण नहीं अपनाया था। एन.पी.आर.एस. तथा एच.आर. ए.एस. उपयोग लागू करने से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया था। नए उपयोग आवास के लिए यद्यपि व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था, इसने एन.पी.आर.एस. तथा एच.आर.ए.एस. उपयोगों के पुराने डाटा के एकीकरण पर विचार नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप उसको दिसम्बर 2002 तक एकीकृत नहीं किया जा सका तथा आवास केवल मार्च 2000 के पश्चात् पंजीकृतों के प्रबंध के लिए ही प्रणाली बनकर रह गया था। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पैसिफिकेशन (एस.आर.एस.) जो अन्ततः प्रणाली डिजाइन प्रणाली का दिशा निर्देश करना भी तैयार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऐसी भारी लागतों पर विकसित ऐसी प्रणाली द्वारा तैयार किया गया डाटा अविश्वसनीय हो गया। लेखापरीक्षा पूछताछ जिसमें इसने बताया था कि एफ.आर.ए.एस. उपयोग द्वारा तैयार किये गये लेखाओं में दर्शाये गये डाटा का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि यह अविश्वसनीय था, दि.वि.प्रा. के प्रत्युत्तर (दिसम्बर 2002) से यह प्रमाणित हो जाता है।

3.2.9 उपयोग साफ्टवेयर विकास के लिए अपर्याप्त परियोजना मानीटरिंग

आवास विभाग की सारी गतिविधियों की देखभाल करने के लिए एन आन लहिने आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली का विकास सात माह के भीतर पूरा करने के लिए 22.80 लाख रु. की लागत पर फरवरी 1997 में मैं बिरला होराइजन इन्टरनेशनल लिमिटेड (वी०एच०आई) को सौंपा गया था। ठेका परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के आधार पर फरवरी 1999 में समाप्त कर दिया गया था, जिसे अधिकारियों के अपने पहले व्यस्त होने अथवा अवकाश पर होने के कारण उनकी अनुपलब्धता के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की मागों को अंतिम रूप देने में विलम्ब पर आरोपित किया गया था।

ठेके को अविवेकपूर्ण रूप से रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप 19.88 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ

फर्म से ब्याने की 0.57 लाख रु. की राशि जब्त की गई थी। इसके पश्चात् निर्माण कार्य खुली निविदाये आमंत्रित किये बिना अप्रैल 1999 में 43.25 लाख रु. की लागत पर मै सी.एम.सी. लिमि. को सौंपा गया था तथा यह नवम्बर 1999 में पूरा हुआ था। इस प्रकार मै वी.एच.आई. के साथ ठेके के अविवेकपूर्ण ढंग से रद्द करने के

परिणामस्वरूप 19.88 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ इसके अतिरिक्त कार्य पूरा होने तथा उपयोग साफ्टवेयर लागू करने में दो से अधिक वर्षों का विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 1997 में बी.एच.आई. को सौंपे गये आवास उपयोग साफ्ट वेयर के विकास में, फ्लैटों के निर्माण पर किये गये व्यय की मानीटरिंग तथा दि.वि.प्रा. बजट में सूचीबद्ध विशेष योजना की तिथि से इसकी प्रत्यक्ष प्रगति दोनों को सरल बनाने के लिए परियोजना मानीटरिंग पर मॉड्यूल शामिल था। दि.वि.प्रा. को भविष्य में फ्लैटों के निर्माण की योजना तैयार करने में सक्षम बनाने तथा कार्य पूरा होने की लक्षित तिथियों के साथ पाशपलाइन में फ्लैटों की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए माड्यूल ने दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित नये आबंटित फ्लैटों की सूची अनुरक्षित करनी थी। तथापि 1999 में सी.एम.सी. लिमि. को दिये गये उपयोग विकास के कार्य क्षेत्र में यह माड्यूल शामिल नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निर्मित किये गए फ्लैटों, आबंटित फ्लैटों तथा किसी विशेष स्थान में, खाली फ्लैटों की स्थिति की प्रभावी निगरानी नहीं की जा सकी थी।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि आवास में निर्मित किये गये फ्लैटों की सूची की व्यवस्था की गई थी। तथापि लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि निर्माण में किये गये व्यय की मॉनीटरिंग तथा फ्लैटों के निर्माण में प्रत्यक्ष प्रगति को सरल बनाने से लिए जैसा कि बी.एच.आई. के साथ ठेके में व्यवस्था की गई थी, कोई माड्यूल नहीं था।

3.2.10 उपयोग साफ्टवेयर के अनुरक्षण पर निष्फल व्यय

आवास उपयोग साफ्टवेयर विकास सी.एम.सी.लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 1999 में पूरा किया गया था तथा नवम्बर 1999 में दि.वि.प्रा. द्वारा स्वीकार किया गया था। साफ्टवेयर की स्वीकृति की तिथि से तीन माह की वारन्टी थी। इस अवधि के दौरान, परिवर्तन, यदि कोई साफ्टवेयर में आवश्यक हो तो सी.एम.सी. द्वारा किये जाने थे, सी.एम.सी.लिमि. द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ प्रचालन के साथ अपनी जानकारी बनानी थी तथा नई अवसंरचना को बनाये रखना था। यद्यपि दि.वि.प्रा. वारन्टी अवधि जो फरवरी 2000 में समाप्त के लिए साफ्टवेयर उपयोग लेने में विफल रहा।

मार्च 2000 में सी.एम.सी.लिमिटेड ने कम्प्यूटरीकरण प्रचालन के प्रबन्धन की देखभाल करने तथा नई योजनाओं के लिए डाटा एन्ट्री तैयार करने तथा पुरानी योजनाओं के चरणबद्ध रूपान्तरण के लिए दि.वि.प्रा. की आन्तरिक टीम को प्रणाली सपुर्द करने के लिए सी.एम.सी.लिमिटेड ने मार्च 2000 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वैकल्पिक रूप से सी.एम.सी.लिमि. ने इस साफ्टवेयर तथा कानूनी मामलों के लिए दो प्रणाली व्यावसयिकों तथा एक डाटा एन्ट्री आप्रेटरों की 19.20 लाख रु० प्रतिवर्ष पर सुविधा सहायता की पेशकश की। अक्टूबर 2002 तक उपयोग साफ्टवेयर सी.एम.सी.लिमि.

उपयोग साफ्टवेयर का प्रचालन लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 32.88 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ

द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में मार्च 2000 से अक्टूबर 2002 के दौरान कुल भुगतान 32.88 लाख रु था।

इस प्रकार दि.वि.प्रा. अपने कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को प्रगामी रूप से स्व-आत्मविश्वासी बनाने तथा प्रणाली प्राप्त करने की स्थिति में लाने में विफल रहा, यद्यपि टीम में एक उप-निदेशक, एक सहायक निदेशक तथा दो कन्सोल आप्रेटर/प्रोग्रामर सी.एम.सी.लिमि. टीम के साथ सम्बद्ध थे। प्रणाली प्राप्त करने में विफलता से परिणामस्वरूप उपयोग साफ्टवेयर विकास के लिए 43.25 लाख रु. की कुल लागत के प्रति अक्टूबर 2002 तक 32.88 लाख रु. का व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त आवास उपयोग के प्रशासन के लिए सी.एम.सी. लि. द्वारा नियुक्त किये गये प्राइवेट स्टाफ का सर्वरो, डाटाबेस, उपयोग साफ्टवेयर प्रचालन प्रणाली तथा सम्बद्ध प्रयोज्यनाओं तक अभिगमन था जिसने प्रणाली को अप्राधिकृत अभिगमन तथा डाटा छलयोजना का जोखिम दर्शाया।

दि.वि.प्रा. ने बताया अप्रैल 2003 कि अपर्याप्त श्रमवृत्त के कारण इस अवस्था में आवास प्रणाली की प्रबन्धन सुविधा लेना व्यवहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं था तथा खुली निविदा द्वारा ठेका देने के लिए इसे शामिल किया जा रहा था।

सुविधा सहायता पर आवर्ती व्यय से बचने के लिए शीघ्रता से सी.एम.सी. से आवास उपयोग की सुविधा प्रबन्धन को लेने के लिए दि.वि.प्रा. के स्टाफ को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

3.2.11 उपयोग पूर्णतया प्रचालन में नहीं

अक्टूबर 2002 को उपयोग साफ्टवेयर आवास पूर्णतया प्रचालनात्मक नहीं था क्योंकि अप्रैल 2000 पूर्व आंबंटितियों का विवरण अभी विद्यमान एन.पी.आर.एस. पैकेजों से स्थानान्तरित किया जाना था। आवास का लेखांकन माड्यूल भी प्रचालनात्मक नहीं बनाया गया था क्योंकि विद्यमान एच.आर.ए.एस. उपयोग से डाटा भी प्रणाली से स्थानान्तरित नहीं किया गया था तथा आंबंटितियों से 2000 पश्च प्राप्तियों की प्रविष्टियां पुराने एच.आर.ए.एस. उपयोग पर की जानी सारी रही। माड्यूल का या जो उपयोग नहीं किया गया था अथवा आंशिक रूप से कार्यशील थे।

इसके विकास पर 1.95 करोड़ रु. का व्यय करने के बावजूद नई आवास प्रणाली से कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं हुआ था

दि.वि.प्रा. की विद्यमान साफ्टवेयर पैकेजों से डाटा के एकीकरण सहित कार्य के क्षेत्र स्पष्ट परिभाषा करने, जाँच के बिना उपयोग साफ्टवेयर की स्वीकृति में विफलता तथा लागू करने में विलम्ब से आवास विभाग, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के अधिप्रापण तथा

अनुरक्षण पर 1.95 करोड़ रु. के निवेश के वावजूद व्यापक आवास प्रबन्धन सूचना प्रणाली की सुविधा से वंचित रह गया।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि एन.पी.आर.एस. तथा एच.आर.ए.एस. डाटा एकीकृत नहीं किया जा सका कि इन दो डाटा सैटो के लिए डाटा के भारी अद्यतन तथा क्लीनिंग की आवश्यकता थी जिसके लिए पहले ही अभ्यास जारी था।

यह स्पष्ट था कि आवास उपयोग के लिया गया था तथा अप्रैल 2000 में प्रचालनात्मक बनाया गया था, दि.वि.प्रा. तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी अप्रैल 2003 तक डाटा अद्यतन करने तथा एकीकृत करने में विफल रहा।

3.2.12 अनुपयुक्त हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सूची नियन्त्रण

स्टॉक रजिस्टर घटिया ढंग से बनाये गये थे तथा सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया गया था

लेखापरीक्षा संवोक्षा से पता चला कि दि.वि.प्रा. ने अपने सू.प्रो. सम्बद्ध के ठीक अभिलेखे तैयार नहीं किये स्टॉक रजिस्टर घटिया ढंग से बनाये गये थे क्योंकि रजिस्ट्रो में प्रविष्टियां प्राधिकारी अथवा भण्डार प्रभारी द्वारा कभी भी सत्यापित नहीं की गई थी, न ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई थी। रजिस्ट्रो में प्रविष्टियों में लागत, खरीद के स्रोत्र, दिनांक सहित बीजक विवरणों का पता नहीं चलता था। कोई भी प्रमाण नहीं था कि वार्षिक प्रत्यक्ष सूची सत्यापन कमी किया गया हो।

दि.वि.प्रा. ने बताया (1 अप्रैल 2003) कि स्टॉक रजिस्टर के पुनः तैयार करने के प्रयास किये जा रहे थे तथा कि आवधिक वार्षिक निरीक्षण की प्रणाली भी अपनाई जा रही थी।

3.2.13 प्रणाली प्रलेखन नीतियों का अभाव तथा कार्यक्रम संशोधन नियन्त्रण का अभाव

आवास उपयोग साफ्टवेयर के लिए कोई प्रलेखन अनुरक्षित नहीं किया गया

किसी प्रकार की प्रलेखन प्रणाली नहीं थी तथा परिणामतः तीनो पैकेजों अर्थात् एन.पी.आर.एस., एच.आर.ए.एस. तथा आवास के सम्बन्ध में प्रणाली विकास, जाँच कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। सी.एम.सी.लिमि. द्वारा 43.25 लाख रु. की लागत पर विकीसत आवास उपयोग साफ्टवेयर जिसे उप-निदेशक (प्रणाली) द्वारा 1999 में स्वीकार किया गया था के लिए जाँच दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उपयोग साफ्टवेयर की स्वीकृति के पश्चात भी विभिन्न माड्यूलों में बारम्बार परिवर्तन किये गये थे। बहुत से माड्यूल अभी भी क्रियाशील नहीं थे।

एन पी आर एस तथा एच आर ए एस उपयोगों के लिए प्रयोक्ता नियम पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी

यद्यपि ओरेक्ल तथा डेवेलपर 2000 का उपयोग करके आवास उपयोग के लिए प्रयोक्ता नियमपुस्तिका सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा विकसित की गई थी, जुलाई 2002 से साफ्टवेयर में बाद में किये गये परिवर्तन प्रयोक्ता नियमपुस्तिका में दर्शाये नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त एन.पी.आर. एस., एच.आर.ए.एस. उपयोग के लिए प्रयोक्ता नियमपुस्तिका। प्रलेखन जो दि.वि.प्रा. के प्रचालन में थे, उपलब्ध नहीं थे। प्रयोक्ता फीड बैंक तथा मूल उपयोग में किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में कोई प्रलेखन उपलब्ध नहीं था।

अपर्याप्त प्रलेखन नीतियों से अपनाई जा रही अप्राधिकृत कार्यप्रणाली में वृद्धि हो सकती है तथा प्रणाली को सही करने, सुधार करने तथा अनुक्षण करने में प्रणाली को को कठिनाई हो सकती है। प्रयोक्ता नियमपुस्तिका को अद्यतन न करने के कारण पैकेज में किये गए परिवर्तन से वास्तविक प्रयोक्ता की अनदेशी की जा सकती है तथा गलत डाटा एन्ट्री तथा संसाधन हो सकता है।

3.2.14 पर्याप्त दुर्घटना पुनःप्राप्ति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना का अभाव

किसी सम्भाव्य घटना के मामले में डाटा हानि से बचने के लिए कोई औपचारिक दुर्घटना, पुनः प्राप्ति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना विद्यमान नहीं थी

यह उचित आश्वासन देने कि प्रचालन में अपने आप प्रणाली में दुर्घटना होने पर डाटा प्रासेसिंग आप्रेशन प्रभावीरूप से तथा समय पर पुनः सुधार हो जायेगा, दि.वि.प्रा. के पास कोई औपचारिक दुर्घटना पुनः प्राप्ति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना नहीं थी। मुख्य विन्यास मदे (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कर्मचारी तथा डाटा परिसम्पत्तियां) जो सू0प्रो कार्यकलापो की निरन्तरता के लिए अनावश्यक नहीं थे उपयुक्त जोखिम विश्लेषण के माध्यम से पहचाने नहीं गये थे तथा प्रत्युपाय चिन्हित नहीं किये गये थे।

निदेशक (प्रणाली) ने बताया (अप्रैल 2003) कि यद्यपि कोई औपचारिक दुर्घटना योजना नहीं थी किसी घटना की सम्भावना के मामले में डाटा हानि को कम करने के उद्देश्य के साथ नियमित बैकअप लिये जा रहे थे तथा कि सर्वोट बैकअप सर्वरों के अनुक्षण के लिए विभिन्न भवनों के नेटवर्क पर विचार किया जा रहा था।

व्यवसाय निरन्तरता तथा दुर्घटना पुनः प्राप्ति योजना के अभाव में दि.वि.प्रा. के सर्वरों तथा अन्य कम्प्यूटर पर प्रभाव डालने हुये महत्वपूर्ण दुर्घटना दि.वि.प्रा. के स्वचालित प्रचालनो को गतिहीन कर सकती है तथा भारी महत्वपूर्ण डाटा की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. में व्यापक तथा जाँची गई दुर्घटना पुनःप्राप्ति योजना की सभी के कारण, अनावश्यक लागत महत्वपूर्ण संसाधन विलम्ब तथा साख की हानि हो सकती है।

3.2.15 दि.वि.प्रा. एन.पी.आर.एस. तथा आवास सू.प्रौ. उपयोगों में डाटा का लेखा परीक्षा पुनरीक्षण

दि.वि.प्रा. समय-समय पर फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों जैसे एम.आई.जी.³, एल.आई.जी.⁴ जनता इत्यादि के लिए योजनाओं की घोषणा करता आ रहा है। पहली पंजीकरण योजना 1969 में खोली गई थी तथा अक्टूबर 2002 तक 30 योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं **अनुबन्ध I** जैसे ही साधारण जनता के लिए फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई योजना घोषित होती है, विशेष संख्याओं वाले आवेदन पत्र नामित बैंकों के माध्यम से बेचे जाते हैं। यह आवेदन संख्या किसी विशेष आवेदन की पहचान की कुंजी क्षेत्र बन जाती है। उन योजनाओं के मामले में जहां फ्लैटों का आबंटन पंजीकृत आवेदनो को उचित अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता हो। आवेदकों को लाटो के ड्रा द्वारा प्राथमिकता संख्या आबंटित की जाती है। ऐसी योजनाओं में जैसे ही बने हुये फ्लैट उपलब्ध होने हैं प्राथमिकता संख्या के आधार पर आबंटन कर दिया जाता है। यदि योजनाएं जैसे विजय वीर आवास योजना, पंजाब विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवास योजनाएं, कश्मीरी विस्थापियों के लिए आवास योजना, मोनीया खान झुग्गी निवासियों के लिए आवास योजना इत्यादि साधारण जनता से लिये न हो तो, फ्लैटों का आबंटन लाटो के ड्रा के द्वारा सभी पंजीकृत आवेदनों को कर दिया जाता है। आबंटितियों को नकद आधार पर अथवा किराया खरीद आधार पर भुगतान का विकल्प भी दिया जाता है। नकद आधार पर विकल्प देने वाले आबंटितियों को दातव्यों का पूरा भुगतान करने पर फ्लैटों का कब्जा दे दिया जाता है जबकि किराया खरीद के आबंटितियों को माँग पत्र में उल्लिखित आरम्भिक जमा का भुगतान करने पर कब्जा दिया जाता है। विशिष्ट अवधि के भीतर दातव्यो अथवा आरम्भिक जमा का भुगतान न करने पर, आबंटन रद्द हो सकता है। पंजीकरण तथा आबंटन की पूरी प्रक्रिया कुंजी क्षेत्र के रूप में आवेदन संख्या से साथ कम्प्यूटरीकृत की जाती है।

एन.पी.आर.एस. डाटाबेस तथा आवास डाटाबेस में रखे गये मार्च 1982 से अक्टूबर 2002 के दौरान किये गये आबंटनों के डाटा पर लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर उत्तरवर्ती पैराग्राफो में चर्चा की गई है।

³ - मध्यम आय वर्ग (एम आई जी)

⁴ निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी)

3.2.16 खाली पड़े अनिवार्य क्षेत्र

पंजीकृत/आबंटितियों के डाटाबेस में अनिवार्य क्षेत्र खाली पड़े हुये थे

योजना प्रस्तुत करते समय दि.वि.प्रा. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अधूरे आवेदन पत्र रद्द किये जायेगे। तथापि एन.पी.आर.एस. उपयोगो के 1,66,020 अभिलेखों तथा आवास में 61,661 अभिलेखों वाले पंजीकृत/आबंटित डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न अनिवार्य क्षेत्रों जैसे, आवेदक का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, प्राथमिकता संख्या, जन्म तिथि पंजीकरण राशि इत्यादि बहुत से मामलों में डाटा सहित नहीं भरे गये थे जैसा कि नीचे दिया गया है:-

डाटा बेस	खाली कालमों अथवा अवैध डाटा वाले कालमों की संख्या							
	आवेदन पत्र संख्या	आवेदन का नाम	पिता/पति का नाम	पता	जन्म तिथि	पंजीकरण राशि	प्राथमिकता संख्या	पंजीकरण संख्या
एन पी आर एस	21,647	14	41,010	10,729	15,551 **	1,103	37,745	844
आसाव	1	4	1,883	1,430	10,107 **	1,425	--	--
जोड़	21,648	18	42,893	12,159	25,658	2,528	37,745	844

** 169295 अभिलेखें जिनके प्रति कालम भी खाली थे क्योंकि आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय आवेदन पत्र में जन्म तिथि कालम नहीं दिया गया था।

इस प्रकार के अधूरे अभिलेखों के कारण डाटाबेस ने न केवल गलत चित्र प्रस्तुत किया बल्कि निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना हेतु डाटाबेस की पूछताछ के लिए प्रबन्धन भी वंचित रह गया।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि सारी सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी तथा आवेदक का नाम फीड करने की गलती को सुधारा जा रहा था।

3.2.17 स्व वित्त-पोषित योजना (एस.एफ.एस.) आबंटितियों का गलत डाटाबेस

एस एफ एस योजना के अन्तर्गत, फ्लैट प्रारम्भ से आवेदकों द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित ब्लॉक, पॉकेट इत्यादि विनिहित थे। आबंटित, आबंटित फ्लैट के निर्माण की अवस्था पर आधारित माँग के विरुद्ध भुगतान करने के लिए अपेक्षित हैं। फ्लैटों के समापन पर विशेष फ्लैट संख्या ड्रॉ के द्वारा आबंटित किये जाते हैं। आबंटित कब्जा लेने के पहले बाकी भुगतान के लिये अपेक्षित है।

एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत आबंटित किये गये 53220 फ्लैटों के प्रति केवल 8311 मामलों में आबंटन के ब्यौरे उपलब्ध थे

डाटा बेस के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 से 2001-02 के दौरान आबंटन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण फ्लैटों की

उपलब्धता से सम्बन्धित विस्तृत विवरण फ्लैटों की उपलब्धता के विरुद्ध वास्तविक रूप से 53220 फ्लैट आबंटित हुए थे, जबकि उनमें से 8311 अभिलेख ही उपलब्ध हैं, जैसाकि दि.वि.प्रा. ने सूचित किया था।

दि.वि.प्रा. ने (अप्रैल 2003) बताया कि एस.एफ.एस. आबंटन हस्तचालित रूप से जारी रहने के परिणामस्वरूप डाटाबेस में सूचनाएं उपलब्ध नहीं थीं।

इस प्रकार एस.एफ.एस. के अन्तर्गत आबंटन हस्तचालित होने के कारण एवं डाटाबेस में आबंटिती के अभिलेखों का आधुनिक न होने की बजह से कम्प्यूटरीकृत का उद्देश्य ही विफल रहा।

3.2.18 वांछनीय मापदण्ड पर नियंत्रण की कमी

अपात्र अव्यस्कों को फ्लैटों के आबंटन पर कोई जाँच निर्धारित नहीं थी

दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कम्प्यूटरीकृत डाटा के अनुसार आवेदन की तिथि को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 18 पंजीकृत अव्यस्क (अर्थात् 18 वर्ष की आयु से कम) थे। लेखापरीक्षा द्वारा 4 अभिलेखों को हस्तय जाँच से पता चला कि तीन मामलों में आवेदन वास्तव में अव्यस्क थे तथा उन्हें फ्लैट आबंटित किये गये थे जबकि एक मामले में जन्म तिथि गलती से दर्ज की गई थी अनुबन्ध II। अन्य 14 मामलों से सम्बद्ध अभिलेखे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। ऐसे मामलों पर जाँच उपलब्ध करवाने में विफलता के परिणाम स्वरूप अपात्र आवेदनों को फ्लैटों का आबंटन हुआ।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि साफ्टवेयर नियन्त्रण में कमी तथा अभाव के कारण डाटा में असंगतियां हुईं जिसे आनलाईन प्रणाली के पूर्णतया लागू हो जाने पर सुलझा लिया जाएगा।

उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि ये नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग करने से पहले डिजाइन स्तर पर तथा सुनिश्चित ढंग से उपलब्ध करवाये जाने चाहिए थे।

3.2.19 दोहरे आबंटनों/आवेदनों पर नियन्त्रण का अभाव

आबंटन के लिये दिशानिर्देशों के अनुसार, एक आवेदक को नई दिल्ली/दिल्ली/ दिल्ली छावनी में या तो उसके अपने नाम अथवा उसकी पत्नी/पति/अव्यस्क आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय मकान अथवा प्लॉट पूर्णतया: अथवा हिस्से में पट्टे पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित फ्लैट/मकान उसे पहले ही आबंटित हो अथवा भूमि स्वामी विभाग द्वारा आबंटित हो तथा

उसका माप 80 वर्ग गज से भी कम हो तो वह अन्य फ्लैट के आवेदन से लिए पात्र नहीं होगा।

अप्रैल 2000 से आगे की अवधि से लिए आवास उपयोग के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि डाटाबेस में 69 मामलों में आवेदक का नाम पिता/जीवन साथी का नाम तथा जन्म तिथि तथा पते वही थे। इन सूचीबद्ध मामलों के लेखापरीक्षा में अन्य विश्लेषण से पता चला कि:

- 11 मामलों में यद्यपि फ्लैट पहले ही आबंटित किये जा चुके थे, उसी आवेदक के नाम से अन्य आवेदन पत्र लम्बित थे।
- 43 मामलों में उसी आवेदक के दो आवेदन पत्र आबंटन हेतु लम्बित थे।
- 9 मामलों में उसी आवेदक को दो फ्लैट आबंटित किये गये थे तथा
- 6 मामलों में उसी आवेदन के प्रति दो फ्लैट आबंटित किये गये थे।

इसी प्रकार एन.पी.आर.एस. उपयोग में डाटाबेस में 1,66,020 के कुल अभिलेखों में से 23,075 अभिलेखों में कूंजी क्षेत्र अर्थात नाम, अनुरोध संख्या प्राथमिकता संख्या इत्यादि में डुब्लीकेट डाटा वाले पाये गये। इन अभिलेखों के आगे किये गए विश्लेषण से पता चला कि,

- 7496 अभिलेखों में, उसी आवेदन संख्या, पंजीकरण संख्या तथा प्राथमिकता संख्या के साथ के आवेदन को दो अथवा अधिक फ्लैट आबंटित किये गये थे। दो आबंटन प्राप्त किये गये, इसी आवेदन संख्या, पंजीकरण संख्या तथा प्राथमिकता संख्या के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से पता चला कि ये विसंगतियाँ इसलिये हुईं क्योंकि डाटाबेस अद्यतन नहीं किया गया था इसलिए डाटाबेस अविश्वसनीय हो गया था।
- 107,85 मामलों में आवेदक का नाम दोहराया गया था परन्तु पिता/जीवन साथी का नाम तथा/अथवा जन्म तिथि तथा पता अधिकतर मामलों में नहीं दिया जा रहा था, उसी अथवा दूसरो योजनाओं में उसी व्यक्ति को दोहरे आबंटन की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए डाटाबेस का अर्थपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

एन.पी.आर.एस.उपयोग में 61,657 अभिलेखों में पंजीकृत एस.एफ.एस. के डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 2825 अभिलेखे आवेदनों के डुप्लीकेट नाम, पिता/जीवन साथी नाम तथा जन्म तिथि के साथ थे। ऐसे आबंटितियों के अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ अनुबन्ध-III में दी गई हैं।

डुप्लीकेट अभिलेखों का पता लगाने के लिए प्रबन्धन द्वारा डाटाबेस का पुनरीक्षण नहीं किया गया था

इस तथ्य के कारण कि डाटा पर कोई नियन्त्रण नहीं था, उपयोग की मानीटरिंग क्षमता बहुत कम थी। अभिलेखे के द्विगुणिकरण से बचने अनिवार्य वैधता जाँचे सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन अथवा प्रणाली विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर डाटाबेस की समीक्षा नहीं की गई थी। वांछित वैध जाँचों के अभाव में स्थायी आदेशों के उल्लंघन में अव्यक्तों को फ्लैट के आबंटन तथा एक की व्यक्ति को फ्लैटों के दोहरे आबंटन पर जाँच नहीं की जा सकी।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि दोहरे आबंटन के मामलों की जाँच की जा रही थी तथा एन.पी.आर.एस. डाटा निरण के लिए अद्यतन किया जा रहा था ताकि केवल एक ही आबंटन रहे।

आबंटित डाटाबेस का अप्रभावी तथा असंयुक्त कम्प्यूटरीकरण

पूर्व तथा पश्च 2000 पंजीकृत/आबंटितियों के डाटाबेस एकीकृत नहीं किये गये थे

चूँकि एन.पी.आर.एस. में डाटाबेस, आवास डाटाबेस में एकीकृत नहीं किया गया था, लेखा परीक्षा में यह भी विश्लेषण नहीं किया जा सका कि एन.पी.आर.एस., डाटाबेस में विभिन्न योजनाओं के पंजीकृतों जैसे एन.पी.आर.एस., ए.ए.वाई.⁵ तथा जे.एच.आर.एस.⁶ योजनाओं में या तो उसी योजना अथवा भिन्न योजना में आबंटन किये गये थे जिसके लिए आवास में डाटाबेस उपलब्ध था।

इसके अतिरिक्त सामान्य आवास पंजीकरण योजना⁷ के अभिलेखों तथा आवास के लिए भूमि के आबंटितियों के अभिलेखे यद्यपि कम्प्यूटरीकृत⁸ किये गये थे, आवास डाटाबेस के साथ सम्बद्ध नहीं किये गये थे, यह देखने के लिए कि (i) सामान्य आवास योजना के आबंटितियों को तथा (ii) रिहायशी प्लॉटों/ भूमि के आबंटितियों को विभिन्न योजनाओं, जिनके लिए एल.पी.आर.एस. तथा आवास उपयोग में डाटा उपलब्ध था के अन्तर्गत भी फ्लैट आबंटित नहीं किया गया था, जिसकी कोई जाँच नहीं की गई थी।

⁵ अम्बेडकर आवास योजना

⁶ जनता आवास पंजीकृत योजना

⁷ 1969 से 1985 के दौरान घोषित की गई 7 सामान्य आवास पंजीकरण योजना के 60,000 आबंटित

⁸ वर्ष 1999 से पूर्व भूमि के लिये 44095 आबंटित कम्प्यूटरीकृत नहीं किये गये

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि 1999 से पूर्व सामान्य आवास योजना तथा आवास के लिए भूमि के आबंटितियों के डाटा फीड करने का मामला विचाराधीन था।

इस प्रकार जब कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया 1981 में प्रारम्भ हुई थी के पिछले 20 वर्ष के दौरान इन आबंटितियों का डाटा फीड करने का निर्णय लेने में दि.वि.प्रा. विफल रहा।

3.2.20 आरम्भिक आबंटन रद्द होने के पश्चात उपलब्ध होने वाले फ्लैटों की मॉनीटरिंग की कमी

डाटा बेस के आबंटन के रद्द होने की मॉनीटरिंग की कमी के कारण उनके पुनः आबंटन में 6 वर्ष तक का असाधारण विलम्ब हुआ

एक आवेदक के अनुरोध पर अथवा दातव्यो का भुगतान न करने अथवा आवास के बजाए अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के कारण फ्लैट का आबंटन रद्द हो सकता है। एन.पी.आर.एस. तथा आवास डाटा बेस के अन्तर्गत 35,934 आबंटन रद्द किये गये दर्शाये गये हैं। तथापि रद्द करने की वास्तविक तिथि डाटा बेस में उपलब्ध नहीं थी। फ्लैटों के आबंटन के रद्द करने के साथ उनके पुनः आबंटन करने के 3,454 मामलों की क्रॉस लिंकिंग से पता चला कि कम्प्यूटरों में डाटा बेस के अनुसार उनके पुनः आबंटन में एक से छः वर्षों का विलम्ब था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

आबंटन में विलम्ब	मामलों की संख्या
1 से 2 वर्ष के बीच	3303
2 से 3 वर्ष के बीच	123
3 से 5 वर्ष के बीच	17
5 से 6 वर्ष के बीच	11

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि हस्त्य कार्यप्रणाली के कारण अद्यतन नहीं किया जा सका तथा आवश्यक अद्यतन किया जा रहा था।

3.2.21 अविश्वसनीय डाटा बेस

दि.वि.प्रा. की वार्षिक रिपोर्ट तथा एन.पी.आर.एस/आवास उपयोगों में दर्शाये गये फ्लैटों के आबंटन तथा अन्य पश्च आबंटन गतिविधियों में भिन्नताओं का पता चला जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

योजना/गतिविधि का नाम	आबंटन/गतिविधि की अवधि	वर्ग	आबंटित फ्लैटों की संख्या/मामलों की संख्या	
			डाटाबेस के अनुसार	वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार
नई पद्धति पंजीकरण योजना	मार्च 2000 तक	एमआईजी	37,728	38,769
		एलआईजी	53,695	54,891
		जनता	57,222	58,288

अम्बेडकर आवास योजना 1989	मार्च 2000 तक	एमआईजी	3,302	3,400
		एलआईजी	4,704	4,622
		जनता	2,983	2,988
जनता आवास पंजीकरण योजना 1996	मार्च 2000 तक	जनता	6,386	6,344
नई पद्धति पंजीकरण योजना	2000-01	एमआईजी	772	1,197
		एलआईजी	147	204
अम्बेडकर आवास योजना 1989	2000-01	एमआईजी	283	398
		एलआईजी	48	68
जनता आवास पंजीकरण योजना 1996	2000-01	जनता	782	1032
नई पद्धति पंजीकरण योजना	2001-02	एमआईजी	949	2,677
		एलआईजी	240	454
अम्बेडकर आवास योजना 1989	2001-02	एमआईजी	317	1,654
		एलआईजी	70	1,184
जनता आवास पंजीकरण योजना 1996	2001-02	जनता	1,043	1,712
परिवर्तन मामले	2000-01	लागू नहीं	3	537
कब्जा	2000-01	लागू नहीं	0	5,218
कन्वेयंस डीड	2000-01	लागू नहीं	0	18,499
परिवर्तन	2001-02	लागू नहीं	16	837
कब्जा	2001-02	लागू नहीं	0	6,873
कन्वेयंस डीड	2001-02	लागू नहीं	0	5,091

उपयोग साफ्टवेयर के निष्पादन की कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी

यह प्रमाणित था कि यद्यपि एन.पी.आर.एस. तथा आवास उपयोग क्रमशः 1981-82 तथा 2000-01 से प्रचालन में थे, उनके निष्पादन की कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी। उपर्युक्त आंकड़ों में भिन्नता यह संकेत करती है कि डाटाबेस पर दि.वि.प्रा. द्वारा कभी विश्वास नहीं किया गया था तथा आबंटन के पश्चात की गतिविधियाँ जैसे कब्जा, परिवर्तन, कन्वेयंस डीड इत्यादि बहुत सीमित सीमा तक कम्प्यूट्रीकृत किये गये थे।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि आंकड़ों में अन्तर का अलग से सत्यापन किया जा रहा था।

3.2.22 प्राप्तियों के लेखांकन के लिए प्रणाली में डाटा की लेखापरीक्षा समीक्षा (एच.आर.ए.एस.)

विद्यमान प्रणाली के अन्तर्गत दि.वि.प्रा. की सभी आवास प्राप्तियाँ दो नामित बैंकों की 44 शाखाओं के माध्यम से एकत्रित की जाती हैं। फ्लैटों के आबंटन के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा की गई माँगों के प्रति दातव्यों का भुगतान आबंटिती द्वारा निर्धारित चालान के माध्यम से किसी भी नामित बैंक में जमा करवाया जा सकता है। विभिन्न शाखाओं द्वारा प्राप्त की गई ऐसी प्राप्तियाँ सम्बद्ध शाखा द्वारा स्क्रोल सहित उनकी नोडल शाखा को स्थानान्तरित कर दी जाती है तथा प्रत्येक चालान की प्रति स्क्रोल में लेखाबद्ध की जाती

है। बदले में नोडल शाखा एक एडवाइस के अन्तर्गत चालान सहित में स्करोल दि.वि.प्रा. को भेजती है। आबंटितियों को दातव्यों को बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से सीधे दि.वि.प्रा. के पास जमा कराने का विकल्प भी है। ये एडवाइस स्करोल तथा चालान/ड्राफ्ट सितम्बर 1995 से लागू किये गये एच.आर.ए.एस. उपयोग में कम्प्यूटर में दर्ज किये जाते हैं।

एक आबंटिती द्वारा चालान तथा बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से किये गये जमा फाइल संख्या के सन्दर्भ में अभिज्ञात किये जाते हैं। इससे 'लेखाओ की विवरणी' तथा माँग एवं संग्रह कार्डों के बनाने में सुविधा होती है। गलत अथवा अधूरे विवरणों वाले चालान उचंत लेखे को अन्तरित किये जाते हैं। तथापि जब आबंटिती भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की प्रतियों के साथ पूरा विवरण देते हुये प्रबन्धन के साथ सम्पर्क करता है तो इन चालानों की चालान संख्या तथा राशि के सन्दर्भ में सत्यापन किया जाता है।

चालान संख्या तथा राशि के आधार पर चालानों का सत्यापन सरल बनाने के लिए एच.आर.ए.एस. में पूछताछ माड्यूल होते हैं। प्रयोक्ता जिसने डाटा एन्ट्री की थी, एडवाइस, चालान तथा स्करोल के डाटाबेस में कोई भी सुधार कर सकता था।

सितम्बर 1995 से अक्तूबर 2002 तक की अवधि के लिए एच.आर.ए.एस. उपयोग के डाटा बेस की लेखापरीक्षा की समीक्षा में प्रकटित कमियों पर निम्न प्रकार चर्चा की जाती है।

3.2.23 आबंटितियों द्वारा किये गये जमा के लेखांकन में अनियमितताएँ

प्राप्तियों के लेखांकन के लिये उपयोग किये गये उपयोग साफ्टवेयर में अनिवार्य इनपुट नियंत्रणों का अभाव था परिणामतः डाटाबेस में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ हुई

विभिन्न नोडल शाखाओं में चालानों के माध्यम से आबंटितियों द्वारा किये गये जमा के लिए क्रेडिट एडवाइस नोट के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा जमा की तिथि तथा बैंक द्वारा किये गए क्रेडिट की तिथि, चालान तालिका स्क्रीन में उपलब्ध करवाये गये दो भिन्न कालमों के अन्तर्गत दर्ज की जाती है। डाटा का उपयोग आबंटिती के लेखों की विवरणी तैयार करने तथा किश्तों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गणना करने तथा आवास विभाग की प्राप्तियों के मासिक लेखाओ के संकलन करने के लिये किया जाता है। लेखापरीक्षा में विश्लेषण में इनपुट नियन्त्रणों के अभाव के कारण निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:-

- 0.37 करोड़ को आवेष्टित करते हुये 163 अभिलेखों में आबंटितियों द्वारा जमा की तिथि अभिलेखित नहीं थी।

- 0.61 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये 723 अभिलेखों में सितम्बर 1000 से जनवरी 1969 के बीच दर्ज होने के कारण जमा की तिथियां गलत दर्शायी गई थी तथा इसलिए आबंटितियों के लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं की गई थी।
- 9.53 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये 7239 अभिलेखों में आबंटिती द्वारा जमा की तिथि बैंक द्वारा क्रेडिट की गई तिथि के बाद थी।
- 132.57 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये 1,48,879 अभिलेखों में अबंटितियों द्वारा किये गये क्रेडिट के प्रति बैंक द्वारा क्रेडिट देने में 15 दिनों से एक वर्ष से अधिक तक का विलम्ब था।
- 5188 अभिलेखों में आबंटितियों द्वारा बैंक ड्राफ्टों द्वारा जमा किये गये 106.97 करोड़ रू. 'लेखाओं की विवरणी' तथा 'माँग एवं संग्रह कार्ड' तैयार करते समय लेखाबद्ध नहीं किये गये थे।
- 98.93 करोड़ रू. के आवेष्टित करते हुये ड्राफ्टों के 5016 अभिलेखों में बैंक द्वारा क्रेडिट की तिथि नहीं दर्शायी गई थी।
- बैंक ड्राफ्ट जमा करने के 24 मामलों में दोहरी प्रविष्टियाँ की गई थी परिणामतः 0.19 करोड़ रू. का अधिक क्रेडिट हुआ।
- 145.12 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये 80,554 चालान गलत फाइल विवरण के कारण उचंत लेखे में असमायोजित पड़े थे।
- यद्यपि 39.71 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये, 13643 चालानों के सम्बन्ध में, आबंटितियों के फाइल विवरण उचंत लेखे में पड़े हुये थे, जब आबंटितियों ने सम्पर्क किया पहचान कर लिये गये थे, इन चालानों को आबंटितियों के खाते में स्थानान्तरित करने के लिए डाटाबेस में आवश्यक सुधार नहीं किये गये थे।
- 50.66 करोड़ रू. को आवेष्टित करते हुये 22,396 अभिलेखों में एक ही संख्या वाले चालानों की दोहरी/बहुविध प्रविष्टियाँ की गई थी। इन अभिलेखों के आगे विश्लेषण से पता चला कि:
 - ऊपर लिखित अभिलेखों में 4934 डुप्लीकेट चालान नम्बरों वाले, यहां तक कि वही जमा की तिथि तथा बैंक कोड वाले थे।
 - 422 अभिलेखे डुप्लीकेट चालान नम्बर उसी राशि तथा क्रेडिट की तिथि वाले थे।

दोहरे/बहुविध चालानों की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में दि.वि.प्रा. ने बताया (नवम्बर 2002) कि द्विगुणीकरण मुख्यतः इस कारण था कि किशतों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान में राहत देने के लिए 1998 में एक एमनेष्टी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आबंटिती को जारी नम्बर पर लगाने के लिए क, ख तथा ग के उसी नम्बर वाले तीन चालान जारी किये गये थे तथा फार्म 'क' फ्लैट की बकाया किशतों की भुगतान के लिए तथा फार्म 'ख' तथा 'ग' बकाया दातव्यों पर उपर्जित ब्याज की पहली तथा अंतिम किशत के लिये थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एच.आर.ए.एस. उपयोग को क,ख तथा ग के वर्गीकरण का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में चालानों की दोहरी प्रविष्टि पर कोई जाँच नहीं की जा सकी।

बहुत से क्षेत्रों में वैध तथा वांछित इनपुट न होने से, नियन्त्रण नहीं दिया गया था, जमा की तिथि के कालम के अन्तर्गत गलत अथवा खाली प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप आबंटितियों के बकाया पर ब्याज की गलत संगणना हुई। क्रेडिट तिथि कालम के अन्तर्गत गलत प्रविष्टियों के कारण भी बैंकों द्वारा जमा में विलम्ब पर निगरानी रखने से विभाग वंचित रह गया इसके अतिरिक्त आबंटितियों द्वारा किये गये जमा पर ब्याज की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, उचंत लेखों को चालानों के स्थानान्तरण जिसे लेखाओं की विवरणी तथा माँग तथा संग्रह कार्ड तैयार करते समय अनदेखा कर दिया गया था, के परिणाम स्वरूप आबंटितियों के प्रति गलत माँगे जारी हुई। आबंटितियाँ द्वारा किये गये जमाओं का सत्यापन, उनके लेखाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत चालानों की प्रतियों के सन्दर्भ में किया गया था।

बैंकों ड्राफ्टों के प्रति क्रेडिट की तिथि के अभाव में डाटाबेस से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ड्राफ्ट वास्तव में दि.वि.प्रा. के बैंक खाते को क्रेडिट किये गये थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि आबंटितियों के लेखाओं को अंतिम रूप देने से पहले, उन्हें द्वारा प्रस्तुत चालानों की प्रति के संदर्भ में उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। दि.वि.प्रा. ने यह भी बताया नामित बैंक कुशल सेवाये प्रदान करने में सक्षम नहीं थे तथा आबंटितियों से संग्रह की प्रणाली को सरल बनाने तथा दि.वि.प्रा. के लेखे को तुरन्त क्रेडिट करने के लिए चार नए बैंक सूचीबद्ध किये गये थे।

3.2.24 आबंटितियों के प्रति बकाया प्राप्य

किराया खरीद आधार पर फ्लैटों के आबंटिती

किराया खरीद के आधार पर आबंटित किये गये फ्लैटों के मामलों में व्यक्ति को नामित बैंक/शाखा में प्रत्येक माह 10 वीं तारीख तक किश्त का भुगतान करना था। चूक के मामले में, आबंटन की शर्तों के अनुसार वह विलम्बित/ गैर-भुगतान के लिए शास्ति का भुगतान का दायी था। किश्तों का भुगतान न करने के मामले में, फ्लैट का आबंटन भी रद्द हो सकता था। एच.आर.ए.एस. उपयोग में डाटाबेस से यह पता चला कि:-

एच आर ए एस डाटाबेस के अनुसार, 19826 मामलों में आबंटितियों ने 310.47 करोड़ रु. की माँग के प्रति एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया था

- 19826 मामलों में आबंटितियों द्वारा एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया था। इसमें 9319 मामले शामिल थे जहां पर आबंटन 1990 से पहले किया गया था तथा 7335 मामले जहां पर आबंटन 1991-95 के दौरान किया गया था। मार्च 2002 तक इन मामलों में कुल प्राप्य बकाया, गैर भुगतान/विलम्बित भुगतान के सम्बन्ध में 254.60 करोड़ रु. के ब्याज को छोड़कर 310.47 करोड़ रु. था।
- नीचे की तालिका दि.वि.प्रा. द्वारा अनुरक्षित किये गये कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस के अनुसार वर्ष 2000 तक किये गये आबंटनों के सम्बन्ध में किश्तों के विलम्बित/गैर-भुगतान के मामले दर्शाती है:-

(करोड़ रु. में)

आबंटन का वर्ष	प्रदत्त किश्तों की प्रतिशतता						बकाया राशि	
	शून्य	10 से कम	11-25 के बीच	26-50 के बीच	51-75 के बीच	75-100 के बीच	लागत	ब्याज
	मामलों की संख्या							
1990 तक	9,319	8,405	5,851	6,958	9,898	12,809	317.73	485.10
1991-95	7,335	2,230	924	909	932	778	218.47	197.03
1996-00	3,172	1,135	702	535	351	446	112.42	52.68
जोड़	19,826	11,770	7,477	8,402	11,181	14,033	648.62	734.81

यद्यपि आंकड़े मामलों की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं, वे संकेत देते हैं कि डाटाबेस महत्वपूर्ण ढंग से अविश्वसनीय था।

नकद आधार पर फ्लैटों के आबंटिती

नकद आधार पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित फ्लैटों तथा एस.एफ.एस. योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित फ्लैटों के मामले में भी आबंटिती को कब्जा प्राप्त करने से पहले माँग के प्रति पूरा भुगतान करना था। एन.पी.आर.एस. तथा आवास उपयोग में

आबंटितियों का एच.आर.ए.एस. उपयोग में डाटाबेस के साथ क्रॉस लिंकिंग करने पर पता चला कि:-

- 4676 मामलों में एस.एफ.एस. योजना को छोड़ कर अन्य विभिन्न योजनाओं में 204.74 करोड़ रु. की माँग के प्रति कोई भुगतान नहीं था जबकि 2289 मामलों में 85.02 करोड़ रु. की माँग के प्रति 57.10 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था।
- 10547 मामलों में, एस.एफ.एस. योजनाओं के अन्तर्गत 219.47 करोड़ रु. की माँग के प्रति आबंटितियों द्वारा 176 करोड़ रु. का कम भुगतान किया गया था, जबकि 42217 मामलों में 493.20 करोड़ रु. की माँग के प्रति कोई भुगतान नहीं किया गया था।

आबंटितियों के प्रति बकाया प्राप्यों की मॉनीटरिंग के अभाव में एच आर ए एस डाटाबेस के अनुसार 1579.66 करोड़ रु. के बकाया का संचयन हुआ

इस प्रकार बकाया प्राप्यों की मॉनीटरिंग के अभाव के कारण दि.वि.प्रा. द्वारा अनुरक्षित किये गये कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस के अनुसार ब्याज को छोड़कर 1579.66 करोड़ रु. तक के बकाया का संचयन हुआ।

जनवरी 2003 तक चूककर्ताओं के प्रति की गई कार्यवाही सूचित नहीं की गई है। वित्तीय सलाहकार (आवास) वर्षानुवर्ष प्रणाली विभाग द्वारा तैयार की गई लेखाओं की विवरणी तथा माँग तथा संग्रह कार्डों को आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये चालानों की प्रतियों के सन्दर्भ में संकलित करने तथा अलग-अलग लेखाओं के सुधार के उपयुक्त कार्यवाही करने तथा चूककर्ताओं के प्रति कार्यवाही करने में विफल रहा।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि सत्यापन की हस्त्य तथा व्यक्तिगत मामलों में लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रणाली को ध्यान में रखते हुये दि.वि.प्रा. का वित्तीय हित पूर्णतया सुरक्षित था तथा वसूली अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करके तथा आबंटितियों को चूककर्ता नोटिस जारी करके पुराने बकायों की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

अविश्वसनीय डाटाबेस के आधार पर माँग करने के कारण आबंटितियों को अनावश्यक परेशानी हुई

उपर्युक्त पैरा 3.2.23 तथा 3.2.24 में की गई टिप्पणियों को देखते हुये एच.आर.ए.एस. में अनुरक्षित किया गया डाटा अविश्वसनीय है। इस प्रकार दि.वि.प्रा. द्वारा अविश्वसनीय डाटा के आधार पर की गई माँग के कारण आबंटितियों को अनावश्यक परेशानी हुई।

3.2.25 चैकों का अधूरा डाटा

पंजीकृतों द्वारा किये गये जमा की वापसी में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किये गये चैकों के लिये उपयोग में पृथक माड्यूल था। यह पता चला था कि:

- चैकों की प्रविष्टियाँ जुलाई 1996 से अप्रैल 1997 तथा जनवरी 2000 से मार्च 2002 तक की गई थी।
- जारी किये गये 30,394 चैकों के प्रति केवल 6 मामलों में ही बैंक द्वारा चैकों के डेबिट की तिथि दी गई थी।
- 30,394 में से 59 अभिलेखों में चैकों के जारी करने की तिथि अक्टूबर 2005 से नवम्बर 2011 तक की अवधि से सम्बंधित थी।

वसूलियों के अधूरे डाटाबेस से दि.वि.प्रा. अनियमित अथवा कपटपूर्ण वापसियों पर जाँच करने से वंचित रह गया

की गई वापसियों की पूरी प्रविष्टियों के अभाव में, वास्तव में प्राधिकृत वापसी के मामलों की संख्या कम्प्यूट्रीकृत डाटाबेस से सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, वास्तविक जमा के प्रति वापसी की राशि तथा किये गये चैकों के प्रति वापसी की राशि की सत्यता की दि.वि.प्रा. द्वारा जाँच नहीं की जा सकी।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि प्रविष्टियों को अद्यतन करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

3.2.26 इनपुटों का द्विगुणीकरण

सम्बद्ध इनपुटों के गैर मानकीकरण के कारण डाटाफीड करने में प्रयासों का द्विगुणीकरण हुआ

यद्यपि, एन.पी.आर.एस. तथा आवास उपयोगों में अनिवार्य विवरणों के साथ सभी पंजीकृतों का डाटाबेस विद्यमान था, इसे समय समय पर की गई माँग के प्रति आबंटितियों द्वारा किये गये जमा के सम्बन्ध में बैंकों से प्राप्त चालान की वैद्य डाटा एन्ट्री के लिये उपयोग नहीं किया गया था। इसी प्रकार की सूचना नये चालान प्राप्त होने पर उसी आबंटिती के प्रति पुनः दर्ज की गई थी। ये क्षेत्र, वर्ग, नाम, पाकेट, तल, फ्लैट संख्या तथा इलाका थे।

डाटा एन्ट्री में द्विगुणीकरण के कारण दोहराई जाने वाली सूचना का गैर मानकीकरण हुआ, जिसने त्रुटियों के जोखिम में वृद्धि की इसके अतिरिक्त डाटा फीड करने के प्रयासों में वृद्धि हुई, परिणामतः डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों अधिक बोझ पडा।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि दो उपयोग जो दो भिन्न परिस्थितियों नामतः कोबोल तथा ओरेकल में विकसित किये गये थे, को उस चरण में सम्बद्ध नहीं गया था, अतिरिक्त सूचना की फीडिंग की आवश्यकता सत्यापन के उद्देश्य से अनुभव की गई

थी, तथा डाटा एन्ट्री के द्विगुणीकरण से बचने के लिए आवास में आवश्यक प्रावधान जोड़ दिये गये थे।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि दो उपयोगों को, लेखाओं की विवरणी तथा माँग एवं संग्रह विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से जोड़ा जा रहा था तथा इस प्रकार इन-पुट के द्विगुणीकरण से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त आवास पूर्णतया प्रचालनात्मक नहीं था तथा चालानों की प्रविष्टियां एच.आर.ए.एस. उपयोगों में की जाती रही जिसके डाटा एन्ट्री का द्विगुणीकरण हुआ।

3.2.27 बैंकों के माध्यम से वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर का गैर समाधान

एच.आर.ए.एस. उपयोग में एडवाइस, स्क्रोल तथा चालानों के प्रति बैंकों द्वारा सूचित आकड़ों में अन्तर दर्शाने के लिए भिन्नता रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था थी। निम्नलिखित तालिका, एडवाइस, स्क्रोल तथा चालानों के माध्यम से बैंकों द्वारा सूचित किये गये क्रेडिटों में वर्षवार अन्तर का संकेत देगी।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	एडवाइस राशि	स्क्रोल राशि	चालान राशि
1995-96	194.37	193.07	192.92
1996-97	392.00	390.26	390.05
1997-98	504.77	504.12	503.99
1998-99	406.60	405.47	405.37
1999-00	285.59	290.63	283.95
2000-01	243.63	241.84	241.45
2001-02	211.11	201.07	200.45
जोड़	2,238.07	2,226.46	2,218.18

यद्यपि उपयोग में, एडवाइस, स्क्रोल तथा चालानों की प्रविष्टियों के संशोधन की व्यवस्था थी, इसमें न तो उपयुक्त अन्तरों को अद्यतन करने और न ही लेखांकन के उद्देश्य से ऐसे समायोजनों की कुल राशि की गणना करने में सुविधा प्रदान की। इस प्रकार यह अन्तर हस्त्य रूप से समायोजित किये जा रहे थे। तथापि इन अन्तरों के हस्त्य समायोजन के लिए कोई उपयुक्त अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे तथा इस प्रकार लेखापरीक्षा में डाटाबेस से अन्तरों की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। आँकड़ों के समाशोधन के अभाव में बैंकों द्वारा एडवास तथा क्रेडिट की गई राशि के प्रति आबंटिती द्वारा किये गये जमा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.2.28 वैध जाँचो का अभाव

बहुत से क्षेत्रों में उचित वैध जाँचो का अभाव था:-

- विभिन्न लेखाओं जैसे पंजीकरण राशि, लागत तथा लागत पर ब्याज इत्यादि, आंबंटितियों द्वारा किये गए भुगतानों को अलग करने के लिए लेखा कोड से सम्बंधित क्षेत्र जिसे केवल मास्टर डाटा टेबल में उल्लिखित कोड में ही लिया जाना अपेक्षित था, अन्य मूल्यों को भी स्वीकार कर रहे थे। 145 मामलों में मास्टर टेबल में उल्लिखित से अतिरिक्त मूल्य भी स्वीकार किये गये थे।
- 104 मामलों में प्रयोक्ता कोड शून्य प्रकट हो रहा था जबकि डाटा एन्ट्री आपरेटरों को विशिष्ट कोड आंबंटित किये गये हैं, जिनमें प्रयोक्ता कोड के रूप में शून्य कोड शामिल नहीं था।

वैध जाँचों के अभाव में, गलत लेखा कोड की स्वीकृति के परिणामस्वरूप प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण हुआ, जबकि गलत प्रयोक्ता कोड के कारण दि.वि.प्रा. डाटा के परिचालन के मामले में प्रयोक्ता की पहचान के उद्देश्य से वंचित रह गया।

दि.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2003) कि गलत प्रविष्टियों को रोकने के लिए जाँच की व्यवस्था की जा रही थी।

3.2.29 एच.आर.ए.एस. डाटाबेस में दर्शाये गये बकाया प्राप्यों का गलत चित्रण

एस.एफ.एस. योजनाओं के अन्तर्गत के आंबंटितियों के सिवाए एन.पी.आर.एस. तथा आवास डाटा बेस पर विभिन्न आंबंटितियों के प्रति बकाया प्राप्यों की गणना, एच.आर.ए.एस. उपयोग में डाटाबेस के अनुसार प्राप्त किये गए प्राप्यों की तैयार रिपोर्टों की तुलना में आंबंटितियों के प्रति माँग पत्र के अनुसार की गई कुल माँग से वार्षिक रूप से गणना की गई थी। एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत आंबंटितियों के सम्बन्ध में बकाया प्राप्यों/विभिन्न देनदारों की गणना हस्त्य रूप से की जाती रही।

आंबंटिती डाटाबेस में रद्द किये गये फ्लैटों के अद्यतन न करने के कारण आंबंटितियों से वसूली योग्य कुल प्राप्यों की माँग बढ़ा कर द्विगुणीकरण हुआ

इस तथ्य को देखते हुये कि 7496 मामलों में एक ही आवेदन के प्रति दुगुने आंबंटन दर्शाये गये थे जैसा कि पैरा 6.4 में चर्चा की गई है, एन.पी.आर.एस. उपयोग में आंबंटितियों का डाटाबेस अविश्वसनीय था। अविश्वसनीय डाटा बेस को देखते हुये बकाया प्राप्यों/विभिन्न देनदारों की प्रमाणिकता लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं की जा सकी।

3.2.30 निष्कर्ष

अक्टूबर 2002 तक दि.वि.प्रा. ने इसके आवास विभाग के कम्प्यूट्रीकरण पर 2.44 करोड़ रू. का व्यय किया था। औपचारिक सू.प्रौ. नीति तथा सहायक नीतियों तथा क्रिया विधि के अभाव में दि.वि.प्रा. ने बेहतर स्थापित प्रणाली विकास जीवन चक्र का अनुसरण नहीं किया। परिणामतः, उपयोग में अनिवार्य आन्तरिक नियंत्रण का अभाव हुआ। डाटा बेस अविश्वसनीय था तथा सही एवं कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली के वांछित उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त किये बिना रह गये।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि दि.वि.प्रा. को इस आवास विभाग के कम्प्यूट्रीकरण को सुधारने तथा इसके समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए:

- सुरक्षा, मानव संसाधन तथा संगणना के लिए व्यापक तथा समन्वित सू.प्रौ. नीतियों को सूत्रीबद्ध करे,
- सुविधा सहायता पर आवर्ती व्यय से बचने के लिए जितनी जल्दी सम्भव हो सी.एम.सी. से आवास उपयोग की सुविधा प्रबन्धन लेने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित तथा सुसज्जित करें।
- किसी दुर्घटना के मामले में डाटा की हानि से बचने के लिए व्यापक दुर्घटना पुनःप्राप्ति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना को सूत्रीबद्ध करे,
- प्रयोक्ता नियमपुस्तिका को अद्यतन करें तथा इसके स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि, सभी उपयोग दक्षताओं को संचालित करने तथा गलत डाटा एन्ट्री तथा प्रक्रियाओं को कम करने के लिये उन्हें सुसज्जित किया जा सके।
- डाटाबेस अद्यतन करें तथा इसके आवधिक विश्लेषण के लिए प्रणाली का उपाय करें ताकि डाटा बेस के उपयुक्त नियन्त्रण तथा किसी असंगति के निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए जहां पर आवश्यक हो साफ्टवेयर का उपयुक्त ढंग से संशोधन करते समय इसकी शुद्धता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके, तथा

- बकाया प्राप्यों से सम्बंधित डाटा बेस के आवधिक पुनरीक्षण के लिए मानदण्ड निर्धारित करें ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्यवाही करने तथा बकाया प्राप्यों की वसूली के लिए उपर्युक्त कार्यवाही आरम्भ करने में स्टाफ की विफलता के मामले में जिम्मेवारी निर्धारित करने में सक्षम हो सके।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2003 में भेजा गया था, फरवरी 2004 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अनुबन्ध I

(पैरा 3.2.15 देखें)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1969	बन्द हो गई
2.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1971	बन्द हो गई
3.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1972	बन्द हो गई
4.	सामान्य आवास पंजीकरण (अ.जा./अ.ज.जा.) योजना, 1973	बन्द हो गई
5.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1976	बन्द हो गई
6.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना I, 1977	बन्द हो गई
7.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना II, 1978	बन्द हो गई
8.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना III, 1979	बन्द हो गई
9.	नई पद्धति पंजीकरण योजना, 1979	जारी है
10.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना IV, 1981	बन्द हो गई
11.	विशेष सेवा निवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पंजीकरण (एस.एफ.एस.) योजना, 1981	बन्द हो गई
12.	आर पी एस, सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1982	बन्द हो गई
13.	विशेष सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति (एस.एफ.एस.) पंजीकरण योजना 1983	बन्द हो गई
14.	आर पी एस, के लिए सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1985	बन्द हो गई
15.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना V, 1985	बन्द हो गई
16.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना VI, 1986	बन्द हो गई
17.	अम्बेडकर आवास योजना विशेष आवास पंजीकरण योजना अ.जा./अ.ज.जा. के लिए - 1989	जारी है
18.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना VII, 1994	बन्द हो गई
19.	अपचेय आवास योजना, 1995	बन्द हो गई
20.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना VIII, 1995	बन्द हो गई
21.	जनता आवास पंजीकरण योजना, 1996	जारी है
22.	स्व वित्त आवास पंजीकरण योजना IX, 1996	बन्द हो गई
23.	अपचेय आवास योजना, 1996	बन्द हो गई
24.	विजय वीर आवास योजना, 1999	जारी है
25.	पंजाब विस्थापितों के लिए पुनर्वास आवास योजना, 2000	जारी है
26.	कश्मीरी विस्थापितों के पंजीकरण के लिए आवास योजना, 2001	बन्द हो गई
27.	मोतिया खान झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए आवास योजना, 2001	जारी है
28.	सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पंजीकरण योजना, 2001	बन्द हो गई
29.	नरेला आवास पंजीकरण योजना, 2002	जारी है
30.	बसंत कुंज एच आई जी, योजना, 2002	बन्द हो गई

अनुबन्ध II

(पैरा 3.2.18 देखें)

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये अपात्र अव्यस्कों की सूची

आवेदन सं.	योजना	नाम	डाटाबेस के अनुसार जन्म तिथि	आयु सीमा की गणना के लिए तिथि	आबंटन की तिथि	अभ्युक्तियाँ
82586	जेएचआरएस ¹	गगन	30-9-1979	31-01-1996	26-12-2001 से 31-12-2001	अव्यस्क
09745	जेएचआरएस	रवि कुमार पासवान	24-04-1979	31-01-1996	10-4-2002 से 25-4-2002	अव्यस्क
474	एचएसआर एमजेडी ²	श्रीमती अंगूरी देवी	10-12-2001	30-11-1999	26-12-2001 से 31-12-2001	आवेदन के अनुसार जन्म तिथि 10.12.1951 जबकि इसे डाटाबेस में गलती से 10.12.2001 दर्ज किया गया
25838	जेएचआरएस	महेश पाहूजा	16-08-1978	31-01-1996	10-04-2002 से 25-4-2002	अव्यस्क

¹ संयुक्त आवास पंजीकरण योजना² मोतिया खान झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए आवास योजना

अनुबन्ध III

(पैरा 3.2.19 देखें)

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गए दोहरे आबंटन/आवेदनों के मामलों की संख्या

क्र. सं.	योजना	वर्ग	आवेदन संख्या	आवेदन तिथि	नाम	स्थिति	फोटो विवरण	अन्य योजनाओं में पंजीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ
1.	एचआरएस आरजीएस ¹	एलआईजी	1851	19-07-2001	श्रीमती दलजीत कौर वालिया	कब्जा	रंगीन	कॉलम नहीं दिया गया	नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, सह आवेदक का नाम वही, परन्तु पता भिन्न है
	जेएचआर एस ²	जनता	9485	23-02-1996	वही	वही	वही	नहीं	
2.	एचआरएस आरजीएस	एलआईजी	5561	28-08-2001	रविन्दर सिंह	कब्जा	रंगीन	फॉर्म में कोई कालम नहीं दिया गया	फोटोग्राफ, जन्मतिथि, पता, हस्ताक्षर, पिता का नाम मिलते हैं
	वही	एमआईजी	5235	22-08-2001	वही	लम्बित	वही	वही	
3.	एचआरएस आरजीएस	एलआईजी	4125	11-08-2001	आर.वी.सवानी	कब्जा	रंगीन	वही	फोटोग्राफ, जन्मतिथि, पता, हस्ताक्षर, पिता का नाम मिलते हैं सह-आवेदक का नाम भिन्न है
	वही	एमआईजी	5682	29-08-2001	वही	लम्बित	वही	वही	
4.	एचआरएस आरजीएस	एमआईजी	1639	नहीं दिया	अजीत सिंह टुकराल	लम्बित	रंगीन	कॉलम नहीं दिया गया	नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि वही है
	वीकेएच आई जी ³	एचआईजी	28558	14-09-02	वही	माँग पत्र	वही	नहीं	

¹ सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना 2001

² जनता आवास पंजीकरण योजना

³ वसंत कुंज एचआईजी आवास योजना

क्र. सं.	योजना	वर्ग	आवेदन संख्या	आवेदन तिथि	नाम	स्थिति	फोटो विवरण	अन्य योजनाओं में पंजीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ
5.	<u>एनएचआर एस⁴</u>	एचआईजी	1212	11-06-2002	इकबाल सिंह	माँग पत्र	रंगीन	नहीं	नाम, पिता का नाम, पता, फोटोग्राफ हस्ताक्षर मिलते हैं परन्तु पता भिन्न
	<u>जेएचआर एस</u>	जनता	67320	26-02-96	वही	लम्बित	श्याम श्वेत	नहीं	
6.	<u>एनएचआर एस</u>	जनता	6562	नहीं दिया	आशीष धर	माँग पत्र	रंगीन	जे.एच.आर.एस. योजना में पंजीकृत प्राथमिकता संख्या 84104	नाम, पिता का नाम, पता, फोटोग्राफ हस्ताक्षर मिलते हैं
	<u>जेएचआर एस</u>	जनता	84104	वही	वही	लम्बित	वही	नहीं	
7.	<u>जेएचआर एस</u>	जनता	18755	5-2-96	फते मुहम्मद	लम्बित	वही	नहीं	नाम, पिता का नाम, फोटो तथा पता वही है
	<u>एनएचआर एस</u>	जनता	2640	12-06-02	वही	सीडी पेपर जारी	वही	नहीं	
8.	<u>एनएचआर एस</u>	एलआईजी	5311	20-05-02	एन के डेनिस	माँग पत्र	वही	जे.एच.आर.एस. प्राथमिकता संख्या 7563 में पंजीकरण	नाम, पिता का नाम, फोटो, पता तथा हस्तलेखन मिलता है
	<u>जेएचआर एस</u>	जनता	7563	24-02-96	वही	लम्बित	वही	नहीं	
9.	<u>एएवाई⁵</u>	एलआईजी	10532	22-12-89	डाल चन्द	लम्बित	श्याम श्वेत	नहीं	फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर मिलते हैं जन्म तिथि तथा पता भिन्न है

⁴ नरेला आवास पंजीकरण योजना

⁵ अम्बेडकर आवास योजना (अनु.जा./अ.ज.जा.) के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना

अध्याय IV : वाणिज्य मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण

- 4 प्राधिकरण की वित्तीय सहायता योजना के अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को साधन के रूप में प्रयोग करने में विफलता

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1996-2003 अवधि के दौरान कम्प्यूटरीकरण पर 3.11 करोड़ रु. का व्यय किया, लेकिन वित्तीय सहायता योजना (वि.स.यो.) का अधिकांश विवेचनात्मक उपयोग उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हो सका जैसा कि सूचना कार्यनीति योजना में विचार किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकरण विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों का भुगतान प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने में विफल रहा जिसकी राशि 1998-2003 अवधि के दौरान 55.66 करोड़ रु. बनती थी।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (कृ.प्र.नि.वि.प्रा.) दिसम्बर 1985 में संसद द्वारा पारित कृ.प्र.नि.वि.प्रा. अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य निर्यात के लिए उत्पादन और कुछ कृषि एवं खाद्य पदार्थों के विकास को बढ़ावा देना था। प्राधिकरण उसके पास पंजीकृत निर्यातकों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1996-97 में, प्राधिकरण ने अपने विवेचनात्मक कार्यों का स्वचालन करने के लिए सूचना कार्यनीति योजना को प्रतिपादित किया। योजना का मुख्य आकर्षण गतिविधि अनुश्रवण को संभव करने के लिए संघटित डाटाबेस बनाना था। वित्तीय सहायता योजनाएं (वि.स.यो.) डाटाबेस निर्यातकों को उपलब्ध वित्तीय सहायता को पता लगाने का एक निर्णायक घटक था। मार्च 2003 तक, प्राधिकरण ने निजी पार्टियों द्वारा साफ्टवेयर को उन्नतिशील बनाने सहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर 3.11 करोड़ रु. खर्च किए।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र विकसित किया गया और 1998-99 में ऑरेकल उपयोग में निम्नलिखित डाटाबेस कार्यान्वित किए गए - वित्तीय सहायता योजनाएं, निर्यातकों का पंजीकरण, मासिक पार्टी रिटर्न, म.नि.वा.आ.सं.¹ डाटाबेस और व्यापार मेला डाटाबेस।

¹ महानिदेशक वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी

अक्टूबर 2001 में, चूंकि उन्नतिशील बनाने की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा लिए गए उत्तरदायित्व का भाग था, निम्नलिखित डाटाबेस अर्थात् मासिक पार्टी विवरणी और निर्यातकों का पंजीकरण ऑरेकल से एस.क्यू.एल. सर्वर और एक्टिव सर्वर पेज़ीस को उन्नतिशील बनाया गया। परन्तु वि.स.यो. को ऑरेकल डाटाबेस प्रबन्धन पद्धति से अलग किया गया और लोटस नोटस वर्कफलों सॉफ्टवेयर पर अनुरक्षित किया गया था। लेखापरीक्षा ने (जून-जुलाई 2003) उपलब्ध डाटा के विश्लेषण द्वारा इस चरण की विवक्षा का पुनरीक्षण किया।

4.1.1 संबंधित एप्लीकेशनों से वि.स.यो. एप्लीकेशन को अलग करने के परिणामस्वरूप 804 निर्यातकों को 55.66 करोड़ रु. के अनियमित भुगतान हुए।

कृ.प्र.नि.वि.प्रा. अधिनियम में यह व्यवस्था है कि म.नि.वि.व्या.² में पंजीकृत, वैध आ.नि.कोड³ वाले, निर्यातक कृ.प्र.नि.वि.प्रा. योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठा सके बशर्ते वे प्राधिकरण के पास पंजीकृत हों तथा उन्हें एक कोड आबंटित किया गया हो। प्राधिकरण के पास पंजीकृत निर्यातकों को अपने निर्यातों के मासिक विवरण देने के लिए एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के नियम 11 की शर्तों के अनुसार यदि निर्यातक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाना था।

सूचना नीति योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अनुश्रवण करना था तथा सुनिश्चित करना था कि सहायता प्राप्त करने वाले सभी निर्यातकों ने मासिक निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकरण के पास निर्यातक डाटाबेस के पंजीकरण में निर्यातक मास्टर तालिका के अनुसार 31 मार्च 2003 को 19,663 पंजीकृत निर्यातक थे। तथापि, उनमें से कोई भी अपनी मासिक रिटर्न नियमित रूप से नहीं भेज रहा था।

लेखापरीक्षा ने मासिक रिटर्न डाटाबेस में अनुरक्षित आंकड़ों की बजट एवं वित्त प्रभाग द्वारा संकलित सूचना के साथ दोतरफा जांच भी की थी। अप्रैल 1998 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान 55.66 करोड़ रु. उन 804 निर्यातकों को वितरित किए गए थे जो मासिक पार्टी रिटर्न नियमित रूप से नहीं भेज रहे थे। शेष पंजीकृत निर्यातकों (18859) ने वि.स.यो. के अंतर्गत किसी सहायता का लाभ नहीं उठाया। 804 निर्यातकों का पंजीकरण रद्द हो जाना था। इन निर्यातकों में से 233 निर्यातकों ने कभी भी अपनी मासिक पार्टी रिटर्न नहीं भरी थी लेकिन उनको 11.93 करोड़ रु. की सहायता दी गई

² महानिदेशक विदेश व्यापार

³ आयात निर्यात कोड

थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे यह प्रकट हुआ कि 15.37 करोड़ रु. के संवितरण उन 367 निर्यातकों को किए गए थे जिन्होंने निर्यातक डाटाबेस पंजीकरण में उनकी कम्पनी की पार्श्विका से संबंधित सूचना को अद्यतन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में एस.क्यू.एल. सर्वर पर अनुरक्षित की गई निर्यातक मास्टर तालिका की संवीक्षा की गई थी तथा यह पहचान की गई कि प्राधिकरण के पास 15000 निर्यातकों के संबंध में आ.नि. कोड सहित विभिन्न अनिवार्य ब्यौरे नहीं थे।

तथापि, वि.स.यो. एप्लीकेशन इन तथ्यों, कि सहायता के लिए आवेदन करने वाले निर्यातक चूककर्ता थे, का शीघ्र प्रयोग करने में विफल रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि वि.स.यो. को मासिक पार्टी रिटर्न डाटाबेस के साथ जोड़ा नहीं गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि बजट तथा वित्त प्रभाग, एक अन्य आई.टी. एप्लीकेशन नामतः टैली का प्रयोग करके संवितरणों के वास्तविक आंकड़ों का संकलन कर रहा था तथा लेखापरीक्षा उद्देश्यों हेतु वि.स.यो. के आंकड़ों पर निर्भर नहीं था। बजट तथा वित्त प्रभाग द्वारा दर्ज की गई सूचना के अनुसार अप्रैल 1998 से मार्च 2003 के दौरान निर्यातकों को 55.66 करोड़ रु. (उन संघटकों जोकि शत प्रतिशत कृ.प्र.नि. वि.प्रा. द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं, को छोड़कर) की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। तथापि, वि.स.यो. एप्लीकेशन ने केवल 21.56 करोड़ रु. की तदनुरूपी राशि दर्शाई। इस प्रकार, कम्प्यूटरीकरण, प्रभावशाली अनुश्रवण करने में विफल रहा।

4.1.2 वित्तीय सहायता योजना में निष्प्रभावी वृद्धि को कार्यान्वित करना

फरवरी 2001 में, प्राधिकरण ने, मै. टीमवर्क साल्यूशन्स प्रा.लि. के ज़रिये वि.स.यो. कार्यप्रवाह आवेदन को उन्नतशील बनाया। वृद्धियों के अभिष्ट थे (i) परियोजना लागत के आधार पर वित्तीय सहायता का स्वचालित परिकलन (ii) यह सत्यापित करना कि वित्तीय सहायता का आवेदक प्राधिकरण का पंजीकृत निर्यातकर्ता था या नहीं और (iii) दोहरे भुगतान का सत्यापन। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कोई भी वृद्धियां प्रभावी नहीं थीं।

पहली वृद्धि के लिए, परियोजना लागत क्षेत्र को अनिवार्य बनाया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा वि.स.यो. कार्य प्रवाह आंकड़े के निरीक्षण से प्रकट हुआ कि फरवरी 2001 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान प्राप्त 54 आवेदनों में परियोजना लागत नहीं दर्शाई गई थी। फिर भी इन मामलों में से 23 को सहायता दी गई थी। आगे, जब परियोजना लागत की अधिकतम सीलिंग अथवा निर्धारित प्रतिशतता अधिक थी, यह संशोधन उपयोगकर्ता को,

यह तत्काल बताने में असफल रहा। कुलमिलाकर 74 मामले थे, जहाँ निर्यातकर्ताओं को भुगतान एक ही किश्त में जारी किया गया था, चाहे यह परियोजना लागत की निर्धारित अधिकतम प्रतिशतता से अधिक अथवा अधिकतम सीमा से अधिक था। डाटाबेस 1.29 करोड़ रु. से अधिक भुगतान को प्रतिबिंबित करता था।

दूसरी वृद्धि, यह पुष्टि करने के लिए कि आवेदक प्राधिकरण का पंजीकृत निर्यातक था, भी प्रभावी नहीं थी। कुल मिलाकर, 69 निर्यातक प्राधिकरण द्वारा एक बार से अधिक पंजीकृत थे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के पंजीकरण विभाग के अनुसार, 2001-03 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 2158 थी जबकि कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस 2176 का अनुरूप आंकड़ा दर्शाता था और खाता लेखा केवल 2163 निर्यातकों के संबंध में शुल्क की प्राप्ति दर्शाता था। इस प्रकार, कम्प्यूटरीकरण के बावजूद, प्राधिकरण के पास पंजीकृत निर्यातकों की वास्तविक संख्या के प्रति भ्रम था।

तीसरी वृद्धि, कृ.प्र.नि.वि.प्रा. कोड पर आधारित, निर्यातकों द्वारा ली गई सहायता के पूर्ववृत्त कॉलम उपलब्ध होने के कारण प्रभावी थी। तथापि, दो या अधिक कृ.प्र.नि.वि.प्रा. कोड होने से निर्यातक को अधिक भुगतान की अनियमिता का पता लगाने में संशोधन विफल रहा। इसे एकमात्र आ.नि. कोड के माध्यम से पता लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, सहायता किस वर्ष के लिए लागू की गई यह ब्यौरा देने वाला कोई कॉलम नहीं था। अप्रैल 1998 से मार्च 2003 तक की अवधि के दौरान 35 मामलों में, एक वर्ष के दौरान एक बार से अधिक एक समान घटक के लिए निर्यातकों द्वारा सहायता प्राप्त की गई और डाटाबेस से पता चला कि 44.58 लाख रु. का भुगतान अनुमत सीमा से अधिक हुआ। इन कमियों के परिणामस्वरूप, एक ही वर्ष के दौरान समान घटक के अधिक निर्यातक को अधिक भुगतान का पता लगाने में वि.स.यो. का उपयोग विफल रहा।

4.1.3 आंतरिक नियंत्रणों की कमी ने वि.स.यो. एप्लीकेशन को अविश्वसनीय बना दिया

लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि प्राधिकरण से अप्रैल 1998 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निर्यातकों से प्राप्त 3241 आवेदनपत्रों में से 78 मामलों में 90.94 लाख रु. राशि के भुगतान जारी करने के बाद डाटाबेस में अपेक्षित डाटा प्रविष्टि की गई थी। इस प्रकार, सॉफ्टवेयर द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त जांच रद्द कर दी गई थी।

चैकों पर वि.स.यो. आंकड़ों में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई थी:

विसंगति	कुल 3241 मामलों में से मामलों की सं.
चैक संख्याओं की पुनरावृत्ति	33
चैक संख्याओं की विभिन्न ब्यौरों सहित पुनरावृत्ति	28
स्थिति “भुगतान जारी किए गए” लेकिन चैक की राशि नहीं दर्शाई गई	36
चैक राशि दर्शाई गई लेकिन चैक संख्या नहीं दर्शाई गई	24
चैक की तिथि दर्शाई गई लेकिन चैक संख्या/राशि नहीं दर्शाई गई	1748

लेखापरीक्षा ने इन विसंगतियों का वि.स.यो. आंकड़ों की बजट तथा वित्त प्रभाग द्वारा संकलित सूचना के साथ तुलना करने के पश्चात् पता लगाया।

4.1.4 निष्कर्ष

इस प्रकार, कम्प्यूटरीकरण पर 3.11 करोड़ रु. का व्यय करने के बाद प्राधिकरण, वि.स.यो. एप्लीकेशन को कार्यान्वित नहीं कर सका, जैसाकि सूचना नीति योजना में विचार किया गया है। प्राधिकरण इसको वित्तीय सहायता योजनाओं का अनुश्रवण करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने में विफल रहा जिस पर उसने 1998-2003 के दौरान निर्यातकों को संवितरणों के रूप में 55.66 करोड़ रु. का व्यय किया था।

उत्तर में, प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2003) तथा बताया कि वे सभी कृ.प्र.नि.वि.प्रा., पंजीकृत निर्यातकों द्वारा मासिक पार्टी रिटर्न का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने तथा वित्तीय सहायता केवल उन निर्यातकों जिन्होंने कृ.प्र.नि.वि.प्रा. वैबसाइट में अपने ब्यौरे अद्यतन किए थे, तक सीमित रखने के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रहा था। आगे, प्राधिकरण ने यह भी बताया कि उन्होंने वित्तीय सहायता हेतु नया एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रतिपादित किया था जो विभिन्न लेखापरीक्षा सिफारिशों का ध्यान रखेगा।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय V : वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

5 सरकारी लेखाओं से बाहर रखी हुई निधियां

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) मंत्रालय द्वारा और अन्य संवैधानिक/ वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अपनायी गई, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के फलस्वरूप 57.93 करोड़ रु. सरकारी लेखाओं से बाहर रखे रहे।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने फरवरी 2002 में निर्णय लिया कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) की प्राप्तियों को लोक लेखे में “ब्याज रहित भाग” में रखा जाएगा। यह निर्णय संवैधानिक/वैधानिक प्राधिकरणों जैसे सं.लो.से.आ., न्यायपालिका आदि, जो अपने कार्य प्रणाली में स्वतंत्र थे, जो पहले से ही चली आ रही समान प्रक्रिया और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि बी.नि.वि.प्रा. की प्राप्तियाँ पर्याप्त स्तरों तक बढ़ सकती थी, के आधार पर लिया गया था।

तदनुसार, आ.का.वि. ने जुलाई 2002 में बी.नि.वि.प्रा. को निर्देश दिए। यह भी अनुबद्ध था कि परवर्ती लोक लेखा में से वित्तीय सलाहकार (वित्त) और सचिव (व्यय) के अनुमोदन से एक निर्दिष्ट राशि वर्ष में एक बार आहरित कर सकता था और वह अपने वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए अपने बैंक खाते में रख सकता था। बैंक खाते में रखी गई निधियां अव्यपगत रहेंगी।

बी.नि.वि.प्रा. की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष “0047-अन्य राजकोषीय सेवाएं” के अंतर्गत लघु शीर्ष 500-शीर्षों को “प्रतीक्षित अंतरण के लिए प्राप्तियाँ”, मुख्य शीर्ष “8325-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि” के अंतर्गत लघु शीर्ष-118 बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण निधि के खोलने तक लम्बित जैसाकि सितम्बर 2002 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, में क्रेडिट किया जाना था।

बी.नि.वि.प्रा. ने सुझाव दिया (जुलाई एवं सितम्बर 2002) कि निधि को जारी करने के लिए कानूनी अभिमत प्राप्त कर लेना चाहिए। वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद भी विधि-कार्य विभाग ने भी बी.नि.वि.प्रा. को प्राप्तियाँ भारतीय लोक लेखा में क्रेडिट करने को कहा था, बी.नि.वि.प्रा. ने मंत्रालय आदेशों के उल्लंघन में प्राप्तियों अपने पास रखना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2003 को 57.93 करोड़ रु. सरकारी लेखाओं के बाहर बैंकों में पड़े रहे।

मंत्रालय का बी.नि.वि.प्रा. से लोक लेखा में अपनी प्राप्तियों को जमा करने को कहने से अभिप्राय प्रत्यक्षतः अन्य संवैधानिक/वैधानिक प्राधिकरणों के साथ अनुरूपता में कार्य करने के साथ-साथ उसके व्यय पर इस शर्त के माध्यम से निगरानी रखना था कि सचिव (व्यय) और वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष में राशि आहरित की जा सकती थी। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि बी.नि.वि.प्रा. उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है और जो अन्य संवैधानिक/वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा भी अपनाया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2003) कि बी.नि.वि.प्रा. ने सरकार से फिर से कहा है कि उन्हें उद्ग्रहित दण्ड/अर्थदण्ड जिस भारत की संचित निधि में क्रेडिट करना होता है, को छोड़कर बी.नि.वि.प्रा.निधि अपने पास रखने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने आगे बताया कि सरकार बी.नि.वि.प्रा. द्वारा बताई गई स्थिति से सहमत नहीं थी और इसे दुबारा टिप्पणी के लिए बजट प्रभाग को भेजा गया और इसके प्राप्त करने के बाद मामला कानूनी सलाह के लिए विधि मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मामले में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना था।

अध्याय VI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

6.1 शिक्षावृत्ति अनुदानों की वसूली में विफलता

शिक्षावृत्ति की अनुदानों की शर्तों के विपरीत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, 41 शिक्षावृत्तिभोगियों से, जो परियोजनाओं की पूर्णतया की तिथि के 2 से 6 वर्षों के बाद तक भी अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सके थे, शिक्षावृत्ति अनुदानों की 21.77 लाख रु. की कुल राशि की वसूली करने में विफल रही।

सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, विद्वानों को कनिष्ठ, डाक्टरी उपाधि के उपरान्त, वरिष्ठ एवं राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान करती है। शिक्षावृत्ति दो वर्ष की अवधि की एक पूर्णकालिक नियुक्ति है जिसे अपवादात्मक वाले मामलों में एक वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। परिषद के अनुसंधान निधियन नियमों के अनुसार एक शिक्षावृत्तिभोगी कनिष्ठ अनुसंधान के अलावा, शिक्षावृत्तिभोगी को शिक्षावृत्ति की अवधि के समापन के उपरान्त छः माह के अन्दर या तो मानोग्राफ की एक सम्पूर्ण टंकण लिपि, सम्पादित मूल या शिक्षावृत्ति के अन्तर्गत तैयार अनुवाद अथवा उसके द्वारा किये गये कार्य की विस्तृत रिपोर्ट एवं उसके द्वारा लिए गये निर्णय को प्रकाशित दस्तावेजों एवं अन्य सामग्री के साथ परिषद को प्रस्तुत करने होते हैं। परिषद का अनुसंधान के अन्तिम परिणाम पर स्वत्वाधिकार होता है। शिक्षावृत्तिभोगी को, शिक्षावृत्ति या उसे सौंपी गयी अनुदान के अन्तर्गत कार्य के ठीक प्रकार से न किये जाने या किसी तरीके से पूरा न होने पर किसी भी सूत्र में, शिक्षावृत्ति की सकल राशि को लौटाने की सहमति के साथ, एक आश्वासन देना होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अगस्त 2003 को, 41 शिक्षावृत्तिभोगियों, जिन्हें परिषद द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 2000-01 के बीच कुल 21.77 लाख रु. की अनुदान राशि का भुगतान किया गया था, ने न तो अपनी पांडुलिपि प्रस्तुत की थी और न ही उनके द्वारा प्राप्त अनुदान राशि को ही लौटाया था। परिषद ने 2 से 6 वर्ष के उपरान्त भी शिक्षावृत्ति अनुदान की राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, परिषद ने बताया (सितम्बर 2003) कि पांडुलिपि के प्रस्तुत न करने की सूरत में, उनके नियमों में शिक्षावृत्ति अनुदान को लौटाने के लिये कहने का प्रावधान नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिषद के निधियन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी शिक्षावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई राशि जारी करने से पूर्व वह स्वयं को, नियमों के पालन के लिए तथा यदि अनुदान के अन्तर्गत किया गया शिक्षावृत्ति का कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया गया या पूरा नहीं किया गया तो, परिषद द्वारा किया गया कोई या सम्पूर्ण व्यय को लौटाने के लिए वचनबद्ध करेगा/करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन नियमों के आधार पर परिषद ने सभी शिक्षावृत्तिभोगियों से आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर लिया था! परिषद ने यह भी बताया कि 8 लाख रु. की कुल अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि की आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी। लेकिन ऐसी प्रगति रिपोर्टों से शिक्षावृत्ति के अनुदान की शर्तें पूरी नहीं होती जिनके अनुसार शिक्षावृत्तिभोगी को अन्तिम पांडुलिपि या किये गये कार्य की विस्तृत रिपोर्ट और यदि उसके द्वारा निकाला गया है तो निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिये। अतः 21.77 लाख रु. की राशि के अनुदानों से वह उद्देश्य जिसके लिए वे दी गई थी, पूरा नहीं हो सका। परिषद अनुदान के उपयोग का अनुश्रवण करने में तथा इन मामलों में दी गई अनुदान राशि की वापसी को सुनिश्चित करने में विफल रही।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर अप्रैल 2004 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर

6.2 कर प्रावधानों का उल्लंघन

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर की सेवा कर अधिनियम के अधीन समय पर पंजीकरण कराने तथा उसके संकाय सदस्यों से सेवा कर वसूलने में विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज सहित सेवाकर के विलम्बित भुगतान के प्रति 25.93 लाख रु. का अनावश्यक व्यय हुआ।

समय-समय पर यथासंशोधित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(21) के साथ पठित धारा 66 के प्रावधानों के अधीन प्रबन्धन परामर्श सेवाएं अक्टूबर 1998 से करयोग्य सेवाओं के मूल्य का पांच प्रतिशत की दर पर अथवा की गई सेवाओं के लिए ग्राहक से प्रभारित कुल राशि पर सेवा कर वसूलने के अधीन हो गई है। सेवा कर का भुगतान न करना या विलम्बित भुगतान करना, विलम्बित भुगतान हेतु प्रत्येक माह या माह के एक भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के अतिरिक्त, दण्ड को आकर्षित

करता है। आगे, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक सेवाकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को पंजीकरण हेतु एक आवेदनपत्र देना होता है तथा ऐसे आवेदन पत्र धारा 66 के अंतर्गत उस तिथि जब से सेवा कर उद्ग्राह्य है, से तीस दिनों के भीतर दिए जाएंगे।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलौर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आवर्ती व्यय के प्रति सामान्य अनुदान प्राप्त करता है। संस्थान की निधियों के मुख्य स्रोत मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान, आर्थिक सहायता, सेवाओं, शुल्कों तथा अंशदानों से प्राप्त आय हैं। संस्थान अपनी अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त व्यापारिक संस्थाओं तथा अन्यो को प्रबन्धन परामर्श सेवाएं देता है। परामर्श सेवाओं से प्राप्त शुल्कों को संकाय सदस्यों, जो सेवा देते हैं तथा संस्थान के बीच 60:40 के आधार पर बांटा जाता है। संस्थान लेखाओं के वार्षिक विवरण तथा तुलन पत्र निर्धारित प्रपत्र में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है तथा आय एवं व्यय लेखे में दर्शाई गई कोई बचत, जो व्यय से आय का अधिशेष है, भारत सरकार की निधिकरण नीति के अनुसार दान निधि में अंतरित की जानी होती है।

यद्यपि संस्थान, प्रबन्धन परामर्श सेवाएं दे रहा था तथा सेवा कर उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी था, उसने अधिनियम/नियमावली के अधीन पंजीकरण हेतु अप्रैल 2002 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। संस्थान ने अक्टूबर 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान दी गई प्रबन्धन परामर्श सेवाओं के प्रति 4.03 करोड़ रु. की कुल आय अर्जित की तथा उस सेवा से प्राप्त आय को सेवा कर दायित्व पर विचार किए बिना संकाय सदस्यों के साथ 60:40 के आधार पर बांट दिया। संस्थान ने केवल जुलाई 2002 में, अधिनियम के अंतर्गत विलम्बित कर भुगतान हेतु 19.20 लाख रु. सेवा कर तथा 6.73 लाख रु. के ब्याज का भुगतान किया तथा प्रबन्धन परामर्श सेवाओं के प्रति वसूल की गई संस्थान की 40 प्रतिशत प्राप्तियों में भुगतान प्रभारित किया। संस्थान ने उत्तर दिया कि सेवा कर अधिनियम की प्रयोजनीयता के बारे में भ्रम होने के कारण उसने अपना पंजीकरण नहीं कराया या सेवा कर का भुगतान नहीं किया। संस्थान की प्राप्तियों जिसका उस सीमा तक प्राप्तियां कम करने का प्रभाव था, में से अदा की गई 25.93 लाख रु. (सेवा कर 19.20 लाख रु. तथा ब्याज 6.73 लाख रु.) की समस्त राशि वसूल करने के संबंध में संस्थान ने उत्तर दिया कि यह निर्णय संकाय-सदस्यों की परेशानियों को कम करने के विचार से लिया गया था क्योंकि उन्होंने समस्त साठ प्रतिशत को सुसंगत वर्ष की आय के रूप में लेकर आय कर का पहले ही भुगतान कर दिया था।

तथ्य यह रहा कि संस्थान सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपने ग्राहकों/संकाय सदस्यों तथा विलम्बित पंजीकरण कराने वालों से सेवा कर वसूलने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 25.93 लाख रु. का अनावश्यक व्यय हुआ जिससे संस्थान की बचत घट गई जैसाकि आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया गया है तथा दान निधि में अंतरित राशि भी घट गई है। तथ्य अप्रैल 2003 में मंत्रालय को सूचित किए गए थे जिसने सितम्बर 2003 में संस्थान को निर्देश दिया कि संबंधित संकाय सदस्यों से कर देयता तथा उस पर ब्याज वसूल किया जाए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर

6.3 सीमाशुल्क का परिहार्य भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर द्वारा सीमाशुल्क में छूट लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 39.52 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकारी अधिसूचना संख्या 51/96 सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996 के अंतर्गत सीमाशुल्क में छूट लेने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (भा.प्रौ.सं.) खड्गपुर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वै.औ.अनु.वि.) में पंजीकृत है। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी यंत्रों, उपकरणों, उपस्कर (कम्प्यूटर सहित) और कई अन्य वस्तुओं जो कि निर्दिष्ट हैं को आयात करने या भा.प्रौ.सं. में वितरित करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अन्तर्गत उद्ग्रहित सीमा शुल्क जिसमें अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है में पूर्ण छूट है (फरवरी 2002 तक) बशर्ते कि प्रत्येक मामले में निर्यातक विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग केवल अनुसंधान के लिए ही किया जायेगा।

भा.प्रौ.सं. ने मैसर्स वोल्टास लिमिटेड कोलकाता के साथ केवल अन्वेषण कार्य में प्रयोग होने के लिए 3.80 करोड़ रु. की कुल लागत जिसमें 1.22 करोड़ रु. मूल्य के दो आयातित स्कू चिलर की आपूर्ति भी शामिल थी की लागत पर वातानुकूलन संयंत्र की आपूर्ति, संस्थापन जांच और चालू करने के कार्य के लिए अगस्त 2001 में एक संविदा करार किया। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि चिलर की कीमत में सीमाशुल्क जिसमें प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क सम्मिलित करते हुये 39.52 लाख रुपये में शामिल थे। मैसर्स वोल्टास लिमिटेड ने अगस्त 2001 में चिलर का निर्यात किया। भा.प्रौ.सं. ने पूर्तिकार को 1.22 करोड़ रु. की पूरी राशि जिसमें सीमा शुल्क के 39.52 लाख रु. शामिल हैं, का भुगतान जून 2002 में किया।

अतः वै.औ.अनु.वि. के साथ पंजीकृत होने के बावजूद सीमाशुल्क में छूट लेने की विफलता के परिणामस्वरूप 39.52 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को मानते हुए भा.प्रौ.स. ने अप्रैल 2003 में बताया कि मामले को मार्च 2003 में राशि की वसूली के लिए वोल्टास लिमिटेड के साथ उठाया गया था। तथापि, 29 दिसम्बर 2003 तक कम्पनी ने सीमा/अतिरिक्त सीमाशुल्क की वापसी के लिए सीमाशुल्क विभाग से अपील नहीं की है।

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के धारा 27(क) के अनुसार कोई भी दावा शुल्क के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं किया गया था, इसलिए दावे की वापसी कालातीत हो गई थी।

मामला मंत्रालय को जून 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

6.4 बट्टे का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य व्यय

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 39.54 लाख रु. की राशि की छूट लेने में असफल रहा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इ.गा.रा.मु.वि.) ने अप्रैल 2000 में, अधिक मात्रा में अध्ययन सामग्री डाक से प्राप्त करने के लिए, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सेवा का लाभ उठाने हेतु डाक विभाग, दिल्ली सर्कल के साथ एक समझौता किया। इ.गा.रा.मु.वि. के इस आश्वासन के साथ कि देय राशि का भुगतान बिल की प्राप्ति के बाद सात दिन में कर दिया जायेगा अनुबन्ध पत्र में बुक नाओ पे लेटर (बु.ना.पे.ले.) योजना के अन्तर्गत 30 दिन साख सुविधा की परिकल्पना की गई थी। दिसम्बर 1999 में, अर्थात् संविदा के कार्यान्वयन से पहले, इ.गा.रा.मु.वि. ने यह पुष्टि कर ली थी कि बु.ना.पे.ले. योजना के अन्तर्गत नियमित उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली 5 से 10 प्रतिशत की छूट, उनको भी उपलब्ध होगी। मुख्य डाक मास्टर द्वारा जनवरी 2000 में यह पुष्ट किया गया कि 10,001 रु. से 50,000 रु. के मासिक राजस्व पर 5 प्रतिशत की दर से और 50,000 से अधिक मासिक राजस्व पर 10 प्रतिशत की दर से छूट दी जायेगी।

इं.गा.रा.मु.वि. ने सितम्बर 2000 तक छूट सुविधा का लाभ लेता रहा था। अक्टूबर 2000 में, अगस्त 2000 के दो बिल और सितम्बर 2000 के एक बिल की कार्यवाही करते समय, इं.गा.रा.मु.वि. अक्टूबर 2000 से आगे की छूट मूल्य की राशि को घटाये बिना ही सात दिनों के बाद भुगतान कर दिया था। समझौते की शर्तों का गलत अर्थ लगाने के अलावा, छूट की कीमत की कटौती में असफलता के साथ भुगतान में देर समझौते की शर्तों के विरुद्ध थी क्योंकि सात दिनों में भुगतान की परिकल्पना थी। नवम्बर 2000 से अप्रैल 2002 की अवधि के लिए 39.54 लाख रु. की छूट की राशि का दावा नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2003) कि विलम्ब मुख्यतः डाक विभाग द्वारा बिल बनाने के पैटर्न में अकुशलता के कारण ही हुआ और लाभ न उठाई गई छूट की ग्राह्यता के मामले को इं.गा.रा.मु.वि. द्वारा डाक प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था जिन्होंने उत्तर दिया कि मासिक कार्य की कीमत पर 10 प्रतिशत की छूट का सिर्फ इं.गा.रा.मु.वि. को बिल के सात दिन की समय सीमा में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान दिया जाता था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अप्रैल 2000 में समझौते करते समय इं.गा.रा.मु.वि. को दोनों शर्तों की जानकारी थी अर्थात् बी एन पी एल योजना के अंतर्गत भुगतान सात दिनों में किया जाना था और छूट की प्रमात्रा पर निर्भर थी। डाक प्राधिकारियों द्वारा बताई गई अकुशल बिलिंग की कोई संबद्धता नहीं है, जबकि इं.गा.रा.मु.वि. को उनके बिलों की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर और छूट के दावे का भी भुगतान करना था। ऐसा न करने पर, इं.गा.रा.मु.वि. ने 39.54 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

6.5 विद्युत उपभोग पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

विद्युत प्रभारों के घरेलू और अघरेलू दरों के अन्तर को प्राप्त करने में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की विफलता के परिणामस्वरूप 23.70 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (विद्यापीठ), दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (दि.वि.प्र.उ.)/बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड (बी.एस.ई.एस.) से विद्यमान अघरेलू दर पर भारी मात्रा में बिजली खरीदता रहा। इस अघरेलू आपूर्ति में से, के.लो.नि.वि. द्वारा लगाये गये और विद्युत प्राधिकरण द्वारा परीक्षित मीटरों की रीडिंग के आधार पर 1984-85 से 48 स्टाफ क्वार्टरों को घरेलू दरों पर विद्युत की आपूर्ति की जा

रही थी। क्वार्टर अधिभोक्ताओं से घरेलू दरों पर अप्रैल 1997 से मार्च 2003 के दौरान उनके मीटरों की रीडिंग के उपभोग के आधार पर, विद्यापीठ द्वारा 8.18 लाख रुपये वसूल किये गये थे। विद्यापीठ ने 1997-2003 के दौरान स्टाफ क्वार्टरों को विद्युत आपूर्ति के लिए अघरेलू दर पर 31.88 लाख रु. का भुगतान किया।

इस प्रकार, प्रत्येक घरेलू उपभोगकर्ता के लिए अलग विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में विद्यापीठ की असफलता के परिणामस्वरूप अपने स्टाफ क्वार्टरों में उपभोग की गई विद्युत के लिए दिये जाने वाले भुगतान से, 23.70 लाख रु. का ज्यादा भुगतान किया गया। यदि 1984-85 से प्रारम्भ की गई सम्पूर्ण अवधि के लिए परिकलित किया जाता तो भुगतान की गई राशि और भी अधिक होती।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2003 में बताया कि विद्युत प्राधिकरण (दि.वि.प्र.उ./बी.एस.ई.एस.) को अक्टूबर 1985 में विद्युत प्राधिकरण द्वारा आपसी समझ के आधार पर घरेलू आपूर्ति के सम्बन्ध में अघरेलू दर पर ही भुगतान किया गया था कि उनको अघरेलू और घरेलू आपूर्ति दरों के अंतर को क्रेडिट आधार पर दिया जायेगा। आगे ये भी बताया गया कि राशि के अन्तर को क्रेडिट देने के मामले को सम्बन्धित प्राधिकरण को लगातार आधार पर जारी रखा जा रहा था। तथापि, 18 से अधिक वर्षों के बाद भी, विद्यापीठ अधिक भुगतान की गई राशि के क्रेडिट को प्राप्त करने में असफल रहा।

विश्व भारती

6.6 अग्राह्य अग्रिम वेतन वृद्धि की वसूली न होना

विश्वभारती ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का उल्लंघन करके रीडरों को 36.52 लाख रु. की राशि का प्रोत्साहन का अग्राह्य भुगतान किया। यह राशि, रीडरों से वसूल नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) समय-समय पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आचार्यों की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदण्ड निर्धारित करता है। रीडर के पद के लिए, वि.अ.आ. के पात्रता मानदण्ड के अनुसार, पी.एच.डी. एक अनिवार्य आवश्यकता थी। इसको दिसम्बर 1998 की अपनी अधिसूचना में भी दोहराया था। यह भी सूचित किया कि सेवा अवधि में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने वाला आचार्य दो अग्रिम वेतनवृद्धि का पात्र होगा।

तथापि, फरवरी 2000 में, विश्व भारती (विश्वविद्यालय) ने पी.एच.डी. डिग्री धारक रीडरों, जो 1 जनवरी 1996 में पहले से सेवा में थे, के साथ-साथ, उन रीडरों को जो 1

जनवरी 1996 को अथवा बाद में सीधे भर्ती हुए थे, को प्रोत्साहन के रूप में जनवरी 1996 से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान कीं। वेतनवृद्धियां देने का कोई औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

विश्वविद्यालय ने सितम्बर 2000 में, वि.अ.आ. से, रीडरों को अग्रिम वेतनवृद्धि की हकदारी से सम्बन्धित कार्योत्तर स्पष्टीकरण मांगा। वि.अ.आ. ने फरवरी 2001 में स्पष्टीकरण दिया कि (i) रीडर जिसने जनवरी 1996 से पहले पी.एच.डी. प्राप्त की और (ii) रीडर जो सीधे भर्ती हुए थे, को कोई अग्रिम वेतनवृद्धि ग्राह्य नहीं थी क्योंकि पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में से पी.एच.डी. एक थी।

विश्वविद्यालय ने मंत्रालय और वि.अ.आ. से मामले में आगे स्पष्टीकरण मांगने के लिए अप्रैल 2001 में निर्णय लिया। इस प्रकार के स्पष्टीकरण के लम्बित रहने से मई 2001 से पी एच डी धारक रीडर, जिन्होंने 1 जनवरी 1996 को/पश्चात/पूर्व पदभार ग्रहण किया था, को दो अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करना रोके रखा। वि.अ.आ. ने पुनः जुलाई 2002 में स्पष्टीकरण दिया कि उन आचार्यों, जिन्हें उस पद पर भर्ती/पदोन्नत किया गया था जिसके लिए पी.एच.डी. एक अनिवार्य योग्यता थी, को दो अग्रिम वेतनवृद्धियां ग्राह्य नहीं थी।

66 आचार्यों से सम्बन्धित वेतन अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने, वि.अ.आ. के निदेशों का उल्लंघन करते हुए, जनवरी 1996 से अप्रैल 2001 की अवधि के दौरान, रीडरों को 36.52 लाख रु. का अदेय लाभ अनुमत किया। नवम्बर 2003 तक कोई वसूलियां नहीं की गई थी।

मामला मंत्रालय को जून 2003 में भेजा गया; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

7.1 अवसूली योग्य अग्रिम

दूरदर्शन द्वारा आपूर्तिकर्ता को भारी धनराशि अग्रिम देने से पहले उपयुक्त पूर्वोपायों को सुनिश्चित करने की विवेकपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया का सख्ती से पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 4.41 करोड़ रु. की राशि और 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज की अतिरिक्त राशि की वसूली की बहुत कम संभावनाओं सहित बकाया हो गई क्योंकि कम्पनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया है।

दूरदर्शन (दू.द.) ने राज्य सरकार की कम्पनी को उत्तरी क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता को भुगतानों का उत्तरदायित्व सौंपने के साथ, फरवरी 1999 से मार्च 2000 तक की अवधि के दौरान 17.65 करोड़ रु. मूल्य के विभिन्न ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति हेतु सात आदेश दिए। आपूर्ति आदेशों की शर्तों के अनुसार कम्पनी 15 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर पर 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के अग्रिमों का दावा कर सकती थी। दूरदर्शन ने मार्च 2000 में कम्पनी को इन आपूर्ति आदेशों के प्रति 8.38 करोड़ रु. इस शर्त के साथ जारी किए कि अग्रिमों को आपूर्तियों के प्रति समायोजित कर दिया जाएगा। तथापि, निर्गम आदेशों में आपूर्ति न होने की दशा में अग्रिम रूप में दी गई राशि की वसूली के तरीके का उल्लेख नहीं किया गया था।

कम्पनी ने अपना व्यापार जनवरी 2001 में बन्द कर दिया, जबकि 5.61 करोड़ रु. राशि के अग्रिम अभी वसूल/समायोजित किए जाने थे। इन अग्रिमों पर 15 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य ब्याज जून 2003 तक 2.98 करोड़ रु. परिकलित किया गया। इस प्रकार, 8.59 करोड़ रु. रहे। प्रसार भारती ने दिसम्बर 2001 में बताया कि आदेश प्रस्तुत करते समय कोई प्रत्याभूति जमा प्राप्त नहीं की गई थी न ही अन्य पूर्वोपायों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि आपूर्तिकर्ता एक राज्य सरकार की कम्पनी थी। प्रसार भारती ने बताया कि जैसे ही दू.द. को कम्पनी के नवम्बर 2000 में बन्द होने की संभावना का पता चला, मंत्रालय से मामले को राज्य सरकार के पास ले जाने का अनुरोध किया गया था।

मंत्रालय ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को बीच में हस्तक्षेप करने का और आदेश के निष्पादन और अग्रिम के समायोजन में सहायता के लिए अनुरोध किया (नवम्बर 2000)। तदनुसार दू.द. ने राज्य सरकार से ब्याज सहित अग्रिम की राशि को वापस दिलाने में मध्यस्थता करने का भी अनुरोध किया (जनवरी 2001)। इसके बाद दू.द. ने मंत्रालय से विधि मंत्रालय की सलाह प्राप्त करने का अनुरोध किया (मार्च 2001), जिसने परामर्श में कहा कि क्योंकि निबंधन एवं शर्तों में कोई विवाचन धारा नहीं थी इसलिए दूरदर्शन को लोक उद्यम से मार्ग दर्शन ले लेना चाहिए। सलाह लेने पर लोक उद्यम विभाग ने प्रसार भारती को राय दी कि या तो मामला राज्य सरकार के साथ उठाए या कानूनी मामले विभाग से नई राय प्राप्त करे। तदनुसार, मंत्रालय ने पुनः मामले को मई 2002 में

गुजरात सरकार के साथ उठाया। कम्पनी ने अगस्त 2002 में दूरदर्शन को सूचित किया कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2002 में आदेशित इसको समाप्त करने की कार्यवाहियां बाद में न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई थी क्योंकि मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड के पास लम्बित था। दूरदर्शन ने जून 2003 में बताया कि वसूली हेतु लम्बित पड़े अग्रिमों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2004) कि मामला राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। मंत्रालय सितम्बर 2003 तक बकाया अग्रिमों की स्थिति भी प्रस्तुत की जिससे प्रतिबिम्बित हुआ कि सभी चार क्षेत्रों के संकलित अग्रिमों की वसूली नहीं की गई राशि 6.84 करोड़ रु. थी। इसने यह भी दर्शाया कि 2.43 करोड़ रु. के कम्पनी ने बिल भी दू.द. के पास लम्बित थे। दू.द. द्वारा सूचित 4.41 करोड़ रु. के बकाया अग्रिम, इन बिलों को ध्यान में रखने के बाद थे। यद्यपि, मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया कि कम्पनी के बकाया बिल बकाया वसूलियों के प्रति समायोजित क्यों नहीं किए थे और आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर कितना अद्यतन ब्याज वसूली योग्य था।

इस प्रकार, अग्रिम देने से पहले सरकार के हित को बचाने की विवेकपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया का सख्ती से पालन न करने के परिणामस्वरूप 4.41 करोड़ रु. और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से देय ब्याज की राशि बकाया हो गई जिसकी वसूली होने की बहुत कम संभावना है। चूंकि राज्य सरकार कम्पनी का स्वामी है इसलिए मंत्रालय, केन्द्र द्वारा राज्य को दी गई सहायता में से समायोजन के माध्यम से बकाया राशि वसूल करने की संभाव्यता पर विचार कर सकता है।

7.2 राजस्व की हानि

दूरदर्शन ने मनमाने ढंग से मंहगा निर्माण/अधिकृत लागत की अनुमति दी और निर्माता/एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय का कम बिल बनाने के कारण 1.50 करोड़ रु. की हानि भी हुई।

दूरदर्शन (दू.द.) ने 6 और 7 अक्टूबर 1999 को प्रसारण के लिए अगस्त/सितम्बर में फर्म 'ए' द्वारा 40 घंटों के लिए राष्ट्रीय चैनल पर 'आपका फैसला' (आ.फै.) और 26 घंटों के लिए मैट्रों चैनल पर 'इंडिया डिसाइड्स' (इ.डि.) नाम के विशेष चुनाव विश्लेषण कार्यक्रमों के निर्माण का अनुमोदन किया। इसके साथ-साथ दू.द. ने 2.65 करोड़ रु. की न्यूनतम गारंटी (न्यू.गा.) (आ.फै. के लिए 2.10 करोड़ रु. तथा इ.डि. के लिए 0.55 करोड़ रु.) पर इस फर्म को इन कार्यक्रमों का विपणन अधिकार सौंप दिया था। कार्यक्रमों की निर्माण/अधिकृत लागत 4.50 करोड़ रु. (आ.फै. के लिए 3.25 करोड़ रु. और इ.डि. के लिए 1.25 करोड़ रु.) निर्धारित की गई। वाणिज्यिक समय के उपयोग का केप नान-प्राइम टाईम के लिए 300 सैकण्ड प्रति आधा घंटा और प्राइम टाईम के लिए 390 सैकण्ड प्रति आधा घंटा का एक टैप था।

दू.द. और फर्म ए के बीच राजस्व हिस्से की प्रक्रिया का समझौता निम्न प्रकार था:-

- (i) निवल राजस्व का (15 प्रतिशत एजेंसी की कमीशन की कटौती के बाद), 2.65 करोड़ रु. की न्यू.गा. पहले दू.द. को क्रेडिट किया जाना था।
- (ii) 7.15 करोड़ रु. वसूल करने के बाद अतिरिक्त राजस्व (एम.जी. जमा निर्माण/अधिकृत लागत) दू.द. और फर्म के बीच निम्न प्रकार सहभाजित की गई थी:

(क) पहले 0.5 करोड़ रु. 75:25 के अनुपात में।

(ख) 0.5 करोड़ रु. के बाद और 1.50 करोड़ रु. तक 70:30 के अनुपात में, और

(ग) 1.50 करोड़ रु. के बाद 60:40 के अनुपात में।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2003) से पता चला कि उसी एजेंसी द्वारा मार्च 1998 में 93 घंटे के प्रसारण के लिए (राष्ट्रीय चैनल पर 57 घंटे और मैट्रो चैनल पर 36 घंटे) उसी तरह के कार्यक्रमों के लिए 3.75 करोड़ रु. निर्धारित की गई न्यू.गा. के संदर्भ में 2.65 करोड़ रु. की न्यू.गा. यथानुपात आधार पर परिकलित की गई थी। तथापि, निर्माण/ अधिकृत अनुमत लागत 4.50 करोड़ रु. थी जो पूर्व वर्ष में दी गई राशि के समान थी अर्थात् 1998 (जब कार्यक्रमों के निर्माण के लिए घंटों की संख्या अक्टूबर 1999 में 66 के प्रति 93 थी)। इस प्रकार, दू.द. ने निर्माण/ अधिकृत लागत, परिकलित करने और 66 घंटों तक सीमित करने की बजाय पूर्वगामी वर्षों के स्तर पर मनमाने ढंग से दी गई। अभिलेख यह भी उद्घाटित करते थे कि 20.159 सैकेंड (राष्ट्रीय चैनल पर 12,348 सैकेंड और मैट्रो चैनल पर 7,811 सैकेंड) निर्माता द्वारा उपयोग किया गया कुल वाणिज्यिक समय को दू.द. ने केवल 13,830 सैकेंड (राष्ट्रीय चैनल के लिए 8,580 सैकेंड और मैट्रो चैनल के लिए 5,250 सैकेंड) ही लेखाबद्ध किया गया था। निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले शेष 6329 सैकेंड के वाणिज्यिक समय के लिए निर्माता को बिल न देने और अप्राधिकृत ढंग से अपने ग्राहकों को दिए गए बोनस के कारण दू.द. द्वारा राजस्व की हानि हुई जो दर कार्ड में उपलब्ध स्पॉट बाय रेट पर 1.50 करोड़ रु. बनती थी।

इस प्रकार, दू.द. ने न केवल मनमाने ढंग से महंगा निर्माण/अधिकृत लागत की अनुमति दी बल्कि निर्माता/एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय का कम बिल बनाने के कारण 1.50 करोड़ रु. की हानि भी हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 में भेजा गया था उसका उत्तर अप्रैल 2004 तक प्रतीक्षित था।

7.3 राजस्व की हानि

ग्राह्य सीमा से अधिक निःशुल्क वाणिज्यिक समय देने के परिणामस्वरूप दू.द. को 74.10 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई और एक प्रायोजित कार्यक्रम के निर्माता को अनुचित लाभ हुआ।

दूरदर्शन (दू.द.) के दर कार्ड में यह व्यवस्था है कि कार्यक्रम के समाप्त होने तक कार्यक्रम की श्रेणी और प्रसारण शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दू.द. ने दर कार्ड में यह स्पष्ट किया है कि रात्रि 9.30 बजे शुरू होकर और रात्रि 10.30 बजे तक चलने वाले धारावाहिक का भुगतान रात्रि 9.30 बजे से प्रारम्भ होने वाले स्लाट पर लागू प्रसारण शुल्क के अधीन होगा।

दूरदर्शन ने 1995 में न्यूनतम गारण्टी (न्यू.गा.) योजना प्रारंभ की, जिसमें निर्माताओं को कार्यक्रम के प्रसारण के लिए 'न्यूनतम एकमुश्त राशि' का भुगतान करना अपेक्षित है और जिसके बदले में उन्हें निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त वाणिज्यिक समय दिया जाता है। न्यूनतम गारण्टित राशि प्रसारण शुल्क लेना अपेक्षित है और अतिरिक्त वाणिज्यिक समय का मूल्य निर्माता को दिया गया। तथापि, निर्माता वाणिज्यिक समय की अतिरिक्त इकाइयों (स्पॉट बाई) की खरीद पर कुछ रियायतों (निर्धारित दर पर) के हकदार होंगे।

दू.द. के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम गारण्टी आधार पर 29 सितम्बर 1999 से रात्रि 9.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बुधवार को 26 धारावाहिक के प्रसारण के लिए 'तक धिना धिन' नाम के प्रायोजित कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया। बाद में, इसे और 26 धारावाहिकों के लिए बढ़ाया गया। धारावाहिक के प्रसारण के लिए वाणिज्यिक शर्तें निम्न प्रकार निर्धारित की गई थी:

शर्तें	1-13 धारावाहिक	14वें धारावाहिक से आगे
न्यू. गा. राशि	ग्राह्य निःशुल्क वाणिज्यिक समय सहित 570 सैकेंड के वाणिज्यिक समय के साथ 29.07 लाख रु.	ग्राह्य निःशुल्क वाणिज्यिक समय सहित 570 सैकेंड के वाणिज्यिक समय के साथ 32.30 लाख रु.
स्पॉट बाई दर (स्पा.बा.द.)	90,000 रु. प्रति दस सैकेंड	1,00,000 रु. प्रति दस सैकेंड

रात्रि 9.30 बजे से शुरू आधे घंटे के स्लाट के लिए 90 सैकेंड निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) के लिए दर कार्ड दिया गया। तदनुसार, रात्रि 9.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे (1 घंटा) के इस कार्यक्रम के लिए ग्राह्य नि.वा.स. 180 सैकेंड था।

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि शुरू के 26 धारावाहिकों के दौरान निर्माता को 180 सैकेंड की वजाय 210 सैकेंड के नि.वा.स. सहित 570 सैकेंड का वाणिज्यिक

समय अनुमत किया गया था। 27वें धारावाहिक से 180 सैकेंड का नि.वा.स. सही रूप से अनुमत किया गया था। इस प्रकार, शुरू के 26 धारावाहिकों के दौरान 30 सैकेंड से अधिक नि.वा.स. अनुमत किया गया था जिसका मूल्य 2.70 लाख रु. प्रति धारावाहिक और अगले 13 धारावाहिकों के लिए 3 लाख रु. प्रति धारावाहिक बनता था। इस प्रकार अधिक अनुमत नि.वा.स. का कुल मूल्य इस प्रकार 74.10 लाख रु. था। अतः दू.द. को ग्राह्य सीमा से अधिक नि.वा.स. देने के कारण 74.10 लाख रु. की हानि हुई और इस सीमा तक पहले के 26 धारावाहिकों के लिए कार्यक्रम के निर्माता को अनुचित लाभ दिया गया था।

प्रसार भारती ने बताया (दिसम्बर 2003) कि दर कार्ड में 10 से रात्रि 10.30 बजे तक 30 सैकेंड के अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय की व्यवस्था थी जिसे 31 मार्च 2000 तक बढ़ा दिया गया था और इस प्रकार निर्माता को कोई अतिरिक्त वाणिज्यिक समय अनुमत नहीं किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दर कार्ड में स्पष्ट था कि यदि कार्यक्रम पहले स्लाट 9.30 बजे से रात्रि 10 बजे में शुरू होता है और 10 से रात्रि 10.30 बजे के स्लाट में जारी रहता तो कार्यक्रम के शुरू होने पर लागू श्रेणी के अधीन होगा, यद्यपि 10 से रात्रि 10.30 बजे के स्लाट में अतिरिक्त नि.वा.स. शामिल था। इसलिए इस प्रकार के मामलों में यह अन्तर्निहित है कि पहले स्लॉट के शुरू होने पर लागू न्यू.गा. और नि.वा.स. 10 से रात्रि 10.30 बजे के स्लॉट में ग्राह्य के परिवर्तन के बिना भी जारी रहेगा। अतः इस मामले में 10 से रात्रि 10.30 बजे के स्लॉट में ग्राह्य 30 सैकेंड का अतिरिक्त नि.वा.स. देना गलत था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर अप्रैल 2004 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रैस परिषद

7.4 शुल्क की वसूली न होना

भारतीय प्रेस परिषद अपने यहाँ पंजीकृत समाचार पत्रों एवं समाचार एजेन्सियों पर लगाये गये 3.05 करोड़ रुपये के अनुग्रहित शुल्क को वसूल करने में विफल रहा जिसके कारण उसे निरन्तर सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 1989 (1990 की संख्या 8) को समाप्त हुये वर्ष की रिपोर्ट संख्या 8 के पैराग्राफ संख्या 20 में उल्लेख किया गया था कि पंजीकृत समाचार पत्रों और समाचार एजेन्सियों द्वारा भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) को दिये जाने वाले बकाया शुल्क के भुगतान में मार्च 1984 के अन्त में 4.60 लाख रुपये से मार्च 1989 के अन्त तक बढ़कर 19.32 लाख रुपये हो जाने से 320 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। वसूली 85 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक गिर गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही टिप्पणी में बताया था (अक्टूबर 1992) कि जिलाधिकारी व्यतिक्रामी के बैंक खाते की संख्या, परिसंपत्ति और संपत्ति के रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण भू-राजस्व की वसूली करने में असमर्थ थे और भारत के

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (भा.स.र.) के पास अपेक्षित सूचना भी नहीं थी। फिर भी परिषद द्वारा शुल्क को अनुग्रहित करने के लिए बहुत प्रयास किये जा रहे थे।

परिषद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किये जाने के बाद भी बकाया देय की वर्षानुवर्ष निरन्तर वृद्धि हो रही थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(लाख रूपयों में)

वर्ष	बकाया शुल्क का अथशेष	वर्ष के दौरान माँगी गई राशि	वसूल किए जाने वाले कुल बकाया शुल्क	वसूल की गई/छोड़ दी गई राशि	वर्ष की कुल वसूलनीय शुल्क के प्रति वसूली/छोड़ी गई राशि की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त तक बकाया शेष
1989-90	19.32	19.99	39.31	17.13	43.57	22.18
1990-91	22.18	19.27	41.45	16.72	40.33	24.73
1991-92	24.73	21.23	45.96	18.80	40.90	27.16
1992-93	27.16	23.13	50.29	16.78	33.36	33.51
1993-94	33.51	27.80	61.31	18.41	30.02	42.90
1994-95	42.90	32.70	75.60	22.03	29.14	53.57
1995-96	53.57	35.67	89.24	22.62	25.35	66.62
1996-97	66.62	27.17	93.79	24.90	26.55	68.89
1997-98	68.89	61.24	130.13	23.69	18.20	106.44
1998-99	106.44	52.68	159.12	29.35	18.44	129.77
1999-00	129.77	56.82	186.59	31.48	16.87	155.11
2000-01	155.11	119.42	274.53	30.56	11.13	243.97
2001-02	243.97	65.61	309.58	31.55	10.19	278.03
2002-03	278.03	64.59	342.62	37.12	10.83	305.50

वसूली की दर 1989-90 में कुल देय के 43.57 प्रतिशत से 2002-03 में गिरकर 10.83 प्रतिशत रह गई थी। यह दर्शाता है कि न तो मंत्रालय द्वारा और न ही परिषद द्वारा वसूली की प्रणाली को सुप्रवाही बनाये जाने के लिए गंभीर प्रयास किये गये थे। परिषद द्वारा समय पर भी माँग नहीं की गई थी। वर्ष 1991-92 से 1999-2000 की माँग का कुछ हिस्सा वर्ष 2000-2001 में उठाया गया था।

परिषद द्वारा शुल्क को अनुग्रहित करने में विफलता के कारण मार्च 2003 तक सरकार से 3.05 करोड़ रु. तक की अतिरिक्त बजटीय सहायता लेनी पड़ी थी।

परिषद ने बताया (जुलाई 2003) कि शुल्क को एकत्रित किये जाने में गति लाने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978, में संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुसार केन्द्र/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अथवा अन्य लोक प्राधिकारी वर्ग के किसी विभाग द्वारा 5000 से अधिक प्रतियों के परिचालन वाले समाचार पत्रों के विज्ञापन बिल पारित नहीं किये जाये जब तक कि समाचार पत्र परिषद से पिछले वित्त वर्ष के लिए 'देय नहीं प्रमाण पत्र' प्रस्तुत न करें। प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित था।

मंत्रालय ने भारतीय प्रेस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणी देने के बजाय, कहा (अप्रैल 2004) कि परिषद ने राज्यों/सं.रा.क्षे. को एस.आई.एम.सी.ओ.एन.-1998 के निर्णय की सूचना दी थी कि राज्य सरकारों को जिला वसूलियों में सहायता करने के लिए, जिला समाहर्ता को अनुदेश दिए जाएंगे और समाचार-पत्रों के विज्ञापन बिल, “परिषद को कोई देय नहीं” के प्रस्तुत करने पर ही समाशोधित किए जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि परिषद के देयों की वसूली के प्रयास कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा बाधित थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि तथ्य यह है कि परिषद देयों की वसूली के लिए अपनी दरों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रणाली तैयार करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता पर इसकी बजटीय निर्भरता बढ़ गई थी

अध्याय VIII : जहाजरानी मंत्रालय - पत्तन स्कंध

चेन्नई पत्तन न्यास

8.1 एशियन डिवेलपमेंट बैंक से ऋण सहायता का लाभ उठाने का अविवेकपूर्ण निर्णय - परिहार्य अतिरिक्त व्यय

आंतरिक संसाधनों से पर्याप्त अधिशेष निधियों की उपलब्धता जिससे निवेशों पर निम्नतर प्रतिफल हुआ, के बावजूद अगस्त 1997 के दौरान ब्याज और अन्य प्रभारों पर बढ़ी हुई बचनबद्धता के साथ एशियन डिवेलपमेंट बैंक से ऋण लाभ उठाने में पत्तन न्यास के अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के परिणामस्वरूप ऋण व्यवस्था के प्रतिबंध तक हुए 1.87 करोड़ रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

चेन्नई पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) ने सामान्य जहाजी माल व्यवस्था सुविधाएं और बर्थ का 70 प्रतिशत कब्जे के पर्याप्त स्तर के अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (पत्तन न्यास के बोर्ड ने) दो योजनाओं अर्थात् (i) दक्षिण घाट-III के विस्तार की एकीकृत योजना और पूर्वी घाट का आधुनिकीकरण (ii) पश्चिम घाट और उत्तर घाट बर्थों का आधुनिकीकरण क्रमशः 46.10 करोड़ रु. और 47.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव अनुमोदित (अगस्त 1997) किया। योजनाओं की लागत का खर्चा पत्तन के आन्तरिक संसाधनों से किया जाना था। पत्तन न्यास के पास 31 मार्च 1997 को 675.74 करोड़ रु. तक की निवल अधिशेष निधियाँ थी और आन्तरिक संसाधनों से उपलब्ध अनुमानित अधिशेष 1997-98 के लिए योजनागत निर्माण कार्यों के लिए देने के पश्चात् 431.13 करोड़ रु. था। तथापि, पत्तन न्यास ने अगस्त 1997 में दो योजनाओं का निधियन करने के लिए एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ए.डि.बैं) से बातचीत की थी और ए.डि.बैं. ने 15.20 मिलियन अमरीकन डालर का ऋण संस्वीकृत किया था। सितम्बर 1998 में पत्तन न्यास और ए.डि.बैं. के बीच ऋण अनुबंध हुआ था।

ए.डि.बैं. के ऋण विनियमों के अनुसार (i) ब्याज दर समय-समय पर ए.डि.बैं. द्वारा निर्धारित की जाएगी, (ii) बचनबद्धता प्रभार ऋण की राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर समय-समय पर कम राशि आहरित होने पर ए.डि.बैं. को देय होने थे। (iii) ए.डि.बैं. परियोजना की कार्यान्वित अवधि के दौरान सिविल निर्माण कार्यों की लागत का 40 प्रतिशत और ऋण पर ब्याज और वचनबद्धता प्रभारों का 100 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था करेगा। पत्तन न्यास को भारत सरकार को बकाया ऋण की राशि पर 1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा।

निविदाएं आमंत्रित की गईं और 93.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के प्रति 73.60 करोड़ रु. के कुल मूल्य के लिए न्यूनतम निविदाकर्ता को निर्माण कार्य सौंपे गये (अक्टूबर 1999)। दिसम्बर 1999 में ऋण की पहली किश्त 0.68 मिलियन अमरीकन डालर आहरित की गई थी। अनुमान की तुलना में कार्य के मूल्य में कमी होने के कारण, पत्तन न्यास के अनुरोध पर, ए.डि.बैं. ने 10 जनवरी 2000 से ऋण राशि 15.20 मिलियन अमरीकन डालर (60.80 करोड़ रु.) से 8.50 मिलियन अमरीकन डालर (42 करोड़ रु.) कर दी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2002) कि ए.डि.बैं. से ऋण का लाभ उठाने में कुल वचनबद्धता पत्तनन्यास की अधिशेष निधियों के निवेश (10-12 प्रतिशत) पर ब्याज की तुलना में अधिक (लगभग 13 प्रतिशत) था। लेखापरीक्षा ने ए.डि.बैं. से निधियां उधार लेने के निर्णय का कारण भी जानना चाहा था क्योंकि उसके समर्थन में कोई तर्क संगति उपलब्ध नहीं थी। पत्तन न्यास ने केवल बताया (मई 2002) कि न्यासी बोर्ड ने फरवरी 2002 में ए.डि.बैं. से प्राप्य असंवितरित ऋण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था क्योंकि पत्तन न्यास को 13.02 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर ऋण की लागत और पत्तन के अधिशेष निधियों के निवेश पर 8.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के प्रतिफल दर के बीच अन्तर के कारण लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की हानि हो रही थी।

ए.डि.बैं. से दिसम्बर 2001 तक प्राप्त ऋण 4.01 मिलियन अमरीकन डालर था और 29 अक्टूबर 2002 को 4.84 मिलियन अमरीकन डालर (23.44 करोड़ रु., ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और प्रतिबंधन के कारण प्रीमियम सहित) के भुगतान के बाद ऋण लेखे को बंद कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा की अनुवर्ती पूछताछ के उत्तर में (जुलाई 2002) पत्तन न्यास ने बताया (सितम्बर 2002) कि आरंभ में ए.डि.बैं. से ऋण सहायता अच्छा विकल्प पाया गया था क्योंकि इससे पत्तन के संसाधनों पर कम भार पड़ा था, जिसे किसी बजटीय समर्थन के बिना अन्य योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था। पत्तन न्यास ने आगे अपनी प्रतिक्रिया को युक्तियुक्त बताते हुए कहा कि (i) ए.डि.बैं. से प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से निधियन की लागत 14 प्रतिशत थी, (ii) प्रारंभिक व्यवस्था/आरक्षित निधि में प्रतिपूर्ति से पूर्व 'इनोर पत्तन निर्माण' पर संविदा भुगतानों को करना अपेक्षित था तथा (iii) अल्पकालिक निवेशों के लिए ब्याज दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत थी।

तथापि, पत्तन न्यास का तर्क न्यास संगत नहीं था क्योंकि (i) पत्तन न्यास के पास 31 मार्च 1997 तक 675.74 करोड़ रु. और 31 मार्च 1998 तक 784.49 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण निवल अधिशेष निधियाँ थीं। दो परियोजनाओं की अनुमानित लागत केवल 93.60 करोड़ रु. थी और सम्पूर्ण लागत आंतरिक संसाधनों से पूरी की जानी थी;

(ii) 1997-98 के दौरान इनोर पत्तन परियोजना पर व्यय केवल 87.69 करोड़ रु. था, जिसे भी आंतरिक संसाधनों की विलम्बित प्रतिपूर्ति से पूरा किया जाना चाहिए था; और

- (iii) 1997-98 के दौरान अल्प अवधि (3 वर्षों) के लिए 428.51 करोड़ रु. तक नया निवेश किया गया।

इस प्रकार, 1997-98 के दौरान पत्तन न्यास का, महत्वपूर्ण आंतरिक संसाधन की उपलब्धता होने के बावजूद, ए.डि.बैं. से ऋण लेना अलाभकारी और अविवेकपूर्ण था। ए.डि.बैं. से प्राप्त ऋण की लागत और निवेशों के प्रतिफल के बीच अन्तर के परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

पत्तन ने फरवरी 2002 में ही अर्थव्यवस्था का विलम्बित विश्लेषण किया और अक्टूबर 2002 में ए.डि.बैं. के साथ ऋण व्यवस्था को प्रतिबंधित किया था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2003 में भेजा गया; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

8.2 समुद्र में उपयोज्य कोयले का निपटान करने के कारण राजस्व में हानि

पत्तन न्यास निकर्षक द्वारा जवाहर गोदी बेसिन में से निकर्षित मुख्य रूप से छितराया हुआ कोयला शामिल होने वाली सामग्रियों का उपयोज्य कोयले को बचाने के लिए कोई कार्यवाही किए बिना समुद्र में ही ढेर लगाया गया था। पत्तन न्यास ने 2001 में चार महीनों के दौरान जब एक ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया था, बचाए गए कोयले पर 14.85 लाख रु. वसूल किए। पत्तन न्यास ने सितम्बर 2001 से फरवरी 2003 के दौरान ठेका प्रणाली को जारी रखने पर विचार नहीं किया जिसके कारण 1.63 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई और 2.57 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

चेन्नई पत्तन में, जलयानों के आराम से चलने के लिए बर्थों तथा उसके साथ संलग्न तटीय नगरभागों पर अपेक्षित गहराई रखने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) आवधिक निकर्षण कराने का उत्तरदायित्व लेता है। पत्तन न्यास द्वारा उसके दो निकर्षकों का उपयोग करके मिट्टी की गाद या छितरा नौभार हटाने के लिए यह अनुसूचना निकर्षण नियमित अंतरालों अथवा जब कभी स्थिति अभीष्ट हो, पर किया गया था।

छ: बर्थों, जिन्होंने मुख्यतः कोयला संचालन किया था, वाले जवाहर गोदी (ज.गो.) में निकर्षक 'प्राइड' का उपयोग करके निकर्षण किया गया था। इन बर्थों में मिट्टी की गाद को हटाना व्यवहारिक रूप से गोदी की अवस्थापना तथा दीवारों का डिजाइन के कारण नगण्य होना सूचित किया गया था अतः निकर्षण कार्य अनिवार्य रूप से छितरा कोयला हटाने तक सीमित था। निकर्षक 'प्राइड' के साथ संलग्न क्रेन की लम्बाई घाट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः विखंडित कोयला तथा निकर्षित अन्य सामग्री हॉम्पर्स में भर कर पत्तन से लगभग 5 कि.मी. दूर समुद्र में विनिर्दिष्ट विकृत भूमि में एकत्र कर दी थी।

अगस्त 2000 के दौरान, निकर्षक 'प्राइड' मरम्मत तथा सर्वेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुष्क गोदी में भेज दिया गया था। चूंकि इसको दो से तीन महीने लगेंगे, बर्थ बेसिनों पर अपेक्षित गहराई को बनाए रखने तथा जलयानों के निरन्तर घाट पर लगाने को सरल बनाने के लिए चे.प.न्या. ने प्राइवेट ठेकेदारों से जैसाकि तूतीकोरीन पत्तन में किया गया था, निकर्षण कार्य कराने के लिए प्रस्तावित किया। चे.प.न्या. ने यह योजना बनाई कि ठेकेदार एक समय में तीन दिनों के लिए आबंटित बर्थों को निकर्षित करेगा तथा कोयला तथा अन्य सामग्री निर्दिष्ट क्षेत्र में डालेगा। अनुबद्ध प्रभार का भुगतान करने पर ठेकेदार को उपयोज्य कोयला लेने की अनुमति दी जाएगी जबकि पत्तन न्यास द्वारा अन्य सामग्री का धंसे हुए क्षेत्रों में निपटान किया जाएगा।

सभी छः बर्थों में तीन माह की ठेका अवधि के लिए 2000 मी.ट. पर निस्तारणीय मात्रा का अनुमान लगाया गया था। निविदाएं जनवरी 2001 में आमंत्रित की गई थी तथा उपयोज्य कोयले का 557 रु. प्रति मीट्रिक टन (मी.ट.) का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। निकर्षक 'प्राइड' पुनः जनवरी 2001 के दौरान शुष्क गोदी हेतु भेजा गया तथा मार्च 2001 में प्राइवेट ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले निकर्षण हेतु जून 2001 में तीन माह की अवधि के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। समयावधि बढ़ाने के पश्चात ठेकेदार द्वारा निकर्षण जुलाई 2001 में पूरा किया गया था।

गोदी से 2996 मी.ट. सामग्री निकर्षित की गई थी। इसमें से ठेकेदार ने 557 रु. प्रति मी.ट. की दर पर 14.85 लाख रु. का भुगतान करके 2666.61 मी.ट. उपयोज्य कोयला लिया। लगभग 330 मी.ट. की शेष मात्रा का पत्तन के भीतर उसके अपने उपकरण तथा श्रम का उपयोग करके धंसे हुए क्षेत्रों में निपटान किया गया था। ठेकेदार द्वारा हटायी गई उपयोज्य सामग्री कुल निकर्षित सामग्री के 50 प्रतिशत के अनुमान के प्रति 89 प्रतिशत बनी।

शुष्क गोदी में भेजने के बाद निकर्षक 'प्राइड' को अगस्त 2001 में पुनः कार्य पर लगाया गया था। सितम्बर 2001 से फरवरी 2003 की अवधि के दौरान जवाहर गोदी से 48,740 क्यू.मी. कोयला तथा अन्य सामग्रियां निकर्षित की गई थी।

इन तथ्यों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्न प्रकार हैं:

(1) कई वर्षों से चेन्नई पत्तन न्यास ज.गो.बेसिन से निकर्षित सामग्री समुद्र में गिराता था क्योंकि निकर्षक 'प्राइड' के साथ संलग्न क्रेन की लम्बाई घाट तक पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पत्तन न्यास ने घाट के समीप निकर्षित सामग्री गिराने के लिए क्रेन की लम्बाई बढ़ाने अथवा तटीय क्रेनों का उपयुक्त ढंग से उपयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया था। इससे यह उपयोज्य कोयला बिक्री हेतु उस ढंग में जैसाकि प्राइवेट ठेकेदार द्वारा 2001 में अपनाया था, पृथक-पृथक किया जा सकेगा। पत्तन न्यास ने भी अन्य पत्तनों द्वारा इसी प्रकार के कार्यों हेतु अपनायी गई प्रक्रिया की खोज नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने यह पता लगाया (मई 2003) कि तूतीकोरीन पत्तन में

छितराए हुए कोयले का निकर्षण विभागीय रूप से पत्तन की प्लवमान क्रेन (पकड़ने की बाल्टी के साथ फिट की हुई) का उपयोग करके किया गया था तथा निकर्षित कोयला घाट के पास उतारकर खुली निविदा के माध्यम से बेचा गया था। यह प्रक्रिया तूतीकोरिन पत्तन में 1995 से चालू थी।

1996-97 से 2000-2001 के दौरान ज.गो. बेसिन में निकर्षित मात्रा 2,12,418 मी.ट. थी। यहाँ तक कि उपयोज्य निस्तारित कोयले के 50 प्रतिशत निम्नतर अनुमान पर समुद्र में गिराई गई लेकिन बचाई नहीं गई उपयोज्य कोयले की मात्रा 1,06,209 मी.ट. परिकलित की गई। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि ठेकेदार द्वारा 2001 के दौरान वास्तव में बचाया गया उपयोज्य कोयला कुल निकर्षित मात्रा का लगभग 89 प्रतिशत बना।

(2) इसके अतिरिक्त, पत्तन न्यास ने 2001 के दौरान ज.गो.बेसिन में ठेकेदार द्वारा निकर्षण प्रचालन से चार माह की अवधि 14.85 लाख रु. का निवल राजस्व वसूल किया। यह बर्थ क्रियाकलापों में कोई रुकावट हुए बिना संभव हुआ था। पत्तन न्यास ने अभी तक प्राइवेट एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा दीर्घकालिक आधार पर निकर्षण कार्य कराने की व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया था। इसकी बजाय निकर्षक 'प्राइड' को ज.गो. बेसिन पर निकर्षण कार्य जारी रखने के लिए पुनः लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप पत्तन न्यास को सितम्बर 2001 से फरवरी 2003 के दौरान निकर्षित 48,740 क्यू.मी. (58,488 मी.ट.) की सामग्रियों से बचाने योग्य उपयोज्य कोयले (50 प्रतिशत पर) पर 1.63 करोड़ रु. राजस्व की हानि हुई। निकर्षक 'प्राइड' का उपयोग करके 48,740 क्यू.मी. निकर्षण की लागत 2.57 करोड़ रु. परिकलित की गई जो परिहार्य थी।

मामला मंत्रालय को जून 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

8.3 वी.आई.पी. लांच की अविवेकपूर्ण खरीद

पर्यवेक्षण हेतु वी.आई.पी. लांच की आपूर्ति के लिए अप्रैल 1998 में आदेश करने से पहले, पत्तन न्यास, बदलती परिस्थितियों के अन्तर्गत लांच के उपयोग करने के ह्रासित व्याप्ति पर ध्यान देने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप लांच बेकार पड़ी रही और इसकी अधिप्राप्ति पर 1.67 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

वार्षिक योजना 1995-96 के अन्तर्गत, चे.प.न्या. ने प्रारम्भ में तीन विद्यमान प्रारम्भिक लांचों के प्रतिस्थापन और एक समुद्रीय गश्त करने के लिए, चार लांच प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया। तदनन्तर, पत्तन न्यास ने महसूस किया कि दो पायलट लांचों की अधिप्राप्ति, संचालन और सर्वेक्षण की देखभाल करने के लिए पर्याप्त होगी। तीसरी पायलट लांच के स्थान पर, चे.प.न्या. ने समुद्री मार्ग से पत्तन गतिविधियों के निरीक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए और पत्तन न्यास और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एन्नौर पर बनने वाले उपग्रह पत्तन के कार्य का भी निरीक्षण करने के लिए एक

वी.आई.पी. लांच अधिप्राप्त करने का प्रस्ताव (अप्रैल 1995) किया। अनुमानित लागत 1.90 करोड़ रु. थी। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अप्रैल 1995 में अनुमोदित किया गया था।

सितम्बर 1996 में निविदा आमंत्रित करने और राष्ट्रीय जहाजरानी परिकल्पना और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम से वी.आई.पी. लांच के लिए विनिर्देशन पर सलाह प्राप्त करने के पश्चात, अगस्त 1997 में, कार्य आदेश अप्रैल 1998 में फर्म 'क' को, 13 महीनों में सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि पर निश्चित करके, जारी किया। फर्म ने लांच अक्टूबर 1999 में सौंप दी थी। आपूर्ति में विलम्ब, निर्माता द्वारा इंजन की विलम्बित आपूर्ति को आरोपित किया, जिसे पत्तन न्यास ने अनदेखी कर दी थी।

लांच, जिसे पत्तन के विद्युत एवं यांत्रिक विभाग द्वारा जांच के पश्चात दिसम्बर 1999 में स्वीकार कर लिया था, फरवरी, 2000 में समुद्रीय विभाग के सुपुर्द कर दी गई थी। 1.67 करोड़ रु. आपूर्तिकर्ता फर्म को अदा किया गया था। न तो कोई कार्य-पंजी थी, न ही कोई प्रमाण था कि लांच का मई 2000 तक उपयोग किया गया था। मई 2000 में, मुख्य इंजन में त्रुटियों सहित कतिपय मुख्य त्रुटियां, समुद्रीय विभाग द्वारा सूचित की गई थी। त्रुटियां, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ठीक कर दी गई थी और लांच अप्रैल 2001 तक संचालन योग्य बना दी गई थी। मई 2001 में, दुबारा, समुद्रीय विभाग इंजन के निष्पादन को असंतुष्टिजनक पाया और इसलिए चलाने के लिए सुरक्षित नहीं था। त्रुटियां, आपूर्तिकर्ता द्वारा ठीक कर दी गई थी और लांच अगस्त 2001 तक संचालन करने योग्य बना दी गई। एक कार्यपंजी का, सितम्बर 2001 से अनुस्क्षण किया गया।

पत्तन न्यास की विभागों के अध्यक्षों की बैठक के बीच, (मई 2001) लांच को बेचने का निर्णय लिया गया क्योंकि एन्नौर पत्तन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था और एन्नौर पत्तन लिमिटेड, इसका प्रबन्धन हाथ में ले चुकी थी। लांच को भारत के किसी अन्य पत्तन को बेचने के चे.प.लि. न्याय के किए गए प्रयत्न सफल नहीं हुए। वी.आई.पी. लांच के संभावित खरीददारों से रुचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करते हुए, एक विज्ञापन अप्रैल 2003 में जारी किया था परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2003)। वी.आई.पी. लांच में अधिप्राप्ति की तिथि दिसम्बर 1999 से बेकार पड़ी थी।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की संवीक्षा की और निम्नलिखित अनियमितताएं ध्यान में आईं:

- (i) लांच की आपूर्ति के लिए आदेश, पत्तन न्यास के बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (अप्रैल 1995) के तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात, दिया गया था। मुख्यतः विलम्ब विशेष वी.आई.पी. लांच का विनिर्देशन असाधारण होने के कारण और आगे का विलम्ब, निविदा प्रक्रिया के कारण था।
- (ii) पत्तन पर वी.आई.पी. निरीक्षण हेतु एक बहुउद्देश्यीय जलयान 'प्रेस्टिज' का पहले से ही उपयोग किया जा रहा था। अतः इस उद्देश्य के लिए अन्य वी.आई.पी. लांच का कोई औचित्य नहीं था। वी.आई.पी. लांच के लिए दूसरा औचित्य दिया गया था कि समुद्र-मार्ग लेते हुए पत्तन न्यास के कर्मचारियों द्वारा एन्नौर पत्तन के कार्य का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग होगा। मार्च 1998 को, 'जल लांच की आपूर्ति का कार्य आदेश लगभग जारी किया जाना था, मुख्य कार्य नामतः जब दरारों और जहाज

घाट का निर्माण और पत्तन बन्दरगाह और प्रवेश जलमार्गों का निकर्षण' का अपेक्षित निरीक्षण होना था, पहले से ही प्रगति में थे और कार्य क्रमशः अगस्त 2000, फरवरी 2000 और जुलाई 2000 में पूरे किए जाने की योजना थी। पत्तन न्यास द्वारा इस स्थिति को जानते हुए और जैसा कि वी.आई.पी. लांच की आपूर्ति की निर्धारित अवधि 13 महीने थी, को ध्यान में रखते हुए, पत्तन न्यास, अप्रैल 1998 में फर्म के साथ आपूर्ति आदेश करने से पहले लांच की अधिप्राप्ति करने के अपने निश्चय पर पुनर्विचार कर सकता था।

इस प्रकार यह अवलोकन किया गया कि चे.प.न्या. द्वारा वी.आई.पी. लांच, अभीष्ट उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग के क्षेत्र पर विचार किए बगैर, अविवेकपूर्ण अधिप्राप्त करने के परिणाम से तीन वर्षों से अधिक के लिए लांच बेकार पड़ी रही और 1.67 करोड़ रु. का पत्तन का निवेश निष्फल सिद्ध हुआ।

मंत्रालय ने तथ्य स्वीकार करते हुए कि लांच का आपूर्ति आदेश करते समय, निरीक्षित किए जाने वाले कार्य लगभग सम्पूर्णता के करीब थे, बताया (अक्टूबर 2003) कि सभी पत्तनों को आवश्यक अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए कि कीमती उपकरण। जलयान/पोतों की अधिप्राप्ति को बहुत विचार विमर्श के साथ कार्यान्वित करें जिसमें कि संस्वीकृति के समय के साथ-साथ क्रय आदेश देते समय मद की आवश्यकता का पूर्णरूप से निरीक्षण किया है और कि प्रस्ताव की अनुमति से क्रय आदेश देने के बीच के विलम्ब का समय कम से कम हो।

यह अवलोकन किया गया कि पत्तन न्यास लांच को बेचने का निर्णय की तिथि से दो वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं बेच सका और लांच नवम्बर 2003 तक अधिकांशतः अप्रयुक्त पड़ी रही।

8.4 निधियों का अवरोधन

उचित पूर्व भू-अन्वेषण करने में विफलता के कारण उत्तरी जहाजी-घाट पर एक बाधा दीवार के निर्माण के कार्य का अपवर्जन हुआ। इसके परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों की अनुपलब्धता के साथ-साथ अप्रैल 2002 से अप्रयुक्त प्रिकास्ट सिमेंट कंकरीट ब्लाकस पर 69.98 लाख रु. की निधियों का अवरोधन हुआ।

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) (भा.मा. - 1892-1979) द्वारा 'नींव हेतु उपसतह सर्वेक्षण की व्यवसायिक संहिता' में अन्य बातों के साथ-साथ, नींव के लिए उपयुक्त डिजाइन तैयार करने से पहले स्थल की उपसतह की भू-भौतिकीय विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए अभियन्ताओं द्वारा एक विस्तृत भू-अन्वेषण करने पर विचार किया गया था। 'पत्तन एवं बन्दरगाह की योजना और डिजाइन हेतु पद्धति की संहिता-भाग-I भू अन्वेषण' के मानदण्ड में आगे, भू अन्वेषण के लिए बेधन-छिद्र के बीच 50 मी. का अन्तरालन रखना अनुबद्ध किया।

चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) ने गहनतर तलछट के साथ अभिलम्ब प्रवाह के साथ, सामान्य नौभार की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, पश्चिमी जहाजीघाट गोदी (केन्द्र गोदी सहित प.न.घा. I से प.न.घा. IV गोदियों) और उत्तरी जहाजीघाट गोदी को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव किया (अगस्त 1997)। चे.प.न्या. ने सूचित किया कि पश्चिमी जहाजीघाट में इमारत (1905 और 1916 के बीच निर्मित) अपने जीवन से अधिक समय तक टिकी हुई थी और उत्तरी जहाजीघाट को, (1931 में आर.सी. पाइल्स में निर्मित) रखरखाव पर बृहत व्यय को शामिल करते हुए, बारम्बार मरम्मत की आवश्यकता थी। अतः, चे.प.न्या. ने पश्चिमी जहाजीघाट (प.ज.घा.) में विद्यमान दीवार के पीछे, 855 मीटर लम्बी, एक पाईल डायफ्रेम¹ दीवार को समाविष्ट करते हुए, एक अवमुक्त प्लेटफार्म¹ का और उत्तरी जहाजीघाट पर (उ.ज.घा.) के सामने एक शीर्ष दीवार का निर्माण किया। उपरोक्त कार्य की समाप्ति के पश्चात निकर्षण किया जाना था। न्यासियों के बोर्ड ने, अगस्त 1997 में जहाजघाटों में उपरोक्त कार्य के लिए 47.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी।

पत्तन न्यास ने कार्य हेतु दिसम्बर 1998 में निविदाएं आमन्त्रित की। 1998 में प.ज.घा. में किए गए चार बेधन-छिद्र के भूमि बोर-लोग बोली के दस्तावेजों के साथ लगा दिए थे। पत्तन न्यास ने, कार्य, एक ठेकेदार को (अक्तूबर 1999), 37.88 करोड़ रु. (प.ज.घा. 26.91 करोड़ रु., उ.ज.घा. 10.97 करोड़ रु.) पर दिया।

प.ज.घा.-II पर डायफ्रेम दीवार के निष्पादन के दौरान (अगस्त से दिसम्बर 2001), पत्तन न्यास ने भूमि (चिकनी मिट्टी सहित) को बहुत ढीला पाया। भूमि स्थिति सुनिश्चित करने और उ.ज.घा. से लगी हुई प्रस्तावित दीवार की नींव की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, दिसम्बर 2001 और जनवरी 2002 तीन जहाजी बेधन-छिद्र में उ.ज.घा. में किए। भूमि अन्वेषण रिपोर्ट (मार्च 2002) और विशेषज्ञों की राय थी कि उ.ज.घा. के लिए प्रस्तावित नींव डिज़ाइन से न केवल नींव विफलता का परिणाम निकलता बल्कि अधिरचना के समग्र विध्वंस का भी परिणाम निकलता। परिणामस्वरूप, चे.प.न्या. ने करार के क्षेत्र में से उ.ज.घा. में निर्माण कार्य को हटाने का और उसे विद्यमान भूमि स्थिति के अनुकूल उपयुक्त वैकल्पिक डिज़ाइन के साथ, बाद में आरम्भ करने का निश्चय किया (अक्तूबर 2002)। उसी समय ठेकेदार ने, 2835.205 क्यू.मी. के, एम-15 ग्रेड के, विभिन्न आकार के प्रि कास्ट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पी.सी.सी. ब्लाक, उ.ज.घा. ब्लाक दीवार में प्रयोग करने के लिए दिसम्बर 2001 में निर्मित किए। पत्तन न्यास ने ब्लाक्स के लिए जून 2001 से अप्रैल 2002 के दौरान 69.98 लाख रुपये का भुगतान किया। जिस समय प.ज.घा. के निर्माण कार्य दिसम्बर 2002 में पूरे किए जा रहे थे, उ.ज.घा. का निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना था (अक्तूबर 2003)।

¹ अवमुक्त प्लेटफार्म : पुश्ता दीवार पर दबाव को कम करने के लिए भूतल से नीचे की दूरी दी गई पाईलिंग के पीछे एक मजबूत दीवार का निर्माण।

² पाईल डायफ्रेम दीवार : रिसनरोक दीवार के रूप में कार्य करने अथवा संरचनात्मक घटक के रूप में काम करने के लिए विशेष खुदाई पद्धति से सिटू में एक दीवार का निर्माण।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (जून 2003) कि भा.मा.ब्यू. (आई एस 1892-1979) में निर्धारित विस्तृत भू-अन्वेषण करने की पत्तन न्यास को चूक के परिणाम से करार के क्षेत्र से उ.ज.घा. में निर्माण कार्य का रखने से अपमार्जन हुआ। आगे भा.मा.ब्यू. ने पी सी सी ब्लॉक्स के विनिर्देशनों को एम 20 ग्रेड तक संशोधित कि (जुलाई 2000) जिससे कि कठिन जहाजी स्थितियों में बंदरगाह क्षेत्र में उनका प्रयोग किया जा सके। संशोधन ने, एम 15 ग्रेड पी सी सी ब्लॉक्स को, जिस उद्देश्य के लिए वे निर्मित किए गए थे, व्यर्थ कर दिया।

पत्तन न्यास ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि 1981 के दौरान कंटेनर टर्मिनल (उ.ज.घा. के उत्तर में स्थित) के दक्षिणी छोर में किए गए भू-अन्वेषक के परिणाम, 1998 के दौरान प.ज.घा. के अन्वेषण सहित पत्राचाराधीन थे। अतः परियोजना हेतु उ.ज.घा. में कोई अलग से भू-अन्वेषण नहीं किया गया था। भारतीय मानक के प्रावधान केवल मार्गदर्शन के लिए थे और यदि डिजाइनकर्ता सन्तुष्ट था कि उपलब्ध सूचना, विस्तृत डिज़ाइन बनाने के लिए पर्याप्त थी, तो बहुत से विशेष भू-अन्वेषण परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। एम 15 ग्रेड के पी सी सी ब्लॉक्स की उपयोगिता के क्षेत्र के सम्बन्ध में चे.प.न्या. ने उत्तर दिया कि एम 15 ग्रेड, निविदा करते समय अभिभावी मानकों के अनुसार, निर्धारित था और क्योंकि निर्माण कार्य हेतु ब्लॉक्स कास्ट के लिए प्रयुक्त कंकरीट के क्यूब परीक्षण ने '28 दिनों की क्यूब दाबक शक्ति, सुसंगत रूप से 25 न्यूटन्स/एम एम²' दर्शाती थी, इसलिए कंकरीट ब्लॉक्स, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एम 20 की तरह मानना होगा और इसलिए, ब्लॉक्स का जहाजी स्थितियों में लाभप्रद उपयोग किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं :

- (i) भा.मा.ब्यू. ने भू-अन्वेषण हेतु बेधनछिद्र के बीच 50 मी. जगह छोड़ना अनुशंसित किया। उ.ज.घा. की दीवार की लम्बाई लगभग 265 मी. थी। तथापि, डिज़ाइन के विवरण को अन्तिम रूप देने से पहले कोई, बेधनछिद्र नहीं छोड़ा गया था। इस प्रकार, कोई पूर्व भू-अन्वेषण नहीं किया गया था जबकि उ.ज.घा. के निर्माण कार्य का स्वरूप प.ज.घा. के स्वरूप, से भिन्न था।
- (ii) 1998 में किए गए अन्वेषण के दौरान, प.ज.घा. में किए गए चार बेधनछिद्र, 130 मी., 325 मी. और 195 मी. का स्थान छोड़ा गया था। बेधनछिद्र-1 में चिकनी मिट्टी वाली भूमि जो कि उ.ज.घा. के सबसे पास थी (लगभग 75 मी.) के कारण और सूचित की गई भूमि स्तर में अननुरूपता के कारण थी अतः कोई डिज़ाइन को अन्तिम रूप देने से पहले उ.ज.घा. में भूमि की

* कंकरीट के एम 15 और एम 20 हेतु निर्धारित विशिष्टता लिए हुए दाबक शक्ति क्रमशः 15 न्यूटन्स/एमएम² और 20 न्यूटन्स/एमएम² थी।

स्थिति सुनिश्चित करना, डिजाइनकर्ता के लिए अनिवार्य था। इसलिए, भू-अन्वेषण की पर्याप्तता से सम्बन्धित, पत्तन न्यास का उत्तर तर्कसंगत नहीं था।

- (iii) एम 15 ग्रेड ब्लाक्स की विशिष्टताओं का चे.प.न्या. का निर्धारण भा.मा.ब्यू. के निर्धारण के विरोध में था। आगे, ब्लाक्स बिना उपभोग के रहे (अक्तूबर 2003)।
- (iv) छोड़ा गया निर्माण कार्य दुबारा आरम्भ नहीं किया गया (अक्तूबर 2003) और इसलिए, उ.ज.घा. पर तलछट को और गहरा करने के लिए निकर्षण भी अभी तक नहीं किया गया था।

डिजाइन को अन्तिमरूप देने से पहले उचित भू-अन्वेषण कराने की चे.प.न्या. की विफलता के परिणामस्वरूप, करार से उत्तरी जहाजीघाट के आधुनिकीकरण निर्माण कार्य का अपमार्जन हुआ। उ.ज.घा. की जीर्ण-शीर्ण इमारत के रखरखाव के पत्तन के उत्तरदायित्व को कम करने के और जहाजीघाट में बढ़े हुए तलछट को जुटाने के उद्देश्य भी उपलब्ध नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2002 से अप्रयुक्त पी सी सी ब्लाक्स पर 69.98 लाख रु. का अवरोधन हुआ।

मामला सितम्बर 2003 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

8.5 विलंबित प्रतिदान बाँड के कारण ब्याज की हानि

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 6.5 करोड़ रु. के बाण्ड की मांग विकल्प को प्रयोग में लाने वाले नोटिस को ध्यान में रखने तथा बाण्ड को निर्धारित तिथि से पूर्व छुड़वाने में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट विफल रहा। विलम्ब से छुड़वाने से 25.10 लाख रु. तक के ब्याज की हानि हुई।

भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) द्वारा जारी सार्वजनिक निर्गम के बांड पर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (च.पो.ट्र.) ने दिसम्बर 1993 में 1000 रु. के प्रत्येक बांड के अंकित मूल्य के एक लाख बांड के आवंटन के लिए 10 करोड़ रु. का भुगतान किया। तथापि, भा.स्टे.बैं. द्वारा 24 जनवरी 1994 को 6.5 करोड़ रु. के केवल 65000 बांड जारी किये गये थे। बाकी के 3.5 करोड़ रु. की आवेदन राशि को एक साल की अवधि के लिए विशेष जमा मियादी में निवेश किया गया था।

बांड का ब्याज भा.स्टे.बैं. के अधिकतम जमा मियादी की दर 3 प्रतिशत से ऊपर परिवर्तनशील दर से धारित थे और 10 साल की समाप्ति पर सममूल्य पर विमोच्च थे। ब्याज का भुगतान अर्धवर्षीय किया गया था। जबकि पत्तन न्यास के पास कोई 'पुट ऑप्शन' नहीं था कि बांड को जारी करने की तिथि से 5वें, 7वें या 9वें वर्ष के समाप्त होने के छः महीने पहले सार्वजनिक घोषणा से विमोच्च करने के लिए नोटिस देने के

पश्चात भा.स्टे.बैं. ने बाण्ड को अपने पास रख कर सुरक्षित रखा था। 5वें, 7वें और 9वें वर्ष के समापन पर प्रतिदान किये गये ब्रांड अंकित मूल्य के प्रीमियम पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और एक प्रतिशत से प्रतिदान किया जायेगा। निबंधन और शर्तों के अनुसार विमोच्य करने की तिथि से सभी ब्रांड पर ब्याज नहीं दिया जायेगा।

जुलाई 2000 में भा.स्टे.बैं. ने 7वें वर्ष के समापन पर 1 जुलाई 2001 से कॉल ऑप्शन को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया और इस बारे में अधिसूचना अखबारों में जुलाई 2000, नवम्बर 2000 और अप्रैल 2001 में दी गई जिसमें ब्रांड धारकों से अनुरोध किया गया था कि वे भुगतान के लिए ब्रांड विधिवत 1 जुलाई 2001 से पहले भिजवाये। भा.स्टे.बैं. ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि 30 जून 2001 के बाद ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

जनवरी 2002 तक चे.पो.ट्र. द्वारा भा.स्टे.बैं. को प्रतिदान के लिए ब्रांड वापिस नहीं किये गये थे। फरवरी 2002 के दौरान में अंतरण अभिकर्ता ने पोर्ट ट्रस्ट का ध्यान भा.स्टे.बैं. द्वारा 1 जुलाई 2001 से कॉल विकल्प का प्रयोग किये जाने की ओर आकर्षित किया और पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध किया कि वे ब्रांड भा.स्टे.बैं. को आवेदन के साथ भिजवाये। इसके बाद ही पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवश्यकतायें पूरी की गई थी और 3 अप्रैल 2002 को अंकित मूल्य के 3 प्रतिशत प्रीमियम पर प्रतिदान (6.695 करोड़ रु.) प्राप्त हुए।

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 1 जुलाई 2001 से पूर्व भा.स्टे.बैं. को ब्रांड प्रस्तुत करने और समय पर प्राप्ति वसूल करने में विफलता के कारण 9 महीनों से ऊपर भा.स्टे.बैं. के पास 6.695 करोड़ रुपये का अनावश्यक अवरोधन हुआ।

अंतरण अभिकर्ताओं द्वारा फरवरी 2002 में पोर्ट ट्रस्ट को इंगित किया कि भा.स्टे.बैं. के 1 जुलाई 2001 के कॉल विकल्प का नोटिस 31 दिसम्बर 2000 के अपने पत्र में जबकि 31 दिसम्बर 2000 को समाप्त होने वाली अवधि में ब्याज के अधिपत्र भेजते हुए दिया गया था। अंतरण अभिकर्ताओं ने आगे यह बताया कि 30 जून 2001 को समाप्त होने वाली अन्तिम तिमाही के ब्याज के अधिपत्र के प्रतिपत्र के पीछे की गई उचित टिप्पणी के साथ प्रतिदान आवेदन पत्रों को भेज दिया था। परन्तु पोर्ट ट्रस्ट द्वारा ऐसी प्रतिदान की सूचना की प्राप्ति का खण्डन किया।

अन्तरण अभिकर्ताओं के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2000 को लेखापरीक्षा द्वारा स्थिति के सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। परन्तु 30 जून 2001 को समाप्त हुई अवधि के ब्याज के अधिपत्र के प्रतिपत्र के अवलोकन द्वारा व्यक्त किया गया था कि पोर्ट ट्रस्ट को कॉल विकल्प के बारे में सूचित किया गया था।

अतः पोर्ट ट्रस्ट द्वारा भा.स्टे.बैं. की कॉल विकल्प के बारे में समाचार पत्रों में जारी अधिसूचना और अन्तिम ब्याज के अधिपत्र प्राप्त करने के वक्त ध्यान देने में विफलता के

कारण भा.स्टे.बैं. के पास मार्च 2002 तक पड़ी प्राप्ति पर 45.19 लाख रु. के ब्याज (9 प्रतिशत की दर पर ब्याज) का नुकसान हुआ।

मंत्रालय ने नवम्बर 2003 में उत्तर दिया कि पोर्ट ट्रस्ट द्वारा ब्रांड के प्रतिधारण के बारे में भा.स्टे.बैं. से कोई प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और पोर्ट ट्रस्ट को प्रतिधारण के बारे में अंतरण अभिकर्ताओं से फरवरी 2002 में ज्ञात हुआ था। 6.50 करोड़ रु. की राशि को चे.पो.ट्र. द्वारा जमा राशि मानते हुए पोर्ट ट्रस्ट ने जुलाई 2001 से 3 अप्रैल 2002 की अवधि के लिए भा.स्टे.बैं. से ब्याज का दावा किया। मंत्रालय ने आगे बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पोर्ट ट्रस्ट से कुछ गलती हुई थी, उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

तदन्तर, मंत्रालय ने अपने संशोधित उत्तर (दिसम्बर 2003) में बताया कि भा.स्टे.बैं. ने सार्वजनिक सूचना दी परन्तु अन्य संस्थानों द्वारा कोई प्रत्यक्ष सूचना सामान्य रूप से नहीं दी गई थी जबकि यह अनिवार्य नहीं था और इसलिए यह पत्तन कर्मचारियों के ध्यान में आने से बच गया था। मंत्रालय ने अवलोकित किया कि यह निक्षेपों के लिए लागू उच्च दर पर ब्याज की अनुमानित हानि की गणना करने के लिए उपयुक्त होगा जो कि भा.स्टे.बैं. विमोचन के समय पर देता था और यह केवल बचत खाता (ब.खा) लेखे के लिए दर लागू करने के लिए युक्तिमूलक होगा क्योंकि पत्तन न्यास अपने हाथ में ली हुई विभिन्न परियोजनाओं पर अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ब.खा लेखा में वास्तविक शेष बनाए रखना था। मंत्रालय ने आगे बताया कि भा.स्टे.बैं. ब.खा. पर 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने के लिए सहमत हो गया था।

यह अवलोकित किया गया कि पत्तन न्यास के पास "मन्दी विकल्प" नहीं था परन्तु केवल तेजी विकल्प के कारण कालपूर्व नकदीकरण उत्पत्ति भा.स्टे.बैं. द्वारा की गई थी और पत्तन न्यास इस विमोचन से बहुत बाद में अवगत हुआ। फिर भी, पत्तन न्यास 1 जुलाई 2001 अर्थात् तेजी विकल्प की प्रभावी तिथि के बाद भी विभिन्न निक्षेपों में करोड़ों रु. का निवेश करता रहा। अतः मंत्रालय का कथन कि अनुमानिक हानि केवल ब.खा. ब्याज दर पर मानी जा सकती थी, मान्य नहीं है। भा.स्टे.बैं. द्वारा 4 प्रतिशत दर पर ब्याज घटाने पर सहमति के बाद, ब्याज की निवल हानि 25.10 लाख रु. परिकलित की गई।

कोचीन पत्तन न्यास

8.6 निकर्षण में कमी के लिए शास्ति का न लगाया जाना

निकर्षण के अनुरक्षण के दौरान अपेक्षित चौड़ाई और लम्बाई रखने में कमी के लिए दण्ड को नहीं लगाया गया जिसके फलस्वरूप कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) को 1.34 करोड़ रु. की हानि हुई।

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) ने "वर्ष 2000-01 के लिए कोचीन पत्तन चैनलों के अनुरक्षण के लिए निकर्षण कार्य" 35.80 करोड़ रु. की एकमुश्त राशि के लिए मै. जैस शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को सौंपा था (सितम्बर 2000)। कार्यक्षेत्र में अपेक्षित चौड़ाई और लम्बाई का पत्तन चैनलों का निकर्षण अगस्त-सितम्बर 2000 के दौरान तथा

वही लम्बाई एवं चौड़ाई को ठेके के शेष अवधि जो अक्टूबर 2000 से मई 2001 है रखरखाव करना था। अनुबन्ध में संविदा कार्य में कमी के लिए प्रत्येक 15 दिनों या कुछ दिनों के लिए संविदा मूल्य का 0.25 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक दण्ड भी अपेक्षित था। अक्टूबर 2000 में, निकर्षण अनुश्रवण समिति ने, पत्तन चैनलों के निकर्षण के अनुसंधानकी प्रगति की समीक्षा करते हुए यह पाया कि फर्म ने 75 मीटर की चौड़ाई के लिए उसकी समग्र लम्बाई के लिए मैटनचैरी चैनल का निकर्षण नहीं किया था और इसलिए को.प.न्या. ने अक्टूबर 2000 के माह के लिए आंशिक बिल में से 20.20 लाख रु. रोक लिए थे। उप संरक्षक का भी यह कहना था कि पर्याप्त चौड़ाई और लम्बाई की अनुपलब्धता के कारण वह जहाज के चलाने का प्रबन्ध कठिनाई से कर रहे थे। फर्म ने मैटनचैरी क्षेत्र की अपेक्षित चौड़ाई और लम्बाई का निकर्षण संविदा अवधि (अर्थात 16 मई 2001) के अन्त तक ही किया था और को.प.न्या. ने रोक दी राशि दे दी थी।

संविदा शर्तों के अनुसार, फर्म को संविदा अवधि के शुरू से अन्त तक चैनल को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखना था। परन्तु को.प.न्या. इसके बावजूद भी दण्ड फर्म को आरोप्य होगा और परवर्ती तिथि तक अपेक्षित ड्राफ्ट उपलब्ध न होने पर वसूली योग्य नहीं होगा, के उल्लंघन में राशि को जारी कर दिया। प्रत्येक पन्द्रह दिनों या कुछ दिनों के लिए 0.25 की न्यूनतम निश्चित प्रतिशतता पर परिकलित, ठेकेदार को आरोप्य कुल दण्ड 1 अक्टूबर 2000 से 15 मई 2001 तक की अवधि के लिए 1.34 करोड़ रु. बनता था।

मंत्रालय ने पत्तन न्यास की कार्यवाही को न्यायसंगत ठहराते हुए (नवम्बर 2003) बताया कि भुगतान, प्रभावी चार्ट में लिए गए, कुल 1655 ग्रिड पाइंट में से 1590 ग्रिड पाइंट पर कुल प्रभावशीलता के संदर्भ में, जैसा कि संविदा में प्रावधान किया गया था, के 95 प्रतिशत का स्वीकार्य स्तर के आधार पर नियमित किए गए थे क्योंकि विभिन्न नामोद्दिष्ट गहराई को प्राप्त किए जाने सहित, पांच भिन्न खण्डों*, पहुंच चैनल, कोचीन तेल टर्मिनल और टर्निंग बंदरगाह को जाने वाला एरनाकुलम चैनल, तेल एवं उर्वरक घाट, कोचीन को जाने वाला, एरनाकुलम चैनल, क्यू-5 से क्यू-7 घाट को जाने वाला एरनाकुलम चैनल और मैटनचैरी चैनल के निकर्षण के निर्माण कार्य को शामिल करते हुए, विभिन्न खण्डों के लिए अलग से 95 प्रतिशत का स्वीकृति स्तर पर बल दिया जाना चाहिए। संविदा में संदिग्धता ने, विवेचित माटनचैरी चैनल में निकर्षण किए जाने वाले क्षेत्र का 30 प्रतिशत निर्माण-कार्य छोड़ने में सहायता की, जिससे लगभग नौ महीने के लिए, जहाजों के निर्विघ्न प्रवाह का सन्निकट रहा।

* एरनाकुलम चैनल से कोचीन ऑयल टर्मिनल और टर्निंग बेसिन तक, एरनाकुलम चैनल से कोचीन ऑयल और फर्टिलाइजर बर्थ तक, एरनाकुलम चैनल से क्यू 5 से क्यू 7 बर्थ और माटनचैरी चैनल तक पहुंच मार्ग।

8.7 विद्युत टैरिफ के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

कोचीन पत्तन न्यास द्वारा संशोधित विद्युत टैरिफ की दरों को लागू करने में विलम्ब के कारण 30.23 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

1999 और 2001 की रिपोर्ट संख्या 4 के पैराग्राफ क्रमशः 11.9 और 9.8 में कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) द्वारा संशोधित विद्युत प्रशुल्क की दरों को उपभोक्ताओं पर लागू करने में विलम्ब और 64.08 लाख रुपये के राजस्व के परिणामी नुकसान का उल्लेख किया गया था। यद्यपि विद्युत प्रशुल्क को संशोधित करने की अधिसूचना और केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के.रा.वि.बो.) द्वारा संशोधित प्रशुल्क को लागू करने की वास्तविक तिथि के बीच अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय था, को.प.न्या. के अनुसार कार्यविधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। मंत्रालय ने सभी मुख्य पत्तनों के लिए अनुदेशों को जारी किया (मार्च 2001) में कि अपेक्षित कार्यविधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित करते हुए राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किये गये संशोधन की तिथि से संशोधित टैरिफ प्रभारित किये जाने चाहिए, चूँकि विद्युत का वितरण पत्तनों को प्रयोग में लाने वालों के लिए पत्तन सम्बन्धी गतिविधि नहीं थी।

के.रा.वि.बो.ने केरल राजपत्र दिनांक 7 अगस्त 2001 और 28 अगस्त 2001 में लाइसेन्सधारियों और संस्वीकृति प्राप्त करने वालों को विद्युत ऊर्जा बेचने के लिए 1 अक्टूबर 2001 से विद्युत टैरिफ की दरों के संशोधन की अधिसूचना जारी की। परन्तु के.रा.वि.बो. के एक लाइसेन्सधारी को.प.न्या. ने, दरों में 1 जनवरी 2002 से संशोधन करने का 30 अक्टूबर 2001 को बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा। मंत्रालय द्वारा जारी विशेष अनुदेशों के बावजूद को.प.न्या. द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर 2001 से प्रभावित संशोधित दरों में विद्युत बेचने में विफलता के कारण 1 अक्टूबर 2001 से 31 दिसम्बर 2001 की अवधि के लिए 30.23 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

को.प.न्या. ने बताया (अगस्त 2003) कि पत्तन न्यास द्वारा 2000 से आरम्भ करके प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिन से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी प्रभावित की थी और यह नयी दरों को लागू करने में विलम्ब के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। को.प.न्या. ने आगे बताया कि चूँकि टैरिफ की बढ़ोतरी से नौभार को सीधा रखने पर असर पड़ता था, संशोधन से पूर्व ग्राहकों को विश्वास में लेना आवश्यक था। मंत्रालय द्वारा मार्च 2001 में जारी अनुदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर तर्क संगत नहीं था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2003 में को भेजा गया था; उसका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

कोलकाता पत्तन न्यास

8.8 निष्फल व्यय

पत्तन न्यास के अविचारित निर्णय से उस जलयान जो अपना कार्यकाल समाप्त कर चुका था, पर 3.95 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ इसके अतिरिक्त जलयान के मरम्मत कार्य पर किया गया 68.05 लाख रु. का व्यय निष्फल रहा।

कोलकाता पत्तन न्यास (को.प.न्या.) का एक सर्वेक्षण जलयान, आर एस वी हल्दिया ने नौपरिवहन चैनल के निकर्षण हेतु अपेक्षित जल सर्वेक्षण किया। जलयान को अगस्त 1996 में वार्षिक सर्वेक्षण मरम्मत हेतु जमा करा दिया था। उसकी सेवाओं की अत्यावश्यक आवश्यकता पर विचार करते हुए पत्तन न्यास ने कार्य को पूर्ण करने में हो रहे विलम्ब को दूर करने के लिए सितम्बर 1996 तथा जनवरी 1997 में प्राइवेट ठेकेदारों से सीमित निविदा आमंत्रित की। तदन्तर निविदाएं प्रक्रियात्मक आधारों पर तथा इसलिए भी कि दरें उच्च थी, छोड़ दी गई थी।

सितम्बर 1998 में मामले की पुनरीक्षा करने पर पत्तन न्यास ने एक सार्वजनिक क्षेत्र शिपयार्ड के माध्यम से जलयान की मरम्मत कराने का निर्णय लिया, हालांकि यह जलयान मार्च 1996 में अपना 35 वर्ष का उत्पादन समय समाप्त कर चुका था। इस निर्णय पर पहुँचने का प्रमुख विचार यह था कि यदि जलयान की मरम्मत करके उसको कम से कम छः महीनों के लिए उपयोग किया जाता है तो जलयान पर किया गया व्यय, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली निकर्षण आर्थिक सहायता के योग्य होगा। यह निर्णय इस तथ्य, कि जलयान की 56.25 लाख रु. की लागत पर पहले 1994-95 में मरम्मत की गई थी जो केवल 16 महीने ही चलाया गया था, के बावजूद लिया गया था।

आर एस वी हल्दिया का सर्वेक्षण मरम्मत का कार्य 87.06 लाख रु. की अनुमानित लागत पर अक्टूबर 1998 में हुगली गोदी तथा पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड (हु.गो.प.इं.लि.) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सौंपा गया था।

दिसम्बर 1998 में पूर्ण किया जाने वाला कार्य अप्रैल 2000 में भी जबकि जलयान किङ्डरपोर गोदी में लाया गया था, अधूरा था। यद्यपि जलयान को जून 2000 में अधिकृत किया गया था, उसको परिचालन प्रणाली की विफलता तथा अत्यधिक रिसाव के कारण उसको चलाया नहीं जा सका। त्रुटियों को सुधारने के छुट-पुट प्रयासों के बाद हु.गो.प.इं.लि. ने अगस्त 2000 में कार्य को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। पत्तन न्यास ने हु.गो.प.इं.लि. को 68.05 लाख रु. का भुगतान किया। पत्तन न्यास ने शेष कार्य हु.गो.प.इं.लि. की जोखिम तथा लागत पर एक प्राइवेट फर्म को 1.98 लाख रु. की अनुमानित लागत पर अक्टूबर 2000 में सौंपा।

कार्य नवम्बर 2000 में पूरा किया गया था लेकिन परिचालन समस्या की पुनरावृत्त होने से जलयान के जलयात्रा कार्यक्रम में बाधा हो रही थी। मरम्मत करने के बाद जलयान ने मार्च 2001 तथा सितम्बर 2001, जबकि इसके चलाने के प्रमाणपत्र की समयावधि समाप्त हो गई, के बीच सही कार्य किया। चूंकि सर्वेक्षक ने और समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, जलयान को निष्प्रभावी कर दिया था। जून 2000 तथा सितम्बर 2001

के बीच कुल 27 दिन काम करने पर आर एस वी हल्दिया को अप्रैल 2002 में अनुपयोगी घोषित किया गया था क्योंकि वह पुराना था तथा आवश्यकता से अधिक था। यद्यपि सर्वेक्षण कार्य को.प.न्या. के लांचों द्वारा तथा को.प.न्या. के अन्य प्रभागों की किराए की लांचों का उपयोग करके किया गया था, पत्तन न्यास ने अगस्त 1996 तथा अप्रैल 2002 के बीच बेकार पड़े जलयान के अनुरक्षण पर 3.95 करोड़ रु. तथा मरम्मतों पर 68.05 लाख रु. का कुल व्यय किया।

इस प्रकार पत्तन न्यास के उस जलयान जो अपना उपयोगी समय समाप्त कर चुका था, को पुनः चलाने के अविचारित निर्णय से 3.95 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ इसके अतिरिक्त जलयान की मरम्मत पर किया गया 68.05 लाख रु. का व्यय निष्फल रहा।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2003) कि जलयान इस आशा से सर्वेक्षण मरम्मत हेतु रखा गया था कि वह सर्वेक्षण मरम्मत के बाद कम से कम उतनी अवधि तक चलेगा जैसाकि वह पिछले अवसर पर सर्वेक्षण मरम्मत के बाद चला था। लेकिन मरम्मत के दौरान तथा पश्चात उत्पन्न हुई जलयान की परिचालन त्रुटियां, जिनका पहले पता नहीं लग सका, इतनी गंभीर थी कि जलयान का प्रभावशाली रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य यह रहा कि ऐसे जलयान जो 35 वर्ष से अधिक पुराना था तथा मार्च 1996 तक अपना सामान्य समय व्यतीत कर चुका था, से सेवा लेना न्यायसंगत नहीं था।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

8.9 गोदी श्रमिकों के पंजीकृत नियोक्ता को अदेय लाभ के परिणामस्वरूप बोर्ड को हानि

मासिक मजदूरों की संशोधित मजदूरी के लिए बकाया की प्रतिपूर्ति के लिए कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप पंजीकृत नियोक्ताओं को 1.32 करोड़ रुपये के अदेय लाभ से बोर्ड को हानि।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, गोदी श्रमिकों को नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ, कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियम) योजना, 1970 (गो.लि.प.श्र. योजना) का संचालन करता है। बोर्ड, गो.लि.प.श्र. योजना के अन्तर्गत, एक श्रमिकों के पूल का अनुरक्षण करता है और पूल में से पंजीकृत नियोक्ताओं को श्रमिक³, दैनिक के साथ-साथ, मासिक आधार (मासिक मजदूर) पर उनकी मांग के आधार पर, मुहैया कराता है। बोर्ड, उन श्रमिकों को, जो दैनिक आधार पर काम पर लगे हुए हैं, मजदूरी देता है और मजदूरी का 353 प्रतिशत का उद्ग्रहण पंजीकृत नियोक्ताओं से वसूल करता है। इसमें मजदूरी संशोधन निधि के लिए 24 प्रतिशत का उद्ग्रहण शामिल होता है। मासिक श्रमिकों के मामले में, पंजीकृत नियोक्ता

³ “पंजीकृत नियोक्ता” का अर्थ है एक शिपिंग कम्पनी, शिपिंग एजेंट अथवा स्टीवडोर नियोक्ता अथवा ठेकेदार या पंजीकृत गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षी मजदूरों के ऐसे नियोक्ताओं का समूह।

श्रमिकों को सीधे मजदूरी देते हैं और बोर्ड, मजदूरी का 131 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण वसूल करता है। तथापि, इसमें मजदूरी संशोधन निधि के लिए कोई उद्ग्रहण शामिल नहीं होता है।

भारत सरकार ने अगस्त 2000 में गोदी श्रमिकों की मजदूरी, जनवरी 1998 से पूर्वप्रभावी मानते हुए, संशोधित की। बोर्ड ने फरवरी 2001 में निर्णय किया कि पंजीकृत नियोक्ता, मजदूरी संशोधन के कारण, मासिक श्रमिकों को जनवरी 1998 से अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए बकाया का भुगतान करेंगे और राशि, आवधिक बिलों के समायोजन के जरिये, बारह समान मासिक किस्तों में, उन्हें वापस की जाएगी। बोर्ड ने यह भी अनुशंसित किया कि वित्तीय भार को कम करने के लिए, प्रतिपूरक राजस्व उत्पन्न करने के क्षेत्र की तुलना में, ऐसी प्रतिपूर्ति पर, मासिक मजदूरों के उद्ग्रहण ढाँचे का परीक्षण करने के बाद, विचार किया जाना चाहिये था। तथापि, बोर्ड के संकल्प में, मासिक श्रमिकों के लिए, मजदूरी संशोधन निधि हेतु अंशदान करने के लिए 24 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण आरम्भ करने के प्रस्ताव की अस्वीकृति का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं किया था।

गो.लि.प.श्र. योजना की धारा 50 के अनुसार, बोर्ड, मजदूरी संशोधन के कारण बकाया का भुगतान करेगा यदि ये ऐसा निर्णय करता है। तथापि, गो.लि.प.श्र. योजना की धारा 49 में प्रावधान है कि योजना के संचालन करने की लागत पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतानों में से पूरी की जायेगी। आगे, गो.लि.प.श्र. योजना की धारा 7 (ई) के अनुसार, बोर्ड, धारा 49 के अन्तर्गत उद्ग्रहण की दर, अथवा ऐसे अन्य प्रशासनिक प्रभार जो कि योजना के खर्चों को करने के लिए आवश्यक है, निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा में देखा गया था कि पंजीकृत नियोक्ताओं ने, मासिक श्रमिकों को, मजदूरी संशोधन के कारण बकाया के प्रति 1.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बोर्ड ने सितम्बर 2003 तक समग्र राशि को वापस कर दिया जबकि मजदूरी संशोधन निधि में उपलब्ध शेष इस सम्बन्ध में व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था और बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए, सामान्य निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग किया। परन्तु अप्रैल 1998 से प्रभावी गो.लि.प.श्र. योजना के अन्तर्गत मासिक मजदूरों के सम्बन्ध में उद्ग्रहण ढाँचा आज की तिथि तक (दिसम्बर 2003) संशोधित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रतिपूरक राजस्व सृजन के लिए कोई उपाय किए बगैर जैसा कि पहले किया गया था (दिसम्बर 1987), मासिक श्रमिकों की संशोधित मजदूरी के बकाया के कारण हुए खर्चों को वापस करने के, बोर्ड की ओर से अविवेकी निर्णय, के परिणामस्वरूप पंजीकृत नियोक्ताओं को 1.32 करोड़ रु. का अदेय लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त पंजीकृत नियोक्ताओं से योजना संचालन की लागत वसूलने का उद्देश्य, जैसा कि गो.लि.प.श्र. योजना में विचार किया गया था, विफल रहा था।

उसी दौरान टूटीकोरिन पत्तन न्यास ने पहले से ही अतिरिक्त नौभार अधिग्रहण के ज़रिये 10.69 करोड़ रु. की राशि के बकायों की वसूली कर ली थी। आगे, पारादीप पत्तन न्यास ने भी एक रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर विशेष अधिभार के उद्ग्रहण के ज़रिये, 2.75 करोड़ रु. के बकायों की वसूली प्रभावी करनी आरम्भ कर दी थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

8.10 मॉरमुगाव पत्तन न्यास

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाईपलाईन के ऊपर पुलिया के निर्माण पर परिहार्य व्यय

पत्तनन्यास ने अपनी लागत पर, एक अनुज्ञप्तिधारी से निर्माण कार्य निष्पादित करवाया जिसके परिणामस्वरूप 21.47 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

मॉरमुगाव पत्तन न्यास (मॉ.प.न्या.) ने जनवरी 1996 में, निर्धारित मार्ग अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर बजरो में पुनः ईंधन भरने के उद्देश्य हेतु, बर्थ संख्या 10 से बन्दरगाह क्षेत्र के भीतरी भाग से जल टकराने तक, पाईपलाईन बिछाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (इं.ऑ.कॉ.) को अनुमत करते हुए, एक अनुबन्ध किया।

अनुबन्ध की धारा 7 में प्रावधान किया गया कि लाइसेन्सधारी, जिस-जिस समय अनुज्ञप्ति दाता द्वारा अपेक्षित विकास निर्माण कार्य के कारण अथवा अन्यथा लाइसेन्सदाता के निदेश पर कथित पाईपलाईन की स्थिति को बदल अथवा हटा सकता है।

जून 2000 में, मॉ.प.न्या. ने बन्दरगाह के भीतरी भाग में गेट सं.4 से गेट सं.-9 तक एक मार्ग के निर्माण हेतु, फर्म 'एक्स' को 25.56 लाख रु. की उनको निम्नतम निविदा लागत पर एक करार प्रदान किया। कार्य जुलाई 2000 में प्रारम्भ और नवम्बर 2000 में पूरा किया जाना निर्धारित था।

कार्य के निष्पादन के दौरान, यह ध्यान में आया कि मार्ग को इं.ऑ.कॉ. पाईपलाईन को एक विशेष स्थल पर काटना अपेक्षित होगा। इसलिए मॉ.प.न्या. ने इं.ऑ.कॉ. को अक्टूबर 2000 में पाईपलाईन को दुबारा वांधने के लिए मार्ग के ऊपर परिपथ के लिए अनुरोध किया। तथापि, आगे कार्यवाही का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

दिसम्बर 2000 में, मॉ.प.न्या. के मुख्य अभियन्ता ने पाईपलाईन के ऊपर एक पुलिया के निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया। निविदाएं आमन्त्रित की गईं और फरवरी 2001 में खोली गईं और कार्य फर्म 'एक्स' को अप्रैल 2001 में दिया गया जिसकी दुबारा 20.47 लाख रु. की निम्नतम निविदा लागत थी। जून 2001 में जब कार्य पूरा हुआ, कार्य को अंतिम लागत 21.47 लाख रु. थी।

लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की (मार्च 2002) कि अनुबन्ध की धारा 7 के प्रावधान के बावजूद, मॉ.प.न्या., इं.ऑ.कॉ. से कार्य करवाने में असफल रहा। आगे अपनी पाईपलाईन को अनिवार्यतः दोबारा जोड़ने के लिए इं.ऑ.कॉ. के उत्तर के अभाव के परिणाम से

पुलिया के निर्माण करने में की गई लागत की वसूली करने की भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। फलतः मॉ.प.न्या. ने 21.47 लाख रु. का परिहार्य व्यय वहन किया।

मॉ.प.न्या. ने सितम्बर 2002 में बताया कि पाइपलाईन पर परिपथ बनाने के मामले पर इं.ऑ.कॉ. के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया, जिन्होंने पत्तन न्यास को सूचित किया कि कार्य उनके लिए कार्यान्वित करना सम्भव होता परन्तु यह परिचालन कठिनाईयों के साथ समय व्यतीत करना होगा। अतः दुर्घटनाओं के जोखिम से और राजस्व की हानि से बचने के लिए, इं.ऑ.कॉ. पाइपलाईन पर पुलिया का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था।

पत्तन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जनवरी 2000 में किया गया था। एक समयोचित और व्यावसायिक सर्वेक्षण यह प्रकट करता है कि मार्ग का इं.ऑ.कॉ. की पाइपलाईन को काटना अपेक्षित होगा और दोबारा जोड़ने का मामला इं.ऑ.कॉ. के साथ जब मार्ग का कार्य पूरा किया जा रहा था, सहवर्ती के रूप में उठाया जा सकता था। आगे, इसके अपने उपायों के होने के बावजूद, किए गए व्यय की इं.ऑ.कॉ. से वसूली न करने का कोई औचित्य नहीं था।

मॉ.प.न्या. ने आगे अप्रैल 2003 में बताया कि इं.ऑ.कॉ. को राशि की वापसी का निर्देश दे दिया था (मार्च 2003)। तथापि, यह अवलोकन किया कि इं.ऑ.कॉ. ने कोई उत्तर नहीं दिया था (अगस्त 2003)।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2003 में भेजा गया था; उसका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

मुम्बई पत्तन न्यास

8.11 मार्ग अनुज्ञा शुल्क की कम उगाही

मार्ग अनुज्ञा शुल्क के बिल बनाने के लिए पाइपलाईन की सही लम्बाई निर्धारण करने की कार्रवाई आरंभ करने में विलम्ब के कारण ब्याज सहित 73.42 लाख रु. की कम उगाही तथा गारंटीकृत थ्रुपुट प्राप्त न करने के लिए 8.46 करोड़ रु. के दण्डनीय प्रभारों की उगाही करने में विलम्ब हुआ।

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) ने नवम्बर 1995 में पीर पऊ में एक नया पोतघाट चालू किया था। पत्तन न्यास द्वारा छः तेल कम्पनियाँ जो पुराने पोतघाट पर परिचालन कर रही थी उन्हें नये पोतघाट में पाइपलाइन बिछाने और रखरखाव करने की अनुमति दी गई थी। संबद्ध न्यासियों के संकल्प ने पाइपलाइन के प्रति चालू मीटर 80.25 रु. की मासिक दर पर मार्ग अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर विचार किया और बड़े आकार वाली पाइपलाइनों के संबंध में आनुपातिक बढ़ोतरी के साथ 300 मि.मी. के बाहर व्यास की पाइपलाइनों के संबंध में प्रत्येक अक्तूबर को शुल्क में चार प्रतिशत से बढ़ोतरी की जानी थी।

नये पोतघाट में छः कम्पनियों को उनकी पाइपलाइन फैलाने की (मई 1995)। बशर्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा होने तक 2650 मीटर की अनुमानित लागत पर और

उसके बाद पाइपलाइन की सही लम्बाई पर मार्ग अनुज्ञा शुल्क की गणना के लिए, अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, पत्तन ने प्रत्येक पाइपलाइन की सही लम्बाई प्राप्त किए बिना प्रत्येक कम्पनी के संबंध में 2650 मीटर की अनुमानित लागत पर बिल बनाना जारी रखा।

पत्तन न्यास ने आबंटन की तिथि (नवम्बर, 1995) से लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2000) तक प्रत्येक कम्पनी द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन की सही लम्बाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। बाद में, अक्टूबर 2000 में मु.प.न्या. तथा पार्टियों द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। पाइपलाइन की लम्बाई का निर्धारण 2660.84 मीटर किया जाना था। मु.प.न्या. ने बिल बनाने के लिए यह लम्बाई स्वीकार कर ली थी।

तदनुसार, नवम्बर 1995 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए प्रत्येक पाइपलाइन के लिए वसूली योग्य अन्तरीय मार्ग अनुज्ञा शुल्क परिकलित किया और पार्टियों को अप्रैल 2002 में कुल 53.12 लाख रु. के बिल प्रस्तुत किए गए। इसकी 14.82 लाख रु. की राशि वसूल की गई (सितम्बर 2003)। 20.30 लाख रु. की राशि का ब्याज बिल भी बनाया गया, जिसमें से 3.82 लाख रु. ही वसूल किए गए थे (सितम्बर 2003)।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कम्पनी के लिए, 0.50 लाख टन/1 लाख टन/वार्षिक का न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक भी निर्धारित किया गया था। न्यूनतम गारंटीकृत ट्रैफिक प्राप्त करने की विफलता के कारण उस अवधि के लिए शुल्कों के सामान्य दर का दुगना दण्ड होगा। चार पार्टियों द्वारा न्यूनतम थ्रुपुट प्राप्त करने में कमी पाई गई थी। लेखापरीक्षा ने पता लगाया (मार्च 2000) कि पत्तन न्यास ने गारंटीकृत थ्रुपुट प्राप्त करने में कमी के लिए दण्डनीय प्रभारों की उगाही नहीं की थी। इसके पश्चात, जुलाई 2002 में थ्रुपुट में कमी के लिए दण्ड के रूप में उद्ग्रहणीय 8.46 करोड़ रु. की राशि का अतिरिक्त मार्ग अनुज्ञा शुल्क का बिल बनाया गया, इसमें से 2.88 लाख रु. ही वसूल किए गए थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2002) कि मु.प.न्या. ने 2650 मीटर की अनुमानित सम्मिलित लम्बाई पर आधारित मार्ग अनुज्ञा शुल्कों के बिल बनाए थे क्योंकि पार्टियां पाइपलाइन की सही लम्बाई प्रस्तुत करने में विफल रहीं थी। संपदा प्रबन्धक और पार्टियों द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण संचालित किया गया था। पाइपलाइन की लम्बाई के उमर कुछ विवाद के बाद, यह 2660.84 मीटर पर अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था। नवम्बर 1995 से मार्च 2002 तक इस लम्बाई पर आधारित मार्ग अनुज्ञा शुल्क में 53.12 लाख रु. के अन्तर का बिल सभी पार्टियों के लिए तैयार किया गया इसमें से 14.82 लाख रु. पार्टियों से प्राप्त किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम गारंटीकृत थ्रुपुट प्राप्त न करने के लिए जुलाई 2002 में चार पार्टियों को दण्डनीय प्रभारों के बिल भी दिए गए तथा वसूली मुख्य भाग पर प्रतीक्षित थी।

तथापि, तथ्य यही रहे कि पत्तन ने निबंधन एवं शर्तों के अनुसार मार्ग अनुज्ञा शुल्कों के बिल बनाने के उद्देश्य हेतु नवम्बर 1995 से अक्टूबर 2000 तक पाइपलाइन की सही लम्बाई निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। अक्टूबर 2000 में ही सही लम्बाई निर्धारण करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण संचालित किया गया और पाइपलाइन चालू करने के 6 वर्षों बाद, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बहुत

समय बाद अप्रैल 2002 में मार्ग अनुज्ञा शुल्कों के लिए अन्तरीय बिल प्रस्तुत किए गए थे। वसूल की गई राशि 9.19 करोड़ रु. के प्रति केवल 21.52 लाख रु. (2.30 प्रतिशत) की वसूली की। प्रगति संतोषजनक नहीं थी तथा मुम्बई पत्तन न्यास ने पाइपलाइन को हटाने और बकाया की वसूली के लिए छः कम्पनियों के विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों के बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई थी।

बिल बनाने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विलम्ब मु.प.न्या. को आरोप्य है जिसके परिणामस्वरूप 8.98 करोड़ रु. की गैर-वसूली हुई।

नया मंगलौर पत्तन न्यास

8.12 परिहार्य भुगतान

नया मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा ईंधन में खर्च की वृद्धि की गणना हेतु दोषपूर्ण आधार तिथि अपनाये जाने के परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ रु. के वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय अब जहाजरानी मंत्रालय (मार्च 1993) के निर्णय के अनुसार नया मंगलौर पत्तन न्यास (न.मं.प.न्या.) में निकर्षण के रखरखाव के कार्य को, नामांकन के आधार पर, परस्पर सहमत मूल्यों पर भारतीय निकर्षण निगम (भा.नि.नि.) को सौंपा गया था। एक अनुबन्ध के आधार पर (अगस्त 2000), न.मं.प.न्या. द्वारा, दो साल के लिए अर्थात् 2000-01 और 2001-02 में क्रमशः 39 करोड़ रु. और 42 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर निकर्षण के रखरखाव का कार्य किया गया था।

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दो वर्षों के लिये बतायी गयी और भा.नि.नि. द्वारा न.मं.प.न्या. द्वारा स्वीकृत की गई दरें निम्नलिखित थीं-

कार्य के मद	2000-01 (प्रथम वर्ष)	2001-02 (द्वितीय वर्ष)
नरम सामग्री के निष्कर्षण के लिये	52.25 रु./सी एम यू	55.00 रु./सी एम यू
नरम सामग्री और ठोस स्तर की सामग्री के निकर्षण के लिए सेवा प्रभार		
डीसीआईडीआर-VII/XI/XII के लिए	15.83 लाख रु./ यथानुपात दिन	16.66 लाख रु./ यथानुपात दिन
डीसीआईडीआर-XV	20.00 लाख रु./ यथानुपात दिन	21.05 लाख रु./ यथानुपात दिन
बरसात के बाद के लिए जुटाव	80.00 लाख रु.	84.00 लाख रु.
बरसात के बाद के लिए विघटित करना	40.00 लाख रु.	42.00 लाख रु.
बरसात के लिए जुटाव	40.00 लाख रु.	42.00 लाख रु.
बरसात के लिए विघटन	20.00 लाख रु.	21.00 लाख रु.

अनुबन्ध की धारा 15 के अनुसार निष्कर्षण और निष्कार्य समय के प्रभार 24 फरवरी 2000 के ईंधन के मूल्य पर आधारित थे और वृद्धि/गिरावट को ईंधन के मूल्य में भिन्नता के आधार पर निर्धारित किया जाना था। दोनों वर्षों के लिए वृद्धि की गणना के लिए आधार तिथि एक ही थी जब कि भा.नि.नि. द्वारा दूसरे वर्ष में बताये गये एकक दर, प्रथम वर्ष में बतायी गयी दरों से ऊँची थी। चूँकि दूसरे वर्ष की दरें 5.25 प्रतिशत अधिक थी। पत्तन न्यास को उस वर्ष की वृद्धि की गणना के लिए, दूसरी आधार तिथि के लिए बातचीत करनी चाहिए थी। इसी प्रकार की वृद्धि की दोषपूर्ण धारा को वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए भा.नि.नि. के साथ निष्कर्षण के रखरखाव के अनुबन्ध में अपनाया गया था।

पत्तन न्यास द्वारा लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों को सिद्धान्त रूप में मानते हुए उत्तर दिया कि दोनों वर्षों के लिए वृद्धि एकक आधार तिथि कुछ अन्य घटकों को सम्मिलित करने के लिए अपनायी गई थी जो कि वृद्धि की धारा में सम्मिलित नहीं थे।

पत्तन न्यास द्वारा ईंधन के खर्च की वृद्धि की गणना में दोषपूर्ण आधार तिथि अपनाये जाने के परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ रु. के वृद्धि खर्च का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामले को अगस्त 2003 में मंत्रालय को भेजा गया था। उन्होंने उत्तर (अक्टूबर 2003) दिया कि भविष्य में जब दोनों वर्षों के लिए भिन्न दरों को स्वीकार किया जायेगा तो दोनों वर्षों के लिए भिन्न आधार तिथियों को अपनाया जायेगा।

पारादीप पत्तन न्यास

8.13 निष्फल व्यय

अनुभवी ठेकेदार के चयन करने में पारादीप पत्तन न्यास की विफलता के कारण 2.12 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

पारादीप पत्तन न्यास (पा.प.न्या.) ने 500 टन तक की क्षमता के जलयानों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु शुष्क गोदी सुविधा मुहैया कराने के लिए, पत्तन जलावतरण मंच के परिष्करण हेतु 1992 में एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य, पत्तन न्यास द्वारा अन्य पत्तनों पर अपने जलयानों के लिए शुष्क गोदी हेतु किया जा रहा, भारी व्यय बचाने के लिए था। इसके अतिरिक्त, जलावतरण मंच के परिष्करण के पश्चात जलपोत और मछुवारी जलयानों का, दैनन्दिन अनुरक्षण करके, उनके द्वारा पत्तन के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए उनका व्यापारिक रूप से प्रायोग किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया था।

पूर्व-योग्यता बोलियां जुलाई 1992 में मांगी गई थी। बोलियों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि 31 अगस्त 1992 थी। चार फर्मों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं और वे निर्माण-कार्य

के लिए पूर्व योग्य थे। मै. बी. इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स लि. ने, अवसर पर पूर्व योग्यता बोली प्रस्तुत नहीं की थी। तदनन्तर (अपने पत्र के द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 1993 में), फर्म ने अनुरोध किया (अक्टूबर 1993) और तत्कालीन चीफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर की अनुशंसा पर पा.प.न्या. के तत्कालीन चेयरमेन के आदेश के अधीन उन्हें पूर्व योग्य किया गया था (दिसम्बर 1993)। इन तथ्यों के बावजूद कि चीफ इंजीनियर निकर्षण द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार कि फर्म को जलावतरण मंच और तट-अवतरण के निष्पादन/निर्माण में कोई पूर्ण अनुभव नहीं था, उसे पूर्व योग्य बनाया गया था। निर्माण कार्य बातचीत की गई, के आधार पर, फर्म को 20 जनवरी 1995 को 2.21 करोड़ रु. की दर से सौंपा गया था। निर्माण-कार्य के आरम्भ करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 20 जनवरी 1995 और 19 जनवरी 1996 थीं। इस क्षेत्र में अनुभवी ठेकेदार की कमी के बावजूद उन से कोई निष्पादन गारंटी, नहीं ली गई थी।

जलावतरण-तट के परिष्करण का निर्माण कार्य जो कि जनवरी 1996 तक पूरा किया जाना था, सितम्बर 1998 तक 2.12 करोड़ रु. का भारी व्यय करने के बाद भी, पूरा नहीं किया गया था। भुगतान, बातचीत के आधार पर किये गये प्रस्ताव (2.21 करोड़ रु.) का लगभग 96 प्रतिशत बनता था। आगे, जलावतरण मंच के मोहाने की सफाई, काफर डेम का निर्माण, अन्तः जल के रास्ते का परिवर्तन और परीक्षा, जांच करने और पा.प.न्या. के स्वामित्व वाले जलयानों जैसे साराला और सामालोई के जलावतरण मंच संचालन की सम्पूर्ण प्रणाली के चालू करने के मुख्य कार्य पूरे नहीं किए गए थे।

न्यासी बोर्ड ने, अपने अब्सट्रेक्ट फार्म में निर्माण कार्य के अनुमान के लिए, 1.96 करोड़ रु. का अनुमोदन किया और बाद में फर्म की अपनी मूल्य बोली प्रस्तावित 2.59 करोड़ रु. के प्रति बातचीत के आधार पर 2.21 करोड़ रु. की कीमत स्वीकार की। तथापि, निर्माण कार्य की उपरोक्त अपूर्ण मदों के विस्तृत अनुमान न तो तैयार किये गए न ही अनुमोदित किए गए। आगे, चरण भुगतान, किए गए निर्माण-कार्य के साथ मेल नहीं खाते थे। कर्षनाण साराला और सामालोई के लिए अपेक्षित तलछट, निविदा कागजों के डिज़ाईन पैरामीटर में शामिल किया गया था। तथापि, ठेकेदार द्वारा डिज़ाईन पैरामीटर के पालन नहीं किए जाने के कारण, जलयानों का कर्षण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, जलयानों के कर्षण नहीं करने के लिए उपयुक्त तलछट की अनुपलब्धता के कारण और मुख्य मदों के अपूर्ण निर्माण-कार्य के कारण, जलावतरण मंच, सात से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी, जून 2003 तक असंचालित रहा। इसके बावजूद, 17.71 लाख रु. की राशि की कुल प्रतिभूति जमा में से 8.50 लाख रु. नवम्बर 1998 के दौरान फर्म को जारी किया गया था।

उसी समय, पत्तन ने, निर्माण-कार्य के पूरा न होने के कारण अप्रैल 1996 से मार्च 2003 तक की अवधि के दौरान अन्य पत्तनों अपने जलयानों के लिए, शुष्क गोदी पर 7.61 करोड़ रु. का व्यय किया।

इस प्रकार, पा.प.न्या. निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाने में असफल रहा:-

- (i) अनुभवी ठेकेदार का चयन
- (ii) निष्पादन गारंटियां प्राप्त करना
- (iii) फिजिकल माईलस्टोन के साथ भुगतानों की अनुसूची का सहसम्बन्धित होना।
- (iv) विस्तृत अनुमानों और निर्माण-कार्य योजना पर बल देना और
- (v) तलछट से सम्बन्धित डिजाईन त्रुटियों की जांच करना

परिणामस्वरूप, योजना का निष्पादन विलम्बित था और पत्तन, शुष्क-गोदी सुविधा का लाभ नहीं उठा सका। जलावतरण मंच के परिष्करण में किया गया 2.12 करोड़ रु. का समग्र व्यय निष्फल सिद्ध हुआ और आगे, बाहरी शुष्क-गोदी पर 7.61 करोड़ रु. का व्यय बचाया नहीं जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त, सितम्बर 1999, मई 2002), कार्यकारी अभियंता, सिविल निर्माणकार्य खण्ड ने बताया (जून 2002) कि ठेकेदार, जलावतरण मंच के मोहाने का निर्माण कार्य, अंत जल मार्ग की मरम्मत और कॉफर डेम का निर्माण करने में असफल रहा था। मंत्रालय ने जनवरी 2002 में बताया कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही, कारण बताओ नोटिस के रूप में शुरू कर दी गई थी और निर्माण कार्य, निरस्त कर दिया गया था। तथापि, निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उठाया गया कदम मौन था। ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने के कारण भी सूचित नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि प्रबन्धकीय उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

8.14 राजस्व की हानि

पारादीप पत्तन न्यास द्वारा बिखरे हुए माल को हटाने के लिए 39.60 लाख रु. का खर्च किया गया जो कि निर्यातकर्ता/आयातकर्ता से लिया जाना था, इसके परिणामस्वरूप पत्तन न्यास को हानि हुई।

पारादीप पत्तन न्यास के यातायात विभाग (पा.प.न्या.या.वि.) द्वारा जारी दरों के प्रतिमान, 2000 की धारा 2.2(xiii) में दिए गए उपबद्धों के अनुसार, अंतरा-पत्तन परिवहन के दौरान माल को बिखरने से बचाने के लिए जहाज घाट के साथ-साथ बाड़े पर लदान निर्यातकर्ता और आयातकर्ता व्यवस्थित करते थे। मार्ग में या रेलवे पटरी पर माल बिखरने की स्थिति में, उसको हटाने के लिए निर्यातकर्ता/आयातकर्ता की जिम्मेवारी होती है। पत्तन का यातायात प्रबन्धक इस प्रकार के बिखराव को हटा सकता है और उसके लिए आयातकर्ता/निर्यातकर्ता से खर्च ले सकता है। दरों का प्रतिमान, यद्यपि बिखराव की सफाई के लिए आयातकर्ता/निर्यातकर्ता से लिए जाने वाले परिव्यय को सुस्पष्ट नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (जून 2002) कि जून 2001 से मई 2002 तक की अवधि के दौरान गन्दे माल की चढ़ाई-उतराई करने के बाद बर्थ को साफ करने के लिए पा.प.न्या. ने 31.76 लाख रू. का व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, पा.प.न्या. ने (मार्च 2001 से मार्च 2002) बर्थ और सड़क से कीचड़/मलवा साफ करने के लिए अपने वेतन-माल उठाने वाले और फॉक लिफ्ट तैनात किए जिससे 7.84 लाख रू. का खर्च हुआ (इन उपकरणों को यदि भाड़े पर लिये जाने पर उद्ग्रहित किराया प्रभारों के आधार पर परिकलित)। इस प्रकार, निर्यातकर्ता/आयातकर्ता से खर्च लेने की बजाय पा.प.न्या. द्वारा 39.60 लाख रू. का व्यय हुआ परिणामस्वरूप पत्तन न्यास के लिए हानि हुई।

अतिरिक्त यातायात प्रबंधक (प्रचालन) ने उत्तर में बताया (जून 2002) कि निर्यातकर्ता/आयातकर्ता माल चढ़ाने/उतारने का काम पूरा होने के तुरन्त पश्चात प्रायः बर्थ से बिखरे हुए माल को साफ करते थे, फिर भी, आगे के माल की चढ़ाई/उतराई के लिए बर्थ को तैयार और ठीक करने के लिए पत्तन न्यास द्वारा शेष धूल साफ की जानी थी। चूंकि घाट-शुल्क में सफाई कर्मचारी, सफाई ठेकेदार रखरखाव के और सफाई कार्य करने के लिए उपकरणों को लगाने के लिए व्यय शामिल होता है इसलिए सफाई के लिए आयातकर्ता/निर्यातकर्ता से अतिरिक्त प्रभार लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयातकर्ता/निर्यातकर्ता द्वारा छोड़ा गया बिखराव यातायात विभाग/प्रभाग द्वारा साफ किया जाना था। उपयोगकर्ता द्वारा बिखरे हुए माल को हटाने के संबंध में कोई प्रलेखी साक्ष्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, घाट-शुल्क में सफाई प्रभारों का सम्मिलित होना सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि घाट-शुल्क के घटक-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। हर हालत में बिखराव को साफ करने के लिए उपयोगकर्ता से खर्च लेने के संबंध में दरों के प्रतिमान में विशिष्ट उपबंध पूर्णतया साफ एवं सुस्पष्ट है।

पत्तन की विशाखापटनम पत्तन न्यास में प्रचलित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जहाँ बिखराव, निकासी एवं प्रेषण एजेंट द्वारा अपने मजदूरों को तैनात करके को हटाया जाता था। दूसरी ओर, पत्तन सफाई के लिए अपने मजदूर तैनात करता है और सम्बन्धित पार्टी से खर्च वसूल करता है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर, 2003) फरवरी 2004 तक उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

विशाखापटनम पत्तन न्यास

8.15 अनभिप्रेत वित्तीय लाभ

विशाखापटनम पत्तन न्यास ने एक कम्पनी को 70.83 लाख रू. के ब्याज का अनभिप्रेत लाभ प्रदान किया।

विशाखापटनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) द्वारा कम्पनी में 'ए' को अक्टूबर 1999 में 500 क्यूबिक मीटर ग्रेव हॉपर ट्रेजर के डिजाइन, निर्माण और पूर्ति के लिये 25.20 करोड़ रू.

की कीमत पर कार्य आदेश दिया। ड्रेजर को 18 महीनों के भीतर वितरित करना था। कार्य के प्रत्येक अवस्था के पूर्ण होने पर भारतीय रजिस्टर जहाजरानी द्वारा प्रमाणन किये जाने पर संविदागत कीमत का भुगतान नौ चरणों में किया जाना था। नोदन प्रणाली तथा उस पर साख पत्र के खुलने पर ड्रेज क्रेन और मुख्य इंजन के लिए आदेश देने के साथ साथ चौथी अवस्था में मूल्य की 20 प्रतिशत संविदा जारी करने के लिए कार्य आदेश दिया।

तथापि, कम्पनी के अनुरोध पर, ड्रेजर के वितरण में तेजी लाने के लिए वि.प.न्या ने मार्च 2000 में चौथी अवस्था के भुगतान के एवजी में 5 करोड़ रु. अग्रिम जारी किया। वि.प.न्या. के अध्यक्ष ने अग्रिम को स्वीकृति देते हुए अधिवेश दिया कि अग्रिम का प्रयोग केवल ड्रेजर के लिए इंजन और उपस्कर के खरीदने के लिए किया जाये। तथापि, वि.प.न्या. द्वारा फर्म से न कहा गया और न ही आदेश के पालन के लिए आश्वासन लिया गया।

लेखापरीक्षा ने अभिनिश्चित किया कि कम्पनी ने मुख्य प्रोपलशन पैकेज के आयातित के लिए अग्रिम प्राप्त करने के सोलह महीनों बाद और पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (अप्रैल 2001) के चार महीनों बाद अगस्त 2001 में दिये गये थे। वि.प.न्या. ने कम्पनी के 3 करोड़ रु. जारी करने के अनुरोध पर उनकी ओर से बैंकों/प्रदायकों को जनवरी से मई 2003 के दौरान 31.64 लाख रु. (12 प्रतिशत ब्याज पर) एक और अग्रिम, उपकरणों को जारी करवाने के लिए, दिये गये। अग्रिम जारी होने के बावजूद कम्पनी ने कार्य में कोई प्रगति नहीं की। जून 2003 में उनके स्वयं की मूल्यांकन के अनुसार ड्रेजर को दिसम्बर 2003 तक वितरित अवस्था में ही लाया गया। जून 2003 तक कम्पनी को 20.48 करोड़ रु. का अद्यावत भुगतान किया गया था।

अतः समझौते में बिना किसी कम्पनी को 5 करोड़ रु. का अपेक्षित भुगतान करने से 70.83 लाख रु. ब्याज का अनभिप्रेत लाभ प्रदान किया।

उत्तर में वि.प.न्या. ने जून 2003 में बताया कि उन्होंने कम्पनी से 70.83 लाख रु. की वसूली करने का प्रस्ताव किया है। वि.प.न्या. द्वारा सितम्बर 2003 में कम्पनी के अन्य कार्यों के बिलों में से 35 लाख रु. की वसूली की गई थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2003) कि वसूली के बारे में लेखापरीक्षा को कुछ अवधि में सूचित किया जायेगा।

विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड

8.16 गोदी श्रमिकों को दिये गये बकाया वेतनों की वसूली न होने के कारण हानि

जहाजी कुलियों से प्राप्य की वसूली न होने के परिणामस्वरूप 11.66 करोड़ रु. की हानि।

गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार विशाखापटनम गोदी श्रमिक बोर्ड (गो.श्र.बो.) को, लाइसेंसधारी, जहाजी कुलियों, जो बन्दरगाह क्षेत्र के अन्दर माल चढ़ाने-उतारने का कार्य करते हैं और पंजीकृत पूल में

माल चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों को निर्धारित दरों पर भरण-पोषण एवं पूर्ति करना होता था। योजना के अन्तर्गत मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन मांगे गये जहाजी कुलियों से, ऐसे मजदूरों के कार्य दिवसों की कुल संख्या के आधार पर, वसूल किये जाने थे।

भूतल एवं परिवहन मंत्रालय (अब जहाजरानी मंत्रालय) ने स्पष्ट किया कि सभी मुख्य पत्तन न्यासों में श्रेणी III एवं श्रेणी IV के कर्मचारियों के संशोधित वेतन और भत्ते की दरें, अगस्त 2000 में (नोशनल प्रभाव जनवरी 1997 से) “वेतन संशोधित समिति” के वेतन समझौता होने के उपरान्त ही, गोदी श्रमिकों के लिए भी लागू किये जाने थे। जहाजी कुलियों से वसूली के मामले को प्रभावी ढंग से कार्रवाई किये बिना अपंजीकृत रिजर्व निधियों में से गोदी श्रमिकों को जनवरी 1998 से 10 अगस्त 2000 तक कुल मिलाकर 11.66 करोड़ रु. के बकाया वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया गया था। गो.श्र.बो. जहाजी कुलियों से संशोधित वेतनों के आधार पर केवल 11 अगस्त 2000 के आगे से तथा जनवरी 1998 से 10 अगस्त 2000 तक की अवधि से सम्बन्धित बकाया राशि के कारण अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की।

जहाजी कुलियों से वेतनों की बकाया वसूली की सटीक कार्रवाई करने की गो.म.बो. की असफलता के परिणामस्वरूप 11.66 करोड़ रु. की वसूली नहीं हुई।

गो.म.बो. ने (जुलाई/सितम्बर 2003) बताया कि कर्मचारियों से बकाया वसूली नहीं की गई क्योंकि बकाया राशि बोर्ड की अनुमति से रिजर्व निधि से प्राप्त की गई थी और योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार और उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भी अतिरिक्त उगाही के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। तथापि, उत्तर तर्कसंगत नहीं है। जबकि बोर्ड को विशाखापट्टनम नौकाघाट मजदूरों (रोजगार नियमन) योजना 1959 के तहत अपने रिजर्व निधियों में से बकाया वेतन भुगतान करने की शक्ति है, इसका गोदी मजदूर (रोजगार नियमन) अधिनियम 1948 की धारा 51 के अन्तर्गत मांगे गए जहाजी मजदूरों से राशि की वसूली करने का भी दायित्व है। आगे, बोर्ड को गलत मिसाल कायम करने से पहले वसूली के और भी तरीके खोजने चाहिये थे। गो.श्र.बो. की कार्यवाही अग्राह्य है। ऐसे ही मामलों में टूटीकोरीन और पारादीप पत्तन न्यासों ने इसी ढंग से अतिरिक्त नौभार वसूली/विशेष अतिरिक्त कर वसूल किया था।

मामला मंत्रालय को अगस्त और सितम्बर 2003 में भेजा गया था; उसका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

9 नियमों का उल्लंघन होने के परिणामस्वरूप संस्थाओं को अनधिकृत लाभ

कारिगरों से प्राप्त उपयुक्त अंशदानों तथा खादी व ग्राम उद्योग आयोग की तीन सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा कारिगर कल्याण निधि में किए गए अंशदानों का निवेश न करने के परिणामस्वरूप संस्थाओं को 87.22 करोड़ रु. का अनधिकृत लाभ हुआ और 53.72 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) की खादी प्रमाणन नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ कारिगरों से उनकी सकल मज़दूरी के 10 प्रतिशत की दर से प्राप्त अंशदानों, जिसे संस्थाओं द्वारा इसके समकक्ष अंशदान देकर अनुपूरक किया जाना था, के माध्यम से कारिगर कल्याण निधि (का.क.नि.) सृजित करने के लिए खादी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। कारिगरों को अधिक ब्याज का लाभ पहुँचाने के लिए का.क.नि. को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में तथा अन्य अधिक ब्याज देने वाली योजनाओं में जमा किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक कारिगर के संबंध में संस्थान के अंशदान सहित उनका अंशदान दर्शाने वाला एक पृथक लेखे का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि प्रत्येक कारिगर को एक पासबुक जारी की जाए। खादी प्रमाणन नियमावली प्रत्यायोजित विधान से बनी है इसलिए इसमें कानूनी शक्ति का प्रभाव है। प्रमाणन नियमावली के गंभीर उल्लंघन के मामले में आयोग ने संस्थान के प्रमाणन को स्थगित करना था और स्थगन अवधि के दौरान संबंधित राज्य/क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से निम्नलिखित दण्ड लागू करना था (i) किसी छूट-दावों का भुगतान नहीं किया जाएगा (ii) कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी (iii) कोई प्रमाणित खादी संस्था ऐसी संस्था से खादी नहीं खरीदेगी। स्थगन अवधि के दौरान संबंधित राज्य/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा संस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त खा.ग्रा.उ.आ. के अंतर्गत कार्य करने वाली केन्द्रीय प्रमाणन समिति (के.प्र.स.) के पास भी संस्था के प्रमाणन को रद्द करने का अधिकार था।

उत्तर प्रदेश की तीन प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थाओं (क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, रायबरेली, मेरठ तथा सुलतानपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1990-2003 की अवधि के दौरान कारिगरों से वसूल की गई तथा संस्थाओं द्वारा किए गए अंशदान की 87.22 लाख रु. की राशि न तो बैंक में जमा की गई और न ही ब्याज प्राप्त हुआ, बैंक दर (6.5 प्रतिशत) पर 53.72 लाख रु. की राशि उनकी पासबुकों में क्रेडिट को गई थी।

तथापि, खा.ग्रा.उ.आ., संस्थाओं के प्रमाणपत्र स्थगित करने में तथा प्रमाणन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उचित दण्ड देने में विफल रहा। खा.ग्रा.उ.आ. ने संस्थाओं को 1993-94 से 2002-03 की अवधि के दौरान छूट-दावे देना जारी रखा तथा ऋण के रूप में 3.90 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी।

आयोग ने उत्तर दिया (अगस्त 2003) कि संस्थाएं कारीगर कल्याण निधि बनाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि संस्थाओं के पास उपलब्ध धनराशि का कच्चे माल को खरीदने, कारीगरों को उसकी आपूर्ति करने, कारीगरों से सूत व खादी खरीदने तथा अन्ततः कारीगरों को मज़दूरी का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा संस्थाओं के छूट-दावों का निपटान करने में हुए विलंब ने भी संस्थाओं के लिए वास्तविक कठिनाई उत्पन्न की जिसके कारण उनकी कार्यशील पूँजी कम हुई। आगे, यह भी बताया गया था कि आयोग ने राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि न्यास के सृजन को सरल बनाया था जिसमें संस्थाओं से प्राप्त अंशदान प्रचुर मात्रा में होगा। आयोग ने वर्ष 2002-03 के लिए राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि न्यास में संस्थाओं द्वारा किए गए अंशदान से छूट को जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि उ.प्र. राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि न्यास (उ.प्र.रा.स्त.का.क.नि.न्या.) अप्रैल 2003 में सृजित किया गया था। फिर भी इन तीन संस्थाओं ने उ.प्र.रा.स्त.का.क.नि.न्या. में नवम्बर 2003 तक कोई अंशदान जमा नहीं किया था। इस प्रकार, इस न्यास को आरंभ करने के बाद भी इन कारीगरों के हितों की रक्षा नहीं की गई थी।

परिणामतः इस निधि-न्यास का उद्देश्य विफल हो गया तथा अंशदानों का निवेश नहीं करने के कारण अंशदानों की राशि 87.22 लाख रु. तथा ब्याज की 53.72 लाख रु. की राशि को अपने पास रखने से संस्थाओं को अनाधिकृत लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

10.1 जुर्माने की वसूली न होना

महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाये गये जुर्माने को जारी करने से सम्बन्धित विवाद का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समाधान हेतु निश्चयायक कार्यवाही करने में विफलता के कारण 1.19 करोड़ रुपये का अवरोधन हुआ।

दि.वि.प्रा. अधिनियम 1957 की धारा 14 के साथ पठित धारा 29(2) में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि या भवन का उपयोग करता है तो उसे जुर्माना देना होता है। अधिनियम की धारा 33 में अनुबद्ध है कि उगाहे गए सभी जुर्मानों का दि.वि.प्रा.¹ को भुगतान किया जायेगा।

दि.वि.प्रा. की प्रवर्तन शाखा की जिम्मेवारी है कि सम्पत्ति के मालिकों जिनके परिसर का मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है उनके विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ करे। चूककर्ता को पहले नोटिस जारी किये जाते हैं और उसके पश्चात मामलों को महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत में अन्तिम निर्णय के लिए पेश किया जाता है।

प्रवर्तन शाखा के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि म.म. की अदालत² द्वारा 1970 से 2002 की अवधि के दौरान 1.19 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाये गये जिनकी चूककर्ताओं से वसूली की गई थी। तथापि, दि.वि.प्रा. ऊपर उल्लिखित धारा 33 के प्रावधान के अनुसार म.म. की अदालत से को जुर्माने की राशि अभी प्राप्त होनी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि न्यायालय ने मार्च 1994 में इच्छा व्यक्त की कि डी टी सी और अन्य स्थानीय निकायों की भाँति एकत्रित जुर्माने के 1/12 वें भाग की कटौती प्रशासनिक खर्च के लिए की जाये और शेष दि.वि.प्रा. को प्रेषित कर दिया जाए। चूंकि दि.वि.प्रा. के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा भुगतान किया जा सके, दि.वि.प्रा. ने अदालत के प्रस्ताव को नहीं माना। इसके पश्चात मामला दि.वि.प्रा., दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार (विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग) के बीच पत्राचाराधीन रहा जिसका कोई परिणाम नहीं निकला।

मई 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने सुझाव दिया कि जब तक अधिनियम में संशोधन न हो जाये तब तक दि.वि.प्रा. और राज्य सरकार के बीच जुर्माने

¹ दिल्ली विकास प्राधिकरण

² महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालत

की उगाही और खर्च की गई राशि को 50:50 के आधार पर बाँटा जाना चाहिए। उत्तर में दि.वि.प्रा. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक से अनुरोध किया (फरवरी 2003) कि धारा 33 के स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उगाहे गए शुल्क की समस्त राशि का उन मामलों जिनमें अपील प्रस्तुत की गई थी, के संबंध में तदर्थ आधार पर 10 प्रतिशत की कटौती करने के बाद दि.वि.प्रा. को भुगतान किया जाना चाहिए। अप्रैल 2003 तक दि.वि.प्रा. और दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2003) कि दि.वि.प्रा. 1973 से आगे न्यायिक अधिकारियों से इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार सम्पर्क में था।

इस प्रकार न्यायालय द्वारा नौ साल पूर्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए दिये गये सुझाव पर समय पर कार्यवाही करने अथवा मामले को सुलझाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप म.म. न्यायालय के पास 1.19 करोड़ रुपये राशि का अवरोधन हुआ।

10.2 ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित सामान्य छूट का लाभ न उठाना जाना

दि.वि.प्रा. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित सामान्य छूट का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 16.22 लाख रु. की वसूली नहीं हुई।

दि.वि.प्रा. ने, 2.07 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, पॉकेट-1, ब्लॉक-सी, सैक्टर-17, रोहिणी में 224 नि.आ.व. मकानों के निर्माण हेतु मद-दर निविदाएं आमंत्रित की (अक्टूबर 1996)। मै. जे.के. कन्सट्रक्शन कम्पनी ने 2.23 करोड़ रु. की निविदा राशि पर पांच प्रतिशत छूट प्रस्तावित की। इस प्रकार, निवल निविदागत लागत 2.12 करोड़ रु. बनती थी। निम्नतम निविदा होने के कारण निर्माण-कार्य ठेकेदार को, फरवरी 1999 तक पूरा करने के लिए दिया गया था (मार्च 1997)। निर्माण कार्य जुलाई 2000 में पूरा किया गया था। चूंकि अलग-अलग मदों की दरें 2.23 करोड़ रु. की निविदा लागत पर थी इसलिए दि.वि.प्रा. को या तो सभी अलग-अलग मदों की दरों को पांच प्रतिशत कम करना अथवा मूल दरों पर प्रस्तुत किए गए सभी बिलों से पांच प्रतिशत घटाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (जून 2002) कि दि.वि.प्रा., मार्च 1997 में जारी अधिनिर्णय-पत्र में, ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित प्रति मद छूट का विवरण देने में असफल रहा। दि.वि.प्रा. प्रत्येक रनिंग बिल में अदा किए जाने वाले निर्माण-कार्य की समग्र कीमत में से 5 प्रतिशत की कटौती करने में भी असफल रहा। परिणामस्वरूप, वह 9.40 लाख रु. की राशि अर्थात् 26वें रनिंग एकाउंट बिल (नवम्बर 2001) तक ठेकेदार से छूट की राशि वसूल करने में असफल रहा। ब्याज सहित कुल वसूली, मार्च 2003 तक 16.22 लाख रु. बनती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2002), कार्यकारी अभियन्ता ने चूक मान ली (अगस्त 2002) और बताया (जून 2003) कि दि.वि.प्रा. ने अपने विभिन्न डिवीजनों में वसूली प्रचारित की थी और वसूली के लिए अदालती मामला दायर कर दिया गया था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XI

11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्यवाही टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा भली-भांति पुनरीक्षित कराकर, संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट-VIII) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 105 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थीं, में से 41 पैराग्राफों पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थीं जबकि 64 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

64 पैराग्राफों, जिन पर का.टि प्राप्त नहीं हुई थीं, में से 35 पैराग्राफ शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मार्च 1989 से मार्च 1993 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे।



(डा. अं.कु. बनर्जी)


महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक: 29 05 04

प्रतिहस्ताक्षरित




(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 03 06 04



परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2002-2003 के दौरान प्राप्त अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
कृषि और सहकारिता			
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	3003.00	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	1955.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	9915.00	शून्य
4.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	721.00	शून्य
5.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	375.00	शून्य
		15,969.00	शून्य
पशु पालन और डेरी उद्योग			
6.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	82.00	शून्य
		82.00	शून्य
रसायन एवं उर्वरक			
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1981.00	शून्य
		1981.00	शून्य
वाणिज्य			
8.	कृषि तथा प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ, निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	4688.00	शून्य
9.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	6000.00	2375.00
10.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई	64.50	शून्य
11.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	165.45	शून्य
12.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	3.17	शून्य
13.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	1144.00	शून्य
14.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	37.59	शून्य
15.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	4590.00	शून्य
16.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	8129.24	शून्य
17.	मसाला बोर्ड, कोची	1850.00	शून्य
18.	चाय बोर्ड, कोलकाता	7281.59*	शून्य

* अनुसंधान एवं विकास के लिए 936.00 लाख रु. तथा 4696.59 लाख रु. की आर्थिक सहायता सहित

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
19.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर	शून्य	शून्य
		33953.54	2375.00
उपभोक्ता मामले			
20.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	180.00	शून्य
		180.00	शून्य
रक्षा			
21.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेल संस्थान, पहलगॉव	14.63	शून्य
		14.63	शून्य
पर्यावरण और वन			
22.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	675.80	शून्य
		675.80	शून्य
विदेश मामले			
23.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	112.32	शून्य
24.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद, नई दिल्ली	4202.88	शून्य
		4315.20	शून्य
वित्त			
25.	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
26.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
27.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	25930.65	शून्य
28.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	77.00	शून्य
29.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2673.30	शून्य
30.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1568.49	शून्य
31.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	229.00	शून्य
32.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	151.50	शून्य
33.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	832.00	शून्य
34.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	1009.00	शून्य
35.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	25.00	शून्य
36.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली	50.00	शून्य
37.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	150.00	शून्य
38.	मोरार जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	596.00	शून्य
39.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	5.98	शून्य
40.	राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि, नई दिल्ली	280.00	शून्य
41.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	1091.64	शून्य
42.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	1040.78	शून्य
43.	राष्ट्रीय हौम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	700.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
44.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	4482.50	शून्य
45.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे	97.50	शून्य
46.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	10.00	शून्य
47.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिषद, चंडीगढ़	21900.00	शून्य
48.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	51.00	शून्य
		62952.34	शून्य
गृह मामले			
49.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	819.24	शून्य
		819.24	शून्य
मानव संसाधन विकास			
50.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	12000.00	शून्य
51.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	11846.00	शून्य
52.	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	1071.86	शून्य
53.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले	182.08	शून्य
54.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	1051.07	शून्य
55.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	398.00	शून्य
56.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई	501.26	शून्य
57.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	363.59	शून्य
58.	केन्द्रीय उच्च तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	490.00	शून्य
59.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	1255.00	शून्य
60.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जालन्धर	599.79	शून्य
61.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	684.76	शून्य
62.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3515.37	शून्य
63.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	620.83	शून्य
64.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	727.00	शून्य
65.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	1766.00	शून्य
66.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	2046.00	शून्य
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	440.00	शून्य
68.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, चेन्नई	5250.00	शून्य
69.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, गुवाहाटी	88.82	शून्य
70.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर	8800.00	शून्य
71.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड्गपुर	9102.00	शून्य
72.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई	9200.00	शून्य
73.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	8850.00	शून्य
74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	290.00	शून्य
75.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	512.75	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
76.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	6479.84	शून्य
77.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	6623.46	शून्य
78.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	1167.00	शून्य
79.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	62977.00	शून्य
80.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	550.55	शून्य
81.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	1287.82	शून्य
82.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1894.92*	शून्य
83.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	529.90	शून्य
84.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	370.00	शून्य
85.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, बड़ोदरा	36.00	शून्य
86.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	877.00	शून्य
87.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	450.00	शून्य
88.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	5040.00	शून्य
89.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	शून्य	शून्य
90.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	214.20	शून्य
91.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
92.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना, प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली	478.03	शून्य
93.	राष्ट्रीय ढलाई एवं जाली प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद, रांची	679.39	शून्य
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	1587.50	शून्य
95.	राष्ट्रीय जनसहयोग एवं शिशु विकास, नई दिल्ली	1061.77	शून्य
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	625.50	शून्य
97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	377.25	शून्य
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	1095.59	शून्य
99.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	1455.97	शून्य
100.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	650.00	शून्य
101.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	533.00	शून्य
102.	उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	3600.48	शून्य
103.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, निरजुली, ईटा नगर	1528.46	शून्य
104.	उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	234.74	शून्य
105.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1710.39	शून्य
106.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	170.50	शून्य
107.	राष्ट्रीय संस्कृत संगठन, नई दिल्ली	3530.00	शून्य
108.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	411.09	शून्य

* विशेष निधि सहित

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
109.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर	1272.83	शून्य
110.	क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	656.45	शून्य
111.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	696.15	शून्य
112.	संत लोंगवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल	1035.00	शून्य
113.	सरदार बल्लभ भाई क्षेत्रीय अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सूरत	851.00	शून्य
114.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	590.00	शून्य
115.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	शून्य	शून्य
116.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजौर	38.90	शून्य
117.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	450.00	शून्य
118.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	487.50	शून्य
119.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	459.00	शून्य
120.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	530.00	शून्य
121.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	1079.18	शून्य
122.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	5992.20	शून्य
123.	विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता	393.85	शून्य
124.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय अभिप्रौद्योगिकी महाविद्यालय, नागपुर	1206.84	शून्य
		210618.43	शून्य
उद्योग			
125.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	1320.00	5.00
126.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	39036.00	21.00
		40356.00	26.00
सूचना एवं प्रसारण			
127.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	191.84	शून्य
128.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	96724.00	22900.00
		96915.84	22900.00
श्रम			
129.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	19.58	शून्य
130.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
131.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
132.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	435.00	शून्य
		454.58	शून्य
विधि			
133.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
134.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़	55.75	शून्य
		55.75	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्म
खान			
135.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	1692.50	शून्य
		1692.50	शून्य
विद्युत			
136.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	1603.00	शून्य
		1603.00	शून्य
रेलवे			
137.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	2423.00	शून्य
		2423.00	शून्य
ग्रामीण विकास			
138.	लोगों के कार्य के लिये उन्नति एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, नई दिल्ली	3130.00*	शून्य
139.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	1255.00	शून्य
		4385.00	शून्य
जहाजरानी			
140.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	304.00*
141.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
142.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नेहवा शेवा	शून्य	शून्य
143.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
144.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
145.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य
146.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	शून्य	शून्य
147.	मरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा	शून्य	232.00
148.	मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
149.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
150.	नया मंगलौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
151.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
152.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
153.	मुख्य पत्तन का सीमा-शुल्क प्राधिकरण	300.99	शून्य
154.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
155.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
156.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		300.99	536.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
157.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुम्बई	947.80	शून्य
158.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	158.00	शून्य

* 130.00 लाख रुपये सहित (यू एन डी पी)

+ इन्डोर पत्तन परियोजना के लिए

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
159.	शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली	572.00	शून्य
160.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, कटक	826.00	शून्य
161.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून	799.00	शून्य
162.	राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	446.00	शून्य
163.	राष्ट्रीय बहुउद्देश्य मधुमेह, मानसिक विकलांगता सेरीबल अस्तिज्म पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए ट्रस्ट	100.00	शून्य
164.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद	814.10	शून्य
165.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	485.00	शून्य
		5147.90	शून्य
दूरसंचार			
166.	भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	650.00	शून्य
		650.00	शून्य
वस्त्र			
167.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर	14440.00	शून्य
168.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	3161.65	शून्य
169.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	1152.37	शून्य
170.	वस्त्र समिति, मुंबई	2003.00	शून्य
		20757.02	शून्य
पर्यटन एवं संस्कृति			
171.	ऐशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	489.00	शून्य
172.	सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	757.00	शून्य
173.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	815.00	शून्य
174.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, नई दिल्ली	645.16	शून्य
175.	कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	299.00	शून्य
176.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	497.00	शून्य
177.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	2110.00	शून्य
178.	राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल, नई दिल्ली	1053.00	शून्य
179.	नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं संग्रहालय, नई दिल्ली	631.50	शून्य
180.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	131.57	शून्य
181.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	843.50	शून्य
182.	सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	681.00	शून्य
183.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	1174.72	शून्य
184.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	83.88	शून्य
		10211.33	शून्य
शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन			
185.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
186.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	92.66	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
187.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, क्वारत्ती	94.00	शून्य
188.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	5650.00	शून्य
189.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	142.00	शून्य
		5978.66	शून्य
जल संसाधन			
190.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	शून्य	शून्य
191.	ब्रम्हपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	3563.41	शून्य
192.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
193.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	1532.00	शून्य
		5095.41	शून्य
युवा मामले और खेलकूद			
194.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	570.00	शून्य
195.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन,, नई दिल्ली	4857.00	शून्य
196.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	12869.00	शून्य
		18296.00	शून्य
कुल जोड़		545884.16	25837.00

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2002-2003 के लेखे/सूचना 29 फरवरी 2004 तक प्राप्त नहीं हुए

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
वाणिज्य	
1.	कॉफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बंगलौर
2.	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता
रक्षा	
3.	हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग
4.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी
विदेश मामले	
5.	हज समिति
मानव संसाधन विकास	
6.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
7.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
9.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
10.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
12.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
15.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
17.	खुदा बक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना
18.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
19.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
20.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
21.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
22.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास संग्रहालय तथा संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली
24.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली
25.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
26.	रामपुर राजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर
27.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
28.	विश्व भारती, शान्ति निकेतन
खान	
29.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
30.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
पर्यटन एवं संस्कृति	
31.	केन्द्रीय बुद्धिष्ठ अध्ययन संस्थान, लेह
32.	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत
लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2002-03 के दौरान प्राप्त अनुदान

(लाख रूपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान/ऋण
कृषि तथा सहकारिता		
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	47302.00
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	1395.00
3.	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ	6746.00
वाणिज्य		
4.	भारतीय उन्नत काजू निर्यात परिषद	129.97
5.	अभियांत्रिकी निर्यात उन्नति परिषद, कोलकाता	1481.65
6.	भारतीय निर्यात संगठन संघ	103.00
7.	भारतीय निष्पक्षता निधि न्यास बोर्ड	शून्य
8.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	680.00
9.	राष्ट्रीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	674.00
10.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति	569.00
11.	शैलाक निर्यात उन्नति परिषद, कोलकाता	70.50
12.	खेलकूद सामान निर्यात उन्नति परिषद	226.00
विदेश मामले		
13.	गैर-संबद्ध एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना पद्धति परिषद	137.00
वित्त		
14.	भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम	3373.74
15.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	131.08
16.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	52483.95*
17.	भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली	230.00
18.	औद्योगिक विकास एवं शैक्षणिक संस्थान, नई दिल्ली	30.00
19.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	48.42
20.	ग्रामीण सहायता और विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक	11095.68*
21.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	45.00

* ऋण

* 10000 लाख रुपये के ऋण शामिल

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान/ऋण
22.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	161.00
23.	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नोति संस्थान, नई दिल्ली	164.52
24.	भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक	1690.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
25.	एड्स शिक्षा और अनुसंधान न्यास समिति, मुम्बई	665.00
26.	अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	910.00
27.	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद	105.00
28.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	229.86
29.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	75.00
30.	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान, तमिलनाडु	109.23
31.	गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान, अम्बाथुराई डिंडीगुल जिला	109.22
32.	विश्वव्यापी टीकाकरण सहयोग संस्थान, जामनगर	552.00
33.	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान	75.00
34.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	20060.00
35.	भारतीय क्षयरोग संस्थान, नई दिल्ली	37.42
36.	भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन, नई दिल्ली	30.96
37.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	574.00
38.	लाला रामस्वरूप क्षय रोग तथा समवर्गी रोग संस्थान, नई दिल्ली	1415.00
39.	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	45.50
40.	राष्ट्रीय जीवन विज्ञान संस्थान	1440.00
41.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान बंगलौर	300.00
42.	क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली	90.00
43.	उत्तरपूर्वी इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	4707.00
44.	परिवार सेवा संस्थान	शून्य
45.	भारतीय पास्तुर संस्थान, कूनूर	300.00
46.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, नई दिल्ली	1000.00
47.	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना नवीकरण एजेंसी, लखनऊ	4024.34
48.	वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली	1200.00
49.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना, चेन्नई	725.00
मानव संसाधन विकास		
50.	आन्ध्र प्रदेश महिला समथा समिति, हैदराबाद	225.00

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान/ऋण
51.	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	7029.53
52.	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली	18.50
उद्योग		
53.	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	1275.00
54.	भारतीय बाल फिल्म समिति, नई दिल्ली	215.00
55.	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालक्कड़	200.00
56.	राष्ट्रीय उद्यमवृत्ति एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान	417.00
सूचना एवं प्रसारण		
57.	भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पूणे	481.67
58.	भारतीय जन संचार संस्थान	1535.97
59.	राष्ट्रीय बाल एवं युवा जन फिल्म केन्द्र	215.00
60.	सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान	299.82
औद्योगिक नीति एवं उन्नति		
61.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	677.00
श्रम		
62.	केन्द्रीय मीडिया अनुदेशात्मक संस्थान, चेन्नई	204.00
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन		
63.	केन्द्रीय सिविल सेवायें खेलकूद एवं सांस्कृतिक बोर्ड	38.00
64.	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान	85.00
65.	गृह कल्याण केन्द्र	79.00
66.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	325.50*
विद्युत		
67.	विद्युत दक्षता ब्यूरो	5120.65
68.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	1791.21
ग्रामीण क्षेत्र और विकास		
69.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाण्डिचेरी	696.28
लघु उद्योग		
70.	राष्ट्रीय उद्यमकर्ता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान	382.50
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		
71.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन एजेंसी, नई दिल्ली	130.00

* 283.50 लाख रु. रखरखाव के लिए सहायता अनुदान और 42.00 लाख रु. अप्पा कार्यक्रम के लिए

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान/ऋण
72.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	100.00
73.	लिबन शिल्फ विशाखापत्तनम, मानसिक विकलांग संघ	64.20
74.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	265.10
75.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई	1004.80
सांख्यिकी		
76.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता	4515.55
वस्त्र		
77.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति	569.00
78.	परिधान निर्यात उन्नति परिषद	135.00
पर्यटन		
79.	होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान, कोवलम	81.00
80.	राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान परिषद	371.50
शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन		
81.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	228.00
82.	हेंबीटेट पौलीटेक, नई दिल्ली	शून्य
83.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	128.00
युवा मामले एवं खेल कूद		
84.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, चेन्नई	227.00
जोड़		196877.82^B

^B 62483.95 लाख रु का ऋण शामिल है।

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2002-03 के लेखे/सूचना 29 फरवरी 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
कृषि एवं सहकारिता	
1.	लघु एवं सीमावर्ती किसान विकास अभिकरण, दीमापुर
रसायन एवं उर्वरक	
2.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
3.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
4.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर
वाणिज्य	
5.	अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
6.	धान संसाधन अनुसंधान केन्द्र, तन्जावुर
मानव संसाधन विकास	
7.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली
8.	भारतीय विश्वविद्यालय संगठन
9.	भगवथुला चैरीटेबल न्यास, गेलमोन्चीली, विशाखापत्तनम
10.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली
11.	भारत स्काउट एवं गाईड, नई दिल्ली
12.	केन्द्रीय सिविल सेवायें खेलकूद एवं सांस्कृतिक बोर्ड, नई दिल्ली
13.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली
14.	भारतीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
15.	भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति, नई दिल्ली
16.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐशियन अध्ययन संस्थान, कोलकाता
17.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
18.	राम कृष्ण मिशन, सांस्कृतिक संस्थान, कोलकाता

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
19.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति
20.	राज्य अनुसंधान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, हैदराबाद
21.	पश्चिमी बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक संघ, कोलकाता
उद्योग	
22.	केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई
23.	केन्द्रीय उपकरण रूपांकन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद
24.	केन्द्रीय उपकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता
25.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
श्रम	
26.	बाल श्रम उन्मूलन सहायता योजना समिति, बैल्लूर
27.	एस.एम.आई.एल.ई. परियोजना समिति, सलेम
योजना	
28.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास	
29.	जि.ग्रा.वि.अ., नीलगिरी
30.	जि.ग्रा.वि.अ., कोयम्बटूर
31.	जि.ग्रा.वि.अ., कुड्डालोर
32.	जि.ग्रा.वि.अ., धर्मपुरी
33.	जि.ग्रा.वि.अ., डिंडीगुल
34.	जि.ग्रा.वि.अ., ईरोड
35.	जि.ग्रा.वि.अ., कांचीपुरम
36.	जि.ग्रा.वि.अ., कन्याकुमारी
37.	जि.ग्रा.वि.अ., करूर
38.	जि.ग्रा.वि.अ., मदुराई
39.	जि.ग्रा.वि.अ., नागापट्टिनम
40.	जि.ग्रा.वि.अ., नामाक्कल
41.	जि.ग्रा.वि.अ., पेराम्बलूर

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
42.	जि.ग्रा.वि.अ., पुडुकोट्टाई
43.	जि.ग्रा.वि.अ., रामनाथपुरम
44.	जि.ग्रा.वि.अ., सलेम
45.	जि.ग्रा.वि.अ., शिवगंगा
46.	जि.ग्रा.वि.अ., तन्जावर
47.	जि.ग्रा.वि.अ., थेनी
48.	जि.ग्रा.वि.अ., थीरुवल्लूर
49.	जि.ग्रा.वि.अ., तिरुवन्नमलाई
50.	जि.ग्रा.वि.अ., थिरुवनूर
51.	जि.ग्रा.वि.अ., तिरुचिरापल्ली
52.	जि.ग्रा.वि.अं., तिरुनीवल्ली
53.	जि.ग्रा.वि.अ., तूतीकोरीन
54.	जि.ग्रा.वि.अ., वेल्लूर
55.	जि.ग्रा.वि.अ., विंल्लूपरम
56.	जि.ग्रा.वि.अ., विरुधूनगर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
57.	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली
58.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली
59.	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता
60.	जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा
61.	हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली
62.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाड़ा
63.	जिला विकलांगता संगम, विनु कोंडा
वस्त्र	
64.	मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ
65.	हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई
66.	हैंडलूम हाऊस, हैदराबाद
67.	हैंडलूम हाऊस, विशाखापत्तनम

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
68.	भारतीय पटसन औद्योगिक अनुसंधान संघ, कोलकाता
69.	राष्ट्रीय पटसन नानारूपकरण केन्द्र
70.	दक्षिण क्षेत्र वस्त्र अनुसंधान संगठन, कोयम्बटूर
71.	ऊन अनुसंधान, थाणे
पर्यटन	
72.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, चेन्नई
73.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, कोलकाता
74.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी संस्थान, हैदराबाद
युवा मामले एवं खेलकूद	
75.	भारतीय ओलम्पिक संगठन, नई दिल्ली
76.	श्री अरविंदो सोसाईटी, नई दिल्ली
77.	भारतीय युवा होस्टल संघ, नई दिल्ली

परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
(क)	तीन से छः माह तक का विलम्ब	
1.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	24/10/2002
2.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	09/10/2002
3.	संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल	16/10/2002
4.	राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	24/10/2002
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, कोलकाता	25/10/2002
6.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	31/10/2002
7.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	01/11/2002
8.	नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	06/11/2002
9.	राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी	07/11/2002
10.	कॉफी बोर्ड (पूल फण्ड एकाउन्ट्स), बंगलौर	11/11/2002
11.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखा), बंगलौर	12/11/2002
12.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	12/11/2002
13.	सीमन्स भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	13/11/2002
14.	राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास संग्रहालय तथा संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	15/11/2002
15.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	18/11/2002
16.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	21/11/2002
17.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	22/11/2002
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	25/11/2002
19.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	26/11/2002
20.	मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर	02/12/2002
21.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	05/12/2002
22.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	09/12/2002
23.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	10/12/2002
24.	कलकता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	11/12/2002
25.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, नागपुर	11/12/2002
26.	औरोविल्ले प्रतिष्ठान, औरोविल्ले	12/12/2002
27.	राष्ट्रीय बाल भवन संस्था, नई दिल्ली	12/12/2002

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
28.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन	17/12/2002
29.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	20/12/2002
30.	बीमा नियमन विकास प्राधिकरण	30/12/2002
31.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	31/12/2002
32.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	31/12/2002
(ख)	छः माह से अधिक विलम्ब	
1.	शिक्षकता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	06/01/2003
2.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	07/01/2003
3.	डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जालंधर	08/01/2003
4.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड	30/01/2003
5.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	28/02/2003
6.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावर	17/03/2003
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	31/03/2003
8.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	22/04/2003
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय	02/06/2003
10.	मुख्य पत्तन शुल्क प्राधिकरण	06/06/2003
11.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय	12/06/2003
12.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	15/7/2003
13.	प्रसार भारती	03/02/2004

परिशिष्ट -VI

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे 29 फरवरी 2004 तक प्रस्तुत न करना

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
4.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
6.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि
9.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय जनसहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.2 देखें)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(लाख रु. में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
कृषि और सहकारिता	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	1	2.50
	1996-97	8	9.76
	1997-98	15	38.28
	1998-99	10	79.08
	1999-00	10	70.14
	2000-01	29	3411.36
		84	3638.87
	आण्विक ऊर्जा	1991-92	1
1992-93		1	0.37
1994-95		1	0.46
1995-96		1	1.19
1996-97		6	7.21
1997-98		16	30.43
1998-99		17	44.21
1999-00		26	145.98
2000-01		102	232.11
		171	464.47
पर्यावरण तथा वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	135	1146.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	440	15732.00
	1997-98	602	9767.00
1998-99	302	314.00	
1999-00	517	4405.49	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	2000-01	548	5200.89
		4631	49589.30
(ii) समुद्री विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	84	159.63
	1988-89	48	58.00
	1989-90	93	98.53
	1990-91	17	227.46
	1991-92	20	114.60
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	9	151.97
	1995-96	53	58.77
	1996-97	52	152.02
	1997-98	71	858.74
	1998-99	82	1189.03
	1999-00	65	2216.68
	2000-01	95	1030.73
		811	6551.00
विदेश मामले	1997-98	4	31.22
	1998-99	2	10.58
	1999-00	7	28.74
	2000-01	11	49.17
		24	119.71
वित्त	1996-97	1	31.38
आर्थिक मामले*	1997-98	1	16.27
	1999-00	2	118.80
	2000-01	8	1361.79
		12	1528.24
खाद्य संसाधन उद्योग	1991-92	3	51.00
	1992-93	13	101.15
	1993-94	14	98.79
	1994-95	16	134.42
	1995-96	20	202.19
	1996-97	21	234.09
	1997-98	12	196.34
	1998-99	21	175.86
	1999-00	85	902.36
	2000-01	143	2122.80
		348	4219.00

* बैंकिंग प्रभाग भू.ले.अ. आकस्मिकता जोखिम बीमा योजना तथा बैंकिंग से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल नहीं है।

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1999-00	322	5829.22
	2000-01	422	9494.52
		2570	31985.15
(ख) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	11	5.50
	1986-87	27	22.65
	1987-88	5	13.69
	1988-89	21	74.24
	1989-90	39	61.64
	1990-91	11	287.44
	1991-92	9	22.04
	1992-93	17	286.52
	1993-94	34	511.50
	1994-95	46	1209.20
	1995-96	96	3854.25
	1996-97	95	1760.46
	1997-98	86	1817.64
	1998-99	97	2022.70
	1999-00	143	5004.44
	2000-01	266	46560.57
		1005	63520.08
(iv) संस्कृति	1982-83	2	0.45
	1983-84	4	0.53
	1984-85	10	2.08
	1985-86	3	0.61
	1986-87	8	2.57
	1987-88	5	1.38
	1988-89	14	2.86
	1989-90	13	2.46
	1990-91	73	12.63
	1991-92	93	747.18
	1992-93	779	2911.21
	1993-94	742	5224.90
	1994-95	465	1325.33
	1995-96	505	3608.17
	1996-97	703	3273.59
	1997-98	669	1793.21
	1998-99	538	5252.21
	1999-00	534	1719.39
	2000-01	1692	18211.54
		6852	44092.30
गृह मामले			
पी ए ओ (सचिव)	1990-91	1	0.10

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1998-99	1	0.05
		2	0.15
आयकर विभाग, सी बी डी टी	2000-01	1	0.06
		1	0.06
उद्योग			
(i) भारी उद्योग	2000-01	4	389.48
		4	389.48
(ii) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग	1997-98	2	49.00
	1998-99	5	246.00
	1999-00	2	20.00
	2000-01	5	583.25
		14	898.25
सूचना एवं प्रसारण	1982-83	1	4.22
	1983-84	2	3.37
	2000-01	2	4.00
		5	11.59
श्रम	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	5	1.74
	1987-88	4	3.19
	1988-89	3	6.58
	1989-90	10	10.42
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	7	6.72
	1994-95	3	3.71
	1995-96	32	184.36
	1996-97	252	454.13
	1997-98	5	4.58
	1998-99	29	93.49
	1999-00	52	293.47
	2000-01	70	307.41
		499	1416.46
अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1993-94	1	2.43
	1994-95	2	9.02
	1995-96	11	5.95
	1997-98	6	29.02
	1998-99	3	17.09
	1999-00	7	35.80
	2000-01	33	670.11
		63	769.42
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशान व्यक्तिगत तथा प्रशिक्षण	1999-00	2	16.00
	2000-01	9	125.90
		11	141.90

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
योजना तथा सांख्यिकी			
योजना आयोग	2000-01	8	6.06
		8	6.06
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	6	0.74
	1983-84	3	0.66
	1984-85	7	1.74
	1985-86	3	0.65
	1986-87	10	3.90
	1987-88	4	4.88
	1989-90	3	3.08
	1990-91	3	5.59
	1991-92	1	1.24
	1992-93	1	1.01
	1993-94	2	1.28
	1994-95	3	4.99
	1995-96	3	0.95
	1996-97	5	8.99
	1998-99	9	26.25
	1999-00	17	27.02
	2000-01	49	1694.03
		133	1787.51
भूतल परिवहन	1998-99	1	0.56
	2000-01	1	68.50
		2	69.06
वाणिज्य और कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2000-01	15	0.01
		15	0.01
(ii) हथकरघा विकास आयुक्त, दिल्ली	1978-79	8	46.94
	1979-80	5	16.89
	1980-81	3	4.30
	1982-83	2	1.13
	1983-84	1	0.53
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1987-88	2	2.53
	1988-89	1	0.25
	1989-90	5	4.90
	1990-91	1	3.32
	1991-92	3	7.47
	1992-93	10	28.14
	1993-94	11	90.19

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1994-95	46	38.05
	1995-96	69	338.88
	1996-97	32	125.22
	1997-98	41	169.64
	1998-99	23	136.92
	1999-00	55	2.59
	2000-01	92	697.71
		415	1718.63
पर्यटन	1997-98	3	46.78
	1998-99	3	405.94
	1999-00	3	264.85
	2000-01	5	109.01
		14	826.58
शहरी विकास	1983-84	2	0.85
	1984-85	1	0.40
	1985-86	10	3.35
	1986-87	4	1.36
	1987-88	3	4.15
	1988-89	6	3.05
	1989-90	7	7.92
	1990-91	9	11.50
	1991-92	7	14.01
	1992-93	15	74.87
	1993-94	27	1890.08
	1994-95	28	63.34
	1995-96	15	38.74
	1996-97	9	445.68
	1997-98	9	2258.06
	1998-99	16	2271.37
	1999-00	23	4679.17
	2000-01	36	8847.05
		227	20614.95
जल संसाधन	1985-86	1	1.27
	1986-87	3	27.01
	1987-88	4	11.89
	1988-89	3	8.80
	1989-90	7	11.46
	1990-91	3	7.17
	1991-92	1	10.29
	1992-93	1	0.03
	1993-94	1	0.25
	1994-95	1	5.13
	1995-96	4	22.66
	1996-97	1	4.71
	1997-98	3	8.90
	1998-99	11	29.69

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1999-00	10	37.03
	2000-01	18	70.03
		72	256.32
विज्ञान एवं तकनीकी	1987-88	2	26.16
(i) विज्ञान एवं तकनीकी	1988-89	2	5.41
	1989-90	3	9.37
	1990-91	5	94.86
	1991-92	2	4.11
	1992-93	5	2.46
	1993-94	4	3.07
	1994-95	8	4.41
	1995-96	5	2.20
	1997-98	1	0.98
	1998-99	11	6.30
	1999-00	9	7.96
	2000-01	10	16.44
		67	185.73
(ii) जीव प्रौद्योगिकी	1993-94	27	16.85
	1994-95	31	13.16
	1995-96	35	21.25
	1996-97	36	17.65
	1997-98	74	39.45
	1998-99	71	38.48
	1999-00	86	63.85
	2000-01	57	37.98
		417	248.67
विधि; न्याय एवं कम्पनी कार्य विभाग	1982-83	2	1.00
राष्ट्रीय कानूनी सेवायें प्राधिकरण	1983-84	5	1.52
	1984-85	5	1.30
	1986-87	1	0.15
	1989-90	4	1.35
	1990-91	1	0.25
	1991-92	8	1.58
	1992-93	10	0.95
	1993-94	15	4.50
	1994-95	9	4.45
	1995-96	17	6.50
	1996-97	26	42.16
	1997-98	34	37.00
	1998-99	60	245.89
	1999-00	48	254.50
	2000-01	28	331.95
		273	935.05

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2001 तक)	मार्च 2001 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2002 तक देय थे। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	336	339.00
	1988-89	647	1245.00
	1989-90	568	875.00
	1990-91	836	1036.00
	1991-92	900	2074.00
	1992-93	798	1489.00
	1993-94	731	1551.00
	1994-95	984	2170.00
	1995-96	916	1541.00
	1996-97	491	1147.00
	1997-98	550	14017.00
	1998-99	645	3039.00
	1999-00	549	4559.00
	2000-01	2668	17960.00
		11619	53042.00
ग्रामीण विकास	1998-99	1	51.46
	1999-00	7	416.86
	2000-01	5	174.03
	13	642.35	
कुल योग		42320	516934.91

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ सं. 11 देखें)

29 फरवरी 2004 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	वित्त (आर्थिक मामले मंत्रालय)	2001	2	--	2
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1998	1	-	1
		1999	2	-	2
		2000	2	-	2
		2001	1	--	1
3.	मानव संसाधन विकास (संस्कृति विभाग)	1997	1	--	1
		1998	2	--	2
		2000	2	--	2
		2001	3	-	3
	(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)	1997	2	--	2
		2000	1	--	1
		2001	8	1	7
		2002	4	4	-
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	1	-	1
4.	सूचना एवं प्रसारण	2002	11	9	2
5.	श्रम	1999	1	-	1
		2000	3	-	3
		2001	1	-	1
		2002	3	1	2
6.	विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य	1998	1	-	1
7.	जहाजरानी	2001	3	3	-
		2002	5	4	1
8.	लघु उद्योग	2000	1	1	-
		2002	1	1	-
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1999	1	--	1
		2001	1	--	1
10.	कपड़ा	2000	1	1	--
11.	पर्यटन तथा संस्कृति	2001	1	1	--

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
12.	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन	1989	1	1	--
		1990	5	5	--
		1991	8	8	--
		1992	9	9	--
		1993	12	12	--
		2002	3	3	-
13.	युवा मामले एवं खेल-कूद	1994	1	-	1
जोड़			105	64	41

